खण्ड-221, अंक-7
बुधवार, 15 चैत्र, शक संवत् 1883
(5 अप्रैल, 1961 ई0)

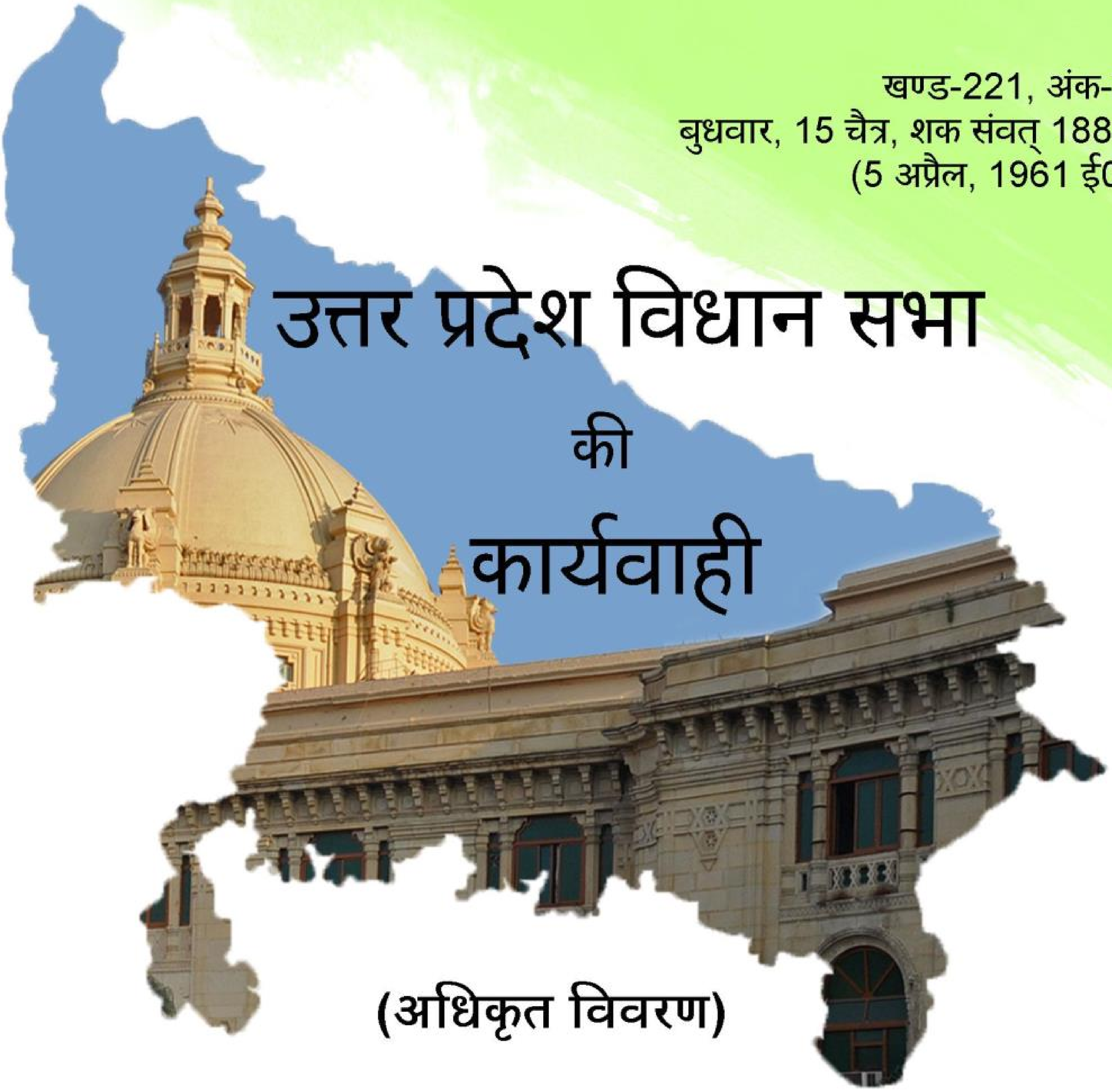

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 221 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ५ अप्रैल, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन म अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--३५०

अक्षयवरसिंह, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
असलम खां, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इरतज़ा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूरअली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री

गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्राहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपङ्कर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री

बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसाद सिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धोसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भोखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूदअली खां, श्री (रामपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुज़फ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारकअली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री

रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
राम स्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारी लाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रवर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईदअहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवती देवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीताचौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ५ अप्रैल, १९६१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

नगरपालिकाओं के आम चुनाव पर विचार

**१—श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में स्थित नगरपालिकाओं का चुनाव उनकी निश्चित अवधि समाप्त होने पर कराने का उसका विचार है या नहीं?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—नगरपालिकाओं के आम चुनाव के विषय पर विचार हो रहा है।

**२—श्री जगदीशशरण अग्रवाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार नगरपालिकाओं में एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र बनाने पर विचार कर रही है?

श्री कैलाशप्रकाश—यह प्रश्न इस समय शासन के विचाराधीन नहीं है।

राज्य में आणविक शक्ति स्टेशन स्थापित करने की प्रार्थना

**३—श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित) तथा श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि भारत का द्वितीय आणविक शक्ति स्टेशन उत्तर प्रदेश में कहीं दिल्ली के पास स्थापित होने जा रहा है?

**४—यदि हां, तो कहां और कब तक?

संसदीय विषयक उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—जहां तक राज्य सरकार को सूचना है, इस विषय पर भारत सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं किया है।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्रीजी यह बतायेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने आणविक स्टेशन कायम करने के सम्बन्ध में कोई पत्र-व्यवहार राज्य सरकार से किया है? यदि हां, तो क्या?

†**श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा**—राज्य सरकार के पास भारत सरकार से कोई पत्र नहीं आया है। राज्य सरकार ने भारत सरकार को इस आशय का पत्र भेजा है कि आणविक स्टेशन उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाय।

---

†८ अप्रैल, १९६१ को दिये गये वक्तव्य के अनुसार संशोधित।

राजनीतिक पीड़ितों की लड़कियों की शादी तथा पेंशन सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

**५—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके कार्यालय में आजीवन मासिक पेंशन तथा लड़कियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता के लिये राजनीतिक पीड़ितों के प्रार्थना-पत्र इस समय पड़े हुये हैं और इस सम्बन्ध में हजारों रुपया लैप्स होने जा रहा है?

परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री कृपाशंकर)—राजनैतिक पीड़ितों के आजीवन पेंशन तथा लड़कियों की शादी के हेतु आर्थिक सहायता के लिये बहुत से प्रार्थना-पत्र कार्यालय में विचाराधीन हैं। इन पर बजट मंजूर होने के बाद फैसला किया जायगा। राजनैतिक पेंशन के मद में रुपया लैप्स होने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामसुन्दर पांडेय— क्या मंत्रीजी बतायेंगे कि उनके कार्यालय में कितने प्रार्थना-पत्र शादी और पेंशन के लिये कब से पड़े हुए हैं?

श्री कृपाशंकर—यह प्रार्थना-पत्र मुख्तलिफ़ वक्तों के हैं। यह कब से पड़े हुए हैं, यह तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि १९५७, १९५८, १९५९ के हैं और इससे पहले के भी हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—मंत्री जी बतायेंगे कि क्या प्रार्थना-पत्रों पर निर्णय करने की कोई अवधि निश्चित नहीं है जो १९५७ तक के प्रार्थना-पत्र अब तक तय नहीं हो सके?

श्री कृपाशंकर—कोई अवधि निश्चित नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—कुछ प्रार्थना-पत्र ऐसे भी हैं जो पुराने मंत्रि-मण्डल के जमाने में स्वीकृत हो चुके थे और उनको अभी तक रुपया नहीं दिया गया है या अस्वीकार कर दिये गये हैं?

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फरहसन)—ऐसे भी कुछ हैं जिन पर कोई जांच वगैरह नहीं हुई थी, उन पर फिर से जांच हो रही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—मंत्री जी बतायेंगे कि सप्लीमेंटरी बजट में जो इस मद में रुपया स्वीकार किया गया था वह खर्च हो चुका है?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या यह बात सही है कि ७ दिसम्बर को मंत्रिमण्डल के बदलने के ठीक एक दिन पहले १५० राजनीतिक पीड़ितों को पेंशन मंजूर की गई?

श्री मुजफ्फर हसन—पेंशन तो हमेशा मंजूर होती रहती है।

श्री नत्थू सिंह—क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी कि पेंशनों के मामले जल्दी तय हो जाया करें?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां, कोशिश की जायगी कि जल्द से जल्द तय हों।

श्री दाताराम चौधरी (जिला सहारनपुर)—मंत्री जी बतायेंगे कि जो शादी की दरख्वास्तें हैं इनमें से कितनी लड़कियों की शादी हो चुकी है और उन्हें अभी तक धन नहीं मिला है?

श्री अध्यक्ष—अगर उनको मालूम होता तो दे ही देते।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---उत्तर में बताया गया कि १९५७, १९५८ और १९५९ की दरख्वास्तें हैं तो मैं जानना चाहता हूं, जैसा कि दाताराम जी ने कहा, इसमें बहुत से राजनीतिक लोग मर गये हैं, उनके पास खाली पर्चियां हैं उन लोगों ने प्रार्थना-पत्र दिये थे कि हमें आर्थिक सहायता दी जाय शादी के लिये, तो सरकार ने इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार नहीं किया और तीन साल से लोग परेशानी में हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन---यह सही है कि शादी की बहुत सी दरख्वास्तें इस वक्त पड़ी हुई हैं और शादी की तारीख इसी अप्रैल में पड़ती है। तो इस पर विचार किया जा रहा है कि कब्ल इसके कि बजट नया मंजूर हो कोशिश करके उनकी मदद कर सकें।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री इस बात की छानबीन करेंगे कि ५० हजार रुपया मार्च तक खर्च करने के लिये था लेकिन वह नहीं हो सका और इस विभाग का वह रुपया लैप्स हो चुका है ?

श्री मुजफ्फर हसन---मुझे कोई ऐसी इत्तला नहीं है। माननीय सदस्य को मालूम हो तो मुझे बतलायें।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---जो लड़कियों की शादी के लिये प्रार्थना-पत्र आते हैं उनके सम्बन्ध में सरकार निर्णय नहीं कर पाती है शादी के पहले तो शादी के बाद भी उन प्रार्थना-पत्रों पर सरकार विचार करती है या नहीं ?

श्री मुजफ्फरहसन---कोई आम रूल नहीं है लेकिन उस केस को देख लिया जाता है।

श्री जविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---जिन लोगों ने लड़कियों की शादी के लिये रुपया मांगा है लेकिन शादी निकल गयी और कर्ज लेकर शादी कर ली है तो क्या सरकार उन प्रार्थना-पत्रों पर बाद में भी विचार करेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन---मैंने इसका जवाब अभी दिया है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---शादी की दरख्वास्तों का निर्णय होने में तीन साल से अधिक समय क्यों लगता है ?

श्री मुजफ्फर हसन---यह जो जवाब दिया गया है यह शादी के लिये मखसूस नहीं था।

तारांकित प्रश्न

*१---**श्री मदन पांडेय**---[३ अप्रैल, १९६१ को प्रश्न १ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

*२---**श्री मदन पांडेय**---[३ अप्रैल, १९६१ को प्रश्न २ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

*३---**श्री मदन पांडेय**---[हटा दिया गया।]

*४-६---**श्री ऊदल**---[३० मार्च, १९६१ को प्रश्न ४-६ के अन्तर्गत उत्तर दिये गये।]

*७-८---**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)---[१३ मार्च, १९६१ को प्रश्न ३५-३६ के अन्तर्गत उत्तर दिये गये।]

*९---**श्री लक्ष्मणराव कदम**---[३० मार्च, १९६१ को प्रश्न ७ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

लखीमपुर-सीतापुर सड़क के कुछ भाग को पक्का करने की योजना

*१०—**श्री शिवप्रसाद नागर** (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या कोई ऐसी योजना उसके विचाराधीन है कि प्रदेश की समस्त नगरपालिकाओं के चारों ओर दस मील तक सभी सड़कें जिनकी चौड़ाई पचास फीट से अधिक है पक्की करा दी जायें ? यदि हां, तो इस योजना की क्या रूप-रेखा है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—प्रथम भाग— जी नहीं ।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता ।

*११—**श्री शिवप्रसाद नागर**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखीमपुर खीरी से सीतापुर जाने वाली राजकीय सड़क के सात मील जो कि हर गांव के माइल १६ से लेकर मुहम्मदाबाद के ताल पर माइल नम्बर २३ तक सभी कच्चे हैं उनमें से इस वर्ष कितने माइल पक्के करने की योजना है ?

श्री गिरधारीलाल—६ मील ।

*१२—**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)—[१२ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

लखनऊ को बाढ़ से बचाने की योजना पर विचार

*१३—**श्री मदन पांडेय** तथा **श्री ऊदल**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या लखनऊ शहर को भावी बाढ़ों से बचाने के लिये विशेषज्ञों द्वारा किसी प्रकार की कोई योजना तैयार कराई गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपा कर उक्त योजना की रूप रेखा सदन के सम्मुख रखेगी ?

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)—योजना अभी विचाराधीन है । अतः अभी उसकी रूपरेखा सदन के सम्मुख रखने का प्रश्न नहीं उठता ।

*१४—**श्री मदन पांडेय** तथा **श्री ऊदल**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या लखनऊ की भांति जौनपुर, सीतापुर, राय बरेली आदि शहरों के लिये बाढ़ से बचाव की योजनायें सरकार के विचाराधीन हैं ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं ।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री कुछ भी अवधि बतलाने की कृपा करेंगे जब तक कि इसके ऊपर निर्णय हो जायगा ?

श्री धर्मसिंह—हम लोग कोशिश कर रहे हैं । सर्वे इत्यादि किया गया है और टेक्निकल रिपोर्ट थोड़ी उसकी आ गयी है। जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है उसके लिये कोशिश की जा रही है ।

नौतनवां-ठूंठीवारी सड़क में हस्तगत भूमि का मुआविजा

*१५—**श्री अब्दुल रऊफ लारी** (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री प्रश्न संख्या २८, दिनांक २२ फरवरी, १९६१ के उत्तर के क्रम में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि नौतनवां-ठूंठीवारी सड़क का मुआवजा बहुत से ऐसे किसानों के नाम बन गया है जिनका खेत उक्त सड़क में नहीं पड़ा है और बहुतों का नाम छूट गया है जिनका खेत उक्त सड़क में ले लिया गया है ? क्या सरकार फिर जांच करा कर मुआवजा बनवाने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग—।ऐसी कोई सूचना सरकार को प्राप्त नहीं हुई जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि मुआविजा ऐसे किसानों के नाम गया है जिनका खेत कथित सड़क में नहीं पड़ा है। सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा कुछ ऐसे पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें कुछ लोगों के खेत सड़क में आ जाने तथा मुआविजा न मिलने की शिकायत की गई है।

द्वितीय भाग—शिकायती मामलों की पुनः जांच की जा रही है।

माचूली-मानोला-देवघाट मोटर मार्ग तथा रामगंगा पर औनेड़ी का पुल बनाने में विलम्ब

*१६—**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रानीखेत दक्षिणी क्षेत्र में जिला अल्मोड़ा के माचूली-मानौला-देवघाट-मोटर मार्ग के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री धर्मसिंह—कुछ नहीं।

*१७—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसी क्षेत्र में औनेड़ी नामक स्थान पर राम गंगा नदी पर पुल बनाये जाने हेतु पिछले चार वर्ष से बजट में प्राविधान होने पर भी उक्त पुल अभी तक न बनाये जाने का क्या कारण है और यह पुल कब तक बनाया जायेगा ?

श्री धर्मसिंह—मार्चुला में वर्तमान झूला पुल को खाली होने के बाद, औनेड़ी में लगाने का प्रस्ताव है। चूंकि मार्चुला में नये पुल का अभी निर्माण नहीं हुआ है, औनेड़ी में पुल का निर्माण करना अभी तक संभव नहीं हो सका है। मार्चुला में नये पुल के बन जाने के पश्चात् औनेड़ी में पुल निर्माण का कार्य आरम्भ किया जायगा। आशा है कि यह कार्य सन् १९६२ की बरसात के बाद आरम्भ किया जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को मालूम है कि उनका उत्तर सही नहीं है बल्कि वहां २ फुट बटिया भी बन गई है ?

श्री गिरधारी लाल—इस सड़क का सवाल गवर्नमेन्ट में चल रहा है, इस योजना के अन्दर बनाने का। उसी की लाइट में यह जवाब दिया गया कि इस पर अभी कोई प्रगति नहीं हुई है। बटिया का मुझे इल्म नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जब मुख्य मंत्री जी वहां दौरे पर गये थे तो उन्हें बताया गया था कि ३० साल से इस सड़क के बनने का प्रश्न विचाराधीन है और पिछले १० वर्ष से सर्वे चल रहा है। तो क्या उन्होंने इसे जल्दी बनाने का वचन दिया था ?

श्री गिरधारीलाल—दो सड़कें हैं। इनमें से पहली को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने फर्स्ट प्रायरिटी दी थी। दूसरी प्रायरिटी इसे दी थी। अब उस सड़क को हमने बैकवर्ड एरिया में ले लियाहै और इस पर विचार कर रहे हैं कि इसे प्लान में ला सकते हैं या नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जब मुख्य मंत्री जी हाल में दौरे पर वहां गये थे तो वहां की जनता द्वारा यह मांग करने पर उन्होंने क्या उत्तर या आश्वासन दिया था ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—मुख्तलिफ क्षेत्रों से मुख्तलिफ मांगें थीं। उन सबके बारे में मैंने कहा था कि उस क्षेत्र की सब चीजों की जानकारी मुझे नहीं है। परन्तु जानकारी करने के बाद जितनी योजनायें इस प्लान के तहत में आ सकेंगी उनको रखने की पूरी चेष्टा करेंगे।

बिजली कम्पनियों द्वारा अधिक लाभ उठाने की शिकायत

*१८—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार २४ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ९५ के क्रम में यह बताने की कृपा करेगी कि इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एमेन्डमेन्ट ऐक्ट, १९५६ की उस धारा के अनुसार, जोकि प्राइवेट बिजली कम्पनियों के लाभ को निर्धारित करती है, १ अप्रैल, १९५७ से ऐक्ट के अमल में आने के बाद किन-किन कम्पनियों ने अपने-अपने लेखे उसके पास ३० सितम्बर, १९५८ तक भेजे थे और किन-किन ने नहीं ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—जिन कम्पनियों ने अपने लेखे ३० सितम्बर, १९५८ तक भेजे थे उनके नाम †अनुसूची १ में उल्लिखित हैं। जिन कम्पनियों ने उक्त तिथि तक अपने लेखे नहीं भेजे उन कम्पनियों के नाम† अनुसूची २ में उल्लिखित हैं।

*१९—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त ऐक्ट की अवहेलना स्वरूप किन-किन कम्पनियों ने कितना-कितना अधिक लाभ उठाया और उनके विरुद्ध क्या क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—जिन कम्पनियों ने इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) अमेन्डमेन्ट ऐक्ट, १९५६ द्वारा संशोधित इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, १९४८ में उल्लिखित उचित लाभ की रकम से अधिक लाभ अर्जित किया उनके नाम †अनुसूची ३ में उल्लिखित हैं। इन कम्पनियों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक अर्जित किये गये लाभ की रकम और इस संबंध में की गई कार्यवाही भी उक्त अनुसूची में उल्लिखित है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सूची नम्बर २ के अन्तर्गत जिन २२ कम्पनियों ने मुनाफे का हिसाब नहीं दिया है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

††**श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा**—२२ कम्पनियों में से ४ ने तो अक्तूबर में हिसाब दे दिया। दूसरी १ कम्पनी ने थोड़ा समय मांग लिया था। वह समय सरकार ने उनको दे दिया। इसके अलावा ११ कम्पनियों ने भी ५ महीने के अन्दर हिसाब दे दिया। उनको वार्निंग दे दी गयी। ६ कम्पनी ऐसी बची थीं जिन्होंने हिसाब नहीं दिया था, टाइम पर, तो उनका चालान कर दिया गया और चालान में अदालत से उनको सजा हो गयी। ५ कम्पनी ने उसके बाद हिसाब दे दिया और १ कम्पनी ऐसी है जिसने जुर्माना होने के बावजूद भी हिसाब नहीं दिया है और उसको यह जुर्माना हुआ है कि १० रुपये रोज, जब तक वह हिसाब न दे दे, जुर्माना होता रहेगा।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी ने अपने मुनाफे का हिसाब दे दिया है या नहीं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—हिसाब तो, जैसा मैंने कहा, सभी कम्पनियों ने दे दिया सिवाय मैनपुरी के।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या वित्त मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस कम्पनी ने अभी तक अपना हिसाब नहीं दिया और जिसके ऊपर १० रुपये रोज जुरमाना हो रहा है क्या उस कम्पनी का इस बीच में लाइसेन्स फिर से सरकार द्वारा रेन्यू किया गया है ?

---

†अनसूची छापी नहीं गई।

††८ अप्रैल, १९६१ को दिये गये वक्तव्य के अनुसार संशोधित।

†श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—इस कम्पनी का लाइसेन्स तो सरकार ने खत्म कर दिया लेकिन उसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में अपील कर रखी है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—ये कम्पनियां सही सही हिसाब देती हैं इसको वेरीफाई करने के लिये क्या सरकार उनके ओरिजिनल रेकार्ड्स से भी वेरीफाई कराती है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—हमारे एलेक्ट्रिक इन्सपेक्टर के दफ्तर में एक स्पेशल स्टाफ है, वह डिटेल में उनका आडिट करता है। पहले अपने आडिटर से कराते थे, वह बात अब नहीं है।

निघासन-बेलरायां सड़क पर पुलियों के निर्माण में व्यय

*२०—श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला खीरी की तहसील निघासन में जो सड़क निघासन से बेलरायां तक गई है उस पर जो चार-पांच पुलियां पिछले कई साल से बनाई जा रही हैं उन पर अब तक कितना खर्चा हुआ है और अब और कितना खर्चा होगा ?

श्री गिरधारीलाल—इन पर अब तक लगभग १,६०,००० रुपया खर्चा हुआ है और अब ४६,००० रुपया और खर्च होगा।

*२१—श्री बंशीधर शुक्ल (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि उपर्युक्त सड़क पर लकड़ी की पुलियां बनती रही हैं जो एक दो दिन में तैयार हो सकती हैं ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं।

गोरखपुर में इंजीनियरिंग कालेज खोलने की योजना

*२२—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर में इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना कबतक हो सकेगी और अबतक इस संबंध में क्या कार्यवाही हो सकी है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—यह अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि कालेज कब से खोला जा सकेगा किन्तु १९६२-६३ से इसके खुलने की आशा की जाती है। इस समय अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा समिति से स्वीकृति प्राप्त करने के हेतु कालेज की योजना के ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस योजना पर कुल कितना रुपया व्यय होने वाला है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—यह जो प्लानिंग कमीशन के वर्किंग ग्रुप ने कालेज के लिये निश्चित किया है इसमें करीब ५१ लाख रुपया निश्चित हुआ है जो इस कालेज के लिये खर्च किया जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस योजना का प्रारम्भ कब से किया जायगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—मैंने तो कहा कि प्रारम्भ तो हो ही गया है और जल्द से जल्द खुलने वाला है। जमीन के बारे में कार्यवाही हो रही है। जब जमीन का निश्चय हो जायगा तब काम चलेगा।

---

†८ अप्रैल, १९६१ को दिये गये वक्तव्य के अनुसार संशोधित।

नोट—तारांकित प्रश्न २२ श्री राम सुन्दर पान्डेय ने पूछा।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि गोरखपुर में इंजीनियरिंग कालेज खोलने के लिये सर्वेक्षण कार्य पूरी तरह से हो चुका है या नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सर्वेक्षण कार्य हो चुका है, जमीन के सिलसिले में बातचीत चल रही है। इसके लिये १९६२-६३ के बजट में धनराशि रखी जायगी, १९६१-६२ के बजट में धनराशि नहीं रखी गयी है।

थारू जाति के उत्थान के लिए योजनायें

*२३—**श्री प्रतापसिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश की थारू जाति की उन्नति के लिये (जो अनुसूचित जाति है) सरकार विशेष रूप से क्या योजना बना रही है ?

हरिजन सहायक उपमंत्री (डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी)—थारू जाति इस प्रदेश में अनुसूचित जाति नहीं है। थारू इस प्रदेश की उन १४ जातियों में से एक जाति है जिनको प्रदेशीय सरकार ने अनुसूचित आदिम जाति घोषित करने के लिये अपनी संस्तुति भारत सरकार को भेज दी है।

इन जातियों के सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक उत्थान के लिये निम्नलिखित योजनायें चलाने का विचार है :

१—निदेशक, हरिजन कल्याण के मुख्य कार्यालय में जनजाति शोध संस्थान (Tribal Research Institute) की स्थापना तथा जनजाति समाज कार्यकर्ताओं (Tribal Social workers) के प्रशिक्षण (Training) की योजना ।

२—अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ी हुई जातियों के विद्यार्थियों को पुस्तकों आदि की खरीद के लिये अनावर्तक सहायता तथा छात्रवेतन की योजना ।

३—वन सहकारी समितियों के संघटित करने की योजना ।

इसके अतिरिक्त कुछ अन्य केन्द्रीय संचालित योजनायें भी भारत सरकार के विचाराधीन हैं ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि देश के जो अन्य प्रदेश हैं उन्होंने सन् १९५० में इन जातियों के लिये सिफारिश कर दी थी और उसके बाद ८ सितम्बर, १९५० को राष्ट्रपति की घोषणा के बाद इन जातियों को वे तमाम सुख-सुविधायें मिल रही हैं जो मिलनी चाहिये ? यदि हां, तो क्या सरकार उन कारणों पर प्रकाश डालेगी जिसके कारण उसने आज तक इन जातियों को उस कैटेगरी में लाने की सिफारिश भारत सरकार से नहीं की और उन तमाम सुख-सुविधाओं से उनको वंचित रखा ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—इस प्रदेश ने सिफारिश नहीं की थी . . .

श्री प्रतापसिंह—क्यों नहीं की थी ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—इसके लिये अगर आप नोटिस देंगे तो बताऊंगा ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी उन १४ जातियों को बताने की कृपा करेंगे जिनके बारे में सरकार ने अब सिफारिश की है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—मैं इस वक्त नहीं बता सकता हूं, नोटिस मिलने पर बता सकता हूं ।

श्री प्रतापसिंह—श्रीमन्, जो मूल प्रश्न है उसके संबंध में जातियों के नाम भी सरकार को नहीं मालूम हैं तो रोज-रोज नोटिस देकर सारे डिपार्टमेन्ट में फिर से कन्फ्यूजन क्रियेट करें . . . .

श्री अध्यक्ष—जब आपने एक ही जाति के बारे में सवाल किया तो फिर १४ जातियों.....

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—आज्ञा हो तो मैं बता दूं।

श्री अध्यक्ष—बताइये।

श्री हुकुमसिंह विसेन—इन चौदह जातियों में न हम हैं और न प्रतापसिंह जी हैं।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि केन्द्रीय सरकार किन योजनाओं पर इन जातियों के लिये सुख-सुविधा के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—श्रीमन्, मैं तो जवाब दे चुका हूं कि १४ जातियों के नाम डिटेल में मुझे मालूम नहीं हैं।

श्री प्रतापसिंह—श्रीमन्, मैंने यह कहा कि मंत्री जी ने अपने जवाब के अन्त में कहा है कि इसके अतिरिक्त और भी योजनायें केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं तो वे कौन सी योजनायें हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अच्छे घरों का प्रबन्ध, कुटीर उद्योगों का विकास, कृषि उपनिवेशनों की स्थापना तथा कृषि सहायता। ये चार प्रकार के कार्य हैं जिनमें उनके लाने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस तरह की जातियों के उत्थान के लिये भारतीय सरकार की योजना है कि उनके लिये विशेष ब्लाक्स का निर्माण किया जाय और उनके लिये सहायता दी जाय तो सरकार ने कितने विशेष ब्लाकों का निर्माण उनके उत्थान के लिये करवाया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मुझे विशेष ब्लाकों के निर्मित करने के विषय में तो जानकारी नहीं है, लेकिन जो योजना अब बनी है उसके तहत में इंड्रस्ट्रियल इस्टेट के रूप में जहां उनकी संख्या ऐसी हो कि उनको उन कार्यों में लगाया जा सकता है तो ऐसे कार्य सरकार के विचाराधीन हैं और इन जातियों के विषय में इंडस्ट्रियल इस्टेट्स बनाई जायं, इस प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिला नैनीताल की खटीमा तहसील में इस जाति के ५० हजार लोग रहते हैं, वहां जो सरकार द्वारा ब्लाक खोला गया है उसको ट्राइबल ब्लाक बनाने की सिफारिश प्रदेशीय सरकार करने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी तो विचार नहीं किया है। लेकिन उन क्षेत्रों की जो समस्यायें हैं उनका थोड़ा अध्ययन मैं करने वाला हूं, पहाड़ी बन जाने के नाते और जब मैं अपना निर्णय लूंगा तब बता सकूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि थारू जाति के उत्थान के लिये जितनी योजनायें बनाई गई हैं उनमें से एक भी कार्यान्वित नहीं हुई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैंने जैसा निवेदन किया कि इन प्रश्नों का अध्ययन मैंने ब्योरेवार नहीं किया है इसलिये आज ब्योरेवार जवाब नहीं दे सकता हूं। जब अध्ययन कर लूंगा तो जो सुभीते इनको प्राप्त हो सकते हैं उनको दिलाने का और देने का प्रबन्ध करूंगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—माननीय मुख्य मंत्री जी पहाड़ी बन गये हैं तो क्या वह थारू बने हैं या नहीं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री ऊदल---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि भारतीय सरकार ने एक योजना बना कर प्रदेशीय सरकार के पास भेजी है कि जहां ऐसी जातियां बसती हैं और उनके पास मकान नहीं हैं तो उनके लिये सरकार मकान बनाने की व्यवस्था कर दे और भारतीय सरकार ५० प्रतिशत रुपया देगी तो इस पर सरकार ने विचार कर लिया है ? यदि नहीं, तो क्या वह इस पर विचार करने जा रही है ?

श्री अध्यक्ष---वह तो उन्होंने साफ बताया कि अभी अध्ययन नहीं किया।

श्री प्रतापसिंह---क्या मन्त्री जी इसका भी अध्ययन करेंगे कि हमने इकोनोमिक्स में पढ़ा था कि भारत का किसान कर्ज में पैदा होता है और कर्ज में ही मरता है। तो यह चीज इन पर लागू होती है और आज भी साहूकार इनको ५० प्रतिशत पर कर्जा देते हैं. . . .

श्री अध्यक्ष---आप लिखकर भेज दें।

गोमती नदी पर आमघाट के पुल का निर्माण

*२४---श्री गुरुप्रसादसिंह (जिला सुल्तानपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोमती नदी पर जिला सुल्तानपुर में आम घाट पर जो पुल बन रहा है वह कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री धर्मसिंह---मई, १९६२ ई० के अन्त तक इस पुल के पूरा हो जाने की आशा है।

श्री गुरुप्रसादसिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस पुल पर दिसम्बर और जनवरी के महीने में काम क्यों बन्द हो गया था ?

श्री धर्मसिंह---काम तो उस पर थोड़ा बहुत होता ही रहा। जहां तक इन दो महीनों का सवाल है उसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)---क्या आदरणीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस पुल के लिये कुल कितने की योजना थी और कब से यह पुल बनना शुरू हुआ था ?

श्री धर्मसिंह---जहां तक इस योजना का सम्बध है ५ लाख १७ हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत हुई थी। १९५६ में इस पर काम आरम्भ हुआ था।

जल-विद्युत योजनाओं पर व्यय

*२५---श्री ऊदल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत १० वर्षों में प्रदेश के किन-किन स्थानों में जल-विद्युत योजनायें कितने रुपये की लागत से स्थापित की गई हैं, उनमें अब तक प्रतिवर्ष कितना खर्च हुआ है और कितनी आय हुई है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---पिछले १० वर्षों में मोहम्मदपुर, पथरी, खटीमा तथा बागेश्वर जल-विद्युत गृह चालू हुये हैं। विद्युत गृह के निर्माण कार्य पर १९५९-६० तक का खर्च तथा उनके चालू होने के बाद उन पर रखरखाव के खर्चे का ब्योरा नत्थी है। विद्युत गृहों की आय का ब्योरा अलग-अलग नहीं रखा जाता वरन पूरी गंगा ग्रिड का इकट्ठा रखा जाता है। अतः प्रत्येक विद्युत गृह की अलग-अलग आय की सूचना देना सम्भव नहीं है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६५८ पर)

श्री ऊदल---क्या माननीय मन्त्री जी गंगा ग्रिड का सामूहिक रूप से खर्चा और उसका व्यय बताने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—खर्च की बात तो मैंने अलग-अलग बता दी। आपके पास जो ब्योरा है उसमें प्रत्येक वर्ष का दिया गया है। अगर आप चाहेंगे तो मैं पढ़ दूंगा। जहां तक आय का सम्बन्ध है वह दो तरह की हैं। दो पावर हाउस हैं। एक शारदा का और दूसरा गंगा का। दोनों का मैं पढ़ दूं जिससे आपको पता चल जायगा। इन दोनों में मिलाकर फायदा नहीं होता है। इन दोनों में नुक्सान हुआ करता है। १९५६–५७ में १ करोड़ १० लाख, १९५७–५८ में ९० लाख, १९५८–५९ में १ करोड़ ३८ लाख....

श्री अध्यक्ष—आप नुकसान बता रहे हैं?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—जी हां, १९५९–६० में १ करोड़ ७४ लाख। जहां तक गंगा ग्रिड का सम्बन्ध है उसमें हमें कुछ फायदा हुआ। १९५७–५८ में करीब २४ लाख के फायदा हुआ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन दोनों योजनाओं शारदा और गंगा पर इन दस सालों में कितना रुपया खर्च हुआ?

श्री अध्यक्ष—आप का मतलब कैपिटल एक्सपेन्डीचर से है?

श्री नेकराम शर्मा—जी हां।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—मेरे पास जोड़ तो नहीं है, लेकिन उत्तर में रकमें दी हुई हैं। उनको जोड़ दें।

श्री अध्यक्ष—यह आप चारों पढ़ सकते हैं।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—मोहम्मदपुर में १ करोड़ ४९ लाख ४४ हजार ९ सौ १० रुपया खर्च हुआ। पथरी पावर हाउस में २ करोड़ ७४ लाख ८० हजार ७३४ रुपया खर्च हुआ। खटीमा पावर हाउस में ६,६७,७७,७४२ रुपये और बागेश्वर पावर हाउस में २,१६,९२६ रुपये व्यय हुये हैं।

श्री ऊदल—क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन योजनाओं पर बहुत ज्यादा रुपया व्यय हुआ है और फायदा नहीं हुआ है बल्कि नुकसान हुआ है तो क्या मन्त्री जी कोई कमेटी का निर्माण इन योजनाओं के सम्बन्ध में करने जा रहे हैं जो पूरी तरह से इनकी जांच कर सके?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—कमेटी का कोई सवाल नहीं है। यह बिजली विभाग एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को दे दिया गया है। और उनसे यह शर्त है कि ५ वर्ष के अन्दर जो घाटा है, उसको वह पूरा कर लेंगे। यह नुकसान क्यों हो रहा है उसकी वजह मालूम है क्योंकि पावर हाउस इत्यादि में ज्यादा खर्च होता है लेकिन हर साल जो नुकसान हो रहा था वह कम होता जा रहा है। इस साल वह नुकसान बहुत कम है और अगले साल नहीं रहेगा। और आगे चलकर वह नुकसान फायदे में बदल जायगा।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि खटीमा पावर हाउस, जिसके खर्चे के बारे में अभी बतलाया कि ६ करोड़ से ऊपर है, इसके लिये सरकार ने एक सीपेज कमेटी बिठाई थी? उस कमेटी ने सरकार को आगाह किया कि कन्ट्रोल रूम के गिर जाने की वजह से वह दिन पर दिन धंसता जा रहा है, तो क्या सरकार ने उसके लिये कोई प्रिकाशनरी मेजर लिया?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—ऐसी सूचना नहीं है। अगर आप नोटिस देंगे तो मैं उसकी जानकारी कर लूंगा।

कासिमाबाद-मऊ सड़क का निर्माण-कार्य

*२६—**श्री रघुवीरराम** (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर में थाना कासिमाबाद से जो सड़क कस्बा बहादुरगन्ज होती हुई मऊ को जाती है वह सड़क कब मन्जूर की गई थी, वह मुकम्मल बनी या नहीं, तथा अब तक उस पर कितना धन व्यय हुआ ?

श्री धर्मसिंह—प्रथम भाग .. .. .. जून, १९५७ में।

द्वितीय भाग— अभी पूरी नहीं बनी।

तृतीय भाग— फरवरी, १९६१ ई० तक १,३५,८०० रुपये व्यय हुआ।

*२७—**श्री रघुवीरराम**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उक्त सड़क को भैंसही नदी पार करनी पड़ती है ? यदि हां, तो सरकार इस पर कब तक पुल बनायेगी ?

श्री धर्मसिंह—प्रथम भाग— जी हां।

द्वितीय भाग—यदि भूमि उपलब्ध हो सकी तो लकड़ी का पाइल ब्रिज इसी वर्ष बना दिया जायगा।

*२८—**श्री रघुवीर राम**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त सड़क में किसानों की कितनी जमीनें ली गई है और इस जमीन का मुआवजा दिया गया या नहीं और सरकार ने उस जमीन का लगान माफ करवाया या नहीं ?

श्री धर्मसिंह—प्रथम भाग—१२.४ एकड़ भूमि स्थायी तथा ७६.१८ एकड़ भूमि अस्थाई रूप से लेने की व्यवस्था है।

द्वितीय भाग— अभी नहीं।

तृतीय भाग— सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री रघुवीर राम—क्या सरकार को ज्ञात है कि जो सड़क जून, १९५७ में मन्जूर हुई थी वह अभी तक नहीं बनी ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है और कितनी सड़क अभी तक बनने के लिये बाकी है ?

श्री धर्मसिंह—जब से यह ली गई है इस पर कार्य होता रहा है। मील २, ३, ४, ६ पर इन्टर कोट कार्य हुआ है। मील १, ५, ७ में टाप कोट किया जा चुका है। मील ६ में भैंसही नदी के पास मिट्टी का काम बाकी है। उसमें और थोड़ा बहुत काम होता रहा। कोशिश की जा रही है कि यह काम जल्द से जल्द समाप्त हो।

श्री रघुवीर राम—क्या सरकार बतलायेगी कि भैंसही नदी के करीब यह जो पुल के बारे में सरकार विचार कर रही है, इस पुल के लिये जमीन उपलब्ध है? जवाब दिया गया कि वहां भूमि उपलब्ध नहीं है तो क्या सरकार बतलायेगी कि जब वहां पर भूमि उपलब्ध है और कोई दिक्कत नहीं है तो पक्का पुल बनाना जल्द से जल्द आरम्भ करेगी ?

श्री धर्मसिंह--इसके बारे में कोशिश की जा रही है। इसके लिये धन भी है। जमीन लेने की कोशिश की जा रही है। ९ जनवरी को कलेक्टर महोदय को यह कागजात नोटिफिकेशन आदि के लिये भेज दिये गये हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन हो जायगा उस पर काम आरम्भ हो जायगा।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५७ में यह सड़क मन्जूर हुई और उस वक्त जमीन काश्तकारों से ली गई, तो अभी तक मुआवजा न देने का क्या कारण है?

श्री धर्मसिंह--अभी तो यह भूमि ली ही नहीं गई है। कार्यवाही की जा रही है। इस लिये मुआवजा देने का कोई सवाल नहीं पैदा होता।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि यह सड़क कितनी लम्बी है और अभी तक कितने मील पर काम हुआ है?

श्री धर्मसिंह--जहांतक गाजीपुर-कासिमाबाद से मऊ की सड़क का सम्बन्ध है यह ७ मील ४ फर्लांग लम्बी है और काम जितना हुआ है वह मैंने पहले निवेदन कर दिया था कि उसपर इतना-इतना काम हुआ है।

श्री रामायणराय--क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राजपथ के लिये जिन किसानों की जमीन ली गई थी उनसे अभी तक लगान लेने का क्या कारण है?

श्री अध्यक्ष--वह तो कहते हैं कि जमीन ली ही नहीं गई।

श्री ऊदल--क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो उन्होंने कहा कि जमीन ली ही नहीं गई, इसके विपरीत मेरी सूचना है कि जमीन ले ली गई है और परती पड़ी है? क्या वे इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे और यह कि उनको लगान भी देना पड़ रहा है?

श्री धर्मसिंह--जमीन दो तरह से ली जाती है। एक टेम्पोरेरी तरीके से एक या दो साल के लिये ली जाती है। तो जिन किसानों ने इजाजत दे दी थी उनकी जमीन टेम्पोरेरी तौर पर ले ली गई थी और उसमें से मिट्टी उठाने की कार्यवाही की गई।

बिल्हौर को बिजली देने की प्रार्थना

*२९--**श्री मुरलीधर कुरील** (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर जिले के बिल्हौर कस्बे को वह कब तक बिजली देने पर विचार कर रही है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--इस कस्बे के विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

*३०--**श्री मुरलीधर कुरील** (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के कितने ग्रामों को बिजली दी जायगी तथा उनमें से जिला कानपुर के कितने ग्राम हैं?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--तृतीय पंचवर्षीय योजना में लगभग १५०० गांवों के विद्युतकरण का प्रस्ताव है। अभी इस बात का फैसला नहीं किया गया कि यह गांव कौन २ से होंगे।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा--क्या मन्त्री महोदय जिन गांवों के एक फर्लांग पर बिजली की लाइन गई है वहां इंडस्ट्री के लिये बिजली देने पर विचार करने की कृपा करेंगे?

नोट--तारांकित प्रश्न २९--३० श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा ने पूछे।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---कभी-कभी माननीय सदस्य धोखा खा जाते हैं। बड़ी हाई-टशन लाइनों से बिजली ली नहीं जाती। छोटी लाइन से ही बिजली ली जाती है। जब हम कोई योजना बनाते हैं तो यह देख लेते हैं कि उसमें सस्ता और अधिक फायदा हो सके।

श्री मोतीलाल अवस्थी---कानपुर जिले में जी० टी० रोड की बिजली की लाइन फैलाई गई है, उसके निकट कितने गांवों को बिजली देने पर सरकार विचार कर रही है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---ससैंडा, मौरा, राइया, भांति और सकरौल गांवों को देने के लिये।

*३१---**श्री राजाराम शर्मा** (जिला बस्ती)---[१९ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

रिहन्द डैम संबंधित थर्मल प्लाण्ट की भूमि

*३२---**श्री ऊदल**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरकार ने रिहन्द डैम का थर्मल प्लान्ट खोलने के लिये सोडा ऐश फैक्टरी से ४० एकड़ जमीन खरीदी है? यदि हां, तो कितने रुपये फी एकड़?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---जी नहीं, रिहन्द डैम से सम्बन्धित थर्मल प्लांट बनाने के लिये सोडा ऐश फैक्टरी से कोई जमीन नहीं खरीदी गई।

श्री ऊदल---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उस स्थान पर थर्मल प्लान्ट लगाने की कोई योजना सरकार ने बनाई है और वहां उसके लिये दफ्तर भी कायम कर दिया गया है? यदि हां, तो वह जमीन किस से ली गई है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---एक दफ्तर बनाने के लिये कुछ जमीन वहां ली गई और एक सब-स्टेशन बनाने के लिये ४१.२४ एकड़ भूमि उनसे ली गई और आप प्रश्न पूछेंगे इसलिये पहले ही जवाब दे दूं कि उस जमीन के दाम वही हमने दिये हैं जो उस फैक्टरी ने उस जमीन के लिये पहले दिये थे।

श्री ऊदल---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो जमीन ४१ प्वाइन्ट कुछ एकड़ ली है उसका सरकार ने कितना मुआवजा साहू फैक्टरी को दिया?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---साहू फैक्टरी को ४७,३३८ रुपये ४१ नये पैसे दिये गये हैं और यह वह दाम हैं जिनको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने रेकमेंड किया था और जो साहू फैक्टरी ने उनको दिये थे जिनसे जमीन ली थी। अभी तक उन्होंने इसको मन्जूर नहीं किया है।

श्री मदन पांडेय---क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि जिस जगह की यह जमीन ली गई है उस जगह जमीन का दाम एक हजार रुपये फी एकड़ से कम है और क्या माननीय मन्त्री जी इसकी जांच करा रहे हैं?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---जांच का कोई सवाल नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने यह रेकमेन्ड किया है कि साहू केमिकल्स को यह दाम दे दिये जायं जो उन्होंने उस जमीन के पहले मालिकान को दिये थे। जैसा मैंने कहा था, साहू केमिकल्स से उसकी अभी तक मन्जूरी नहीं आयी है।

श्री ऊदल---क्या मेरी बात को सूचना मान कर माननीय मन्त्री जी इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे कि जो जमीन थर्मल प्लान्ट के लिये साहू जैन से ली गई है उसका मुआवजा ८०० रुपया से ज्यादा एक एकड़ का उन्होंने नहीं दिया था?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—मैंने तो यह कहा कि साहू केमिकल्स से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने वह दाम तजवीज कर के दिलवाया था।

*३३—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—[१९ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

हरिजन कल्याण निदेशालय द्वारा ट्रकों का क्रय

*३४—**श्री तेजबहादुर** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि १९५७ में हरिजन कल्याण विभाग के निदेशालय द्वारा दो ट्रकें गयी थीं? यदि हां, तो क्रय करने तथा अन्य मदों में कुल कितना व्यय अब तक उन पर हो चुका है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, १९५७ में हरिजन कल्याण निदेशालय द्वारा दो ट्रकें खरीदी गई थीं। इनपर अब तक कुल ४३,१७५.४८ रु० व्यय हुआ है।

*३५—**श्री तेजबहादुर** (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि उक्त निदेशालय उन ट्रकों को किसी इस्तेमाल में नहीं लाता है? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें बेचने का विचार कर रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, इन ट्रकों को अभी तक किसी कार्य में नहीं लाया गया है। इनको बेचने का विचार नहीं है बल्कि इन्हें हरिजन औद्योगिक क्षेत्रों (Harijan Industrial Estates) में इस्तेमाल करने का इरादा है।

बांसडीह-सिकन्दरपुर सड़क का निर्माण

*३६—**श्री जगन्नाथ चौधरी** (जिला बलिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिले के अन्तर्गत बांसडीह से मनियर-सिकन्दरपुर तक जो सड़क पी० डब्लू० डी० द्वारा बनायी जा रही है उसके लिये सरकार द्वारा कितना रुपया स्वीकृत हुआ है?

श्री धर्मसिंह—इस सड़क का निर्माण निम्नलिखित दो भागों में स्वीकार किया गया है:—

		लागत रुपये
१—बांसडीह-दहतल	.. .. ..	२,००,०००
२—दहतल-सिकन्दरपुर	.. .. ..	६,८८,०००
	योग ..	८,८८,०००

*३७—**श्री जगन्नाथ चौधरी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त सड़क को बनाने के लिये कब से कार्य शुरू हुआ है और यह सड़क कब तक बन कर तैयार हो जायेगी?

श्री धर्मसिंह—१—बांसडीह-दहतल भाग का निर्माण कार्य अप्रैल, १९५६ ई० में आरम्भ किया गया था और दिसम्बर, १९६० ई० में पूर्ण हो चुका है।

२—दहतल-सिकन्दरपुर भाग का निर्माण कार्य जुलाई, १९५८ ई० से आरम्भ हुआ और आशा है कि आगामी २ वर्षों में पूरा हो जायेगा।

श्री जगन्नाथ चौधरी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दहतल-सिकन्दरपुर सड़क कितने मील लम्बी है और कितने मील सड़ कपूरा हो चुका है?

श्री धर्मसिंह---यह सड़क १५ मील एक फर्लांग है और थोड़ा बहुत कार्य उस पर हो चुका है ।

श्री जगन्नाथ चौधरी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस १५ मील लम्बी सड़क पर दो वर्ष के अन्दर जब थोड़ा बहुत कार्य ही हुआ है और सारा कार्य बाकी है, तो ऐसी स्थिति में क्या यह आशा की जाय कि अगले दो वर्षों में यह सड़क बन कर तैयार हो जायेगी ?

श्री धर्मसिंह---इस बारे में कोशिश तो पूरे तरीके से की जा रही है कि सड़क दो वर्ष में बन कर तैयार हो जाय ।

बलिया-सिकन्दरपुर सड़क पर जनुवान का पुल चौड़ा करने की प्रार्थना

*३८---श्री जगन्नाथ चौधरी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार का विचार बलिया जिले के अन्तर्गत बलिया से सिकन्दरपुर सड़क जो पी० डब्लू० डी० द्वारा बनायी गयी उस पर स्थित जनुवान का पुल तोड़ कर उसे सीधा करने का है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री धर्मसिंह---प्रथम भाग---जी नहीं ।

द्वितीय भाग---प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री जगन्नाथ चौधरी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस जनुवान-पुल पर कितने ऐक्सीडेंट हुये हैं और कितनी बार यह पुल टूटा है ?

श्री धर्मसिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या सरकार को यह मालूम है कि जनुवान का पुल जिस सड़क पर है वह सड़क बहुत चौड़ी है और उसके हिसाब से पुल बहुत छोटा है और वहां एक कर्व भी पड़ता है जिसके कारण दुर्घटनायें होती हैं ? इसको देखते हुये क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि उस पुल को और चौड़ा किया जाय ?

श्री धर्मसिंह---इन तमाम बातों के होते हुए भी हम उसे नहीं बनवा पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास धन की कमी है । इस कारण हम उसको कम्प्लीट नहीं कर सकते । सरकार तो चाहती है उसको पूरा करना, किन्तु वह धनाभाव के कारण मजबूर है ।

श्री जगन्नाथ चौधरी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब उस पर दो चार ट्रक उलट जायं, मोटर उलट जायं, तब सरकार के पास उसे बनाने के लिये पैसा हो जायेगा ?

श्री अध्यक्ष---फिर तो टूटी हुई मोटरें मिल जायेंगी (हंसी)

देवरिया जिले में छुआछूत मिटाने पर व्यय

*३९---श्री उग्रसेन (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)---क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद में सरकार द्वारा छुआछूत का भाव मिटाने के लिये १९५८-५९, १९५९-६० तथा १९६०-६१ में कितना धन व्यय किया गया है और प्रतिवर्ष कितना धन स्वीकृत था ?

नोट : तारांकित प्रश्न ३९-४० श्री रामस्वरूप वर्मा ने पूछा ।

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—देवरिया जनपद में छुआछूत का भाव मिटाने के लिये १९५८-५९, १९५९-६० तथा १९६०-६१ में क्रमशः २१५ रु०, १८९९·४२ तथा ८५०.७१ व्यय किया गया ।

उपरोक्त कार्य के लिये सरकार द्वारा १९५८-५९, १९५९-६० तथा १९६०-६१ के वित्तीय वर्ष में क्रमशः १,४२० रु०, ८०० रु० तथा ४०० रु० की धनराशि स्वीकृत हुई थी ।

*४०—**श्री उग्रसेन** (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त वित्तीय वर्षों में कितने सामूहिक भोज छुआछूत मिटाने के लिये देवरिया जनपद में दिये गये ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—वित्तीय वर्ष १९५८-५९ में कोई सामूहिक भोज नहीं किया गया था । वित्तीय वर्ष १९५९-६० में दो तथा १९६०-६१ में तीन सामूहिक चाय पानी का आयोजन किया गया ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—जब भोज का इन्तजाम नहीं किया गया तो कौन से तरीके छुआछूत को मिटाने के लिये किये गये जिन पर रुपया खर्च हुआ ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—५८-५९ में प्रचार कार्य में ६५ रुपये, हरिजनों के मुकदमों में १५०, कुल २१५ खर्च हुये । १९५९-६० में ५००रु० हरिजन उत्थान के लिये अनुदान में दिये गये । ९७४.४२ रु० अस्पृश्यता निवारण प्रचार कार्य में खर्च हुये । इसी तरह से अस्पृश्यता निवारण के प्रचार कार्य में और हरिजनों के मुकदमों में ये रुपये खर्च हुये ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो चाय पानी के आयोजन में व्यय हुआ है वह कितना-कितना और कब-कब व्यय हुआ है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—हरिजन सेवक समितियों को इस रुपये को खर्च करने का इन चीजों में पूरा अधिकार है । इस समय उसकी डिटेल तो मैं बता नहीं सकता ।

बलिया-बैरिया-रिविलगंज सड़क का निर्माण

*४१—**श्री गौरीशंकर राय**—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया-बैरिया-रिविलगंज रोड का उत्तरदायित्व सार्वजनकि निर्माण विभाग ने कब से सम्हाला ?

श्री धर्मसिंह—अप्रैल, १९५८ ई० से ।

*४२—**श्री गौरीशंकर राय**—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि (क) उक्त रोड का निर्माण कब प्रारम्भ हुआ, (ख) उक्त रोड का कितना भाग बन चुका है, और (ग) उक्त रोड के बनने का कार्य कब पूरा हो जायेगा ?

श्री धर्मसिंह—(क) दिसम्बर, १९५८ ई० में ।

(ख) लगभग २२ मीलों में मिट्टी का कार्य, ३३ प्रतिशत पुलियों का निर्माण कार्य, चार मीलों में ईंटों की सोलिंग तथा तत्पश्चात दो कोट गिट्टी की पिटाई का कार्य और दो मीलों में गिट्टी की भराई का कार्य पूर्ण हो चुका है ।

(ग) आगामी चार वर्षों में कार्य पूर्ण हो जाने की आशा है ।

*४३—**श्री गौरीशंकर राय**—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त रोड का estimate (प्राक्कलन) कितनी बार और कब-कब बदला गया ?

श्री धर्मसिंह—अभी तक एक बार भी नहीं ।

श्री गौरीशंकर राय——क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि पिछले ३ सालों में जिस गति से कार्य हुआ है, अगर उसी गति से कार्य आगे भी होता रहा तो क्या उनको यह आशा है कि अगले ४ साल में या ६ साल में वह कार्य पूरा हो जायेगा ?

श्री धर्मसिंह——सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि कार्य जल्दी पूरा हो ।

श्री गौरीशंकर राय——क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि वे कौन सी कठिनाइयां थीं जिनके कारण सरकार के प्रयत्न करने के बावजूद भी कार्य की गति इतनी मन्द रही ?

श्री धर्मसिंह——इसमें एक तो बांध का मामला था, दूसरे कुछ लैंड वगैरह मिलने में देरी हुई, वहां के लोगों को मिट्टी उठाने में भी कुछ कठिनाई दिखाई दे रही थी, कोयले का भी अभाव था जिससे ईंटे पकती हैं, यही सब कारण थे ।

श्री रामसुन्दर पांडेय——क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग के द्वारा एक वर्ष में कितने मील पक्की सड़क करने का कोटा नियत है ?

श्री गिरधारीलाल——इसकी कोई खास सीमा नियत नहीं होती, लेकिन तीन वर्ष में यह सड़क बननी चाहिए । पहले वर्ष में अर्थ वर्क होकर छोड़ दी जाती है बैदर के लिए । बारिश वगैरह होती है, फिर दूसरे वर्ष इंटर कोटिंग होता है और तीसरे वर्ष में माडर्नाइजेशन होना चाहिये साधारण तरीके से । लेकिन जैसा कि सड़कों का किस्सा है कि कहीं जमीन अक्वायर नहीं होती, बलिया की सड़क में बांध का सवाल है, ऊपर की सड़क निकालनी है । ऐसी बहुत सी समस्याएं आ जाती हैं जिसमें गैर मामूली समय लग जाता है ।

श्री गौरीशंकर राय——उत्तर से संबंधित । यह सड़क वैसी सड़क नहीं है, इरिगेशन डिपार्टमेंट की सड़क है जिसको पक्की सड़क में परिवर्तित करने के लिए लिया गया है । जब जमीन ले ली गयी, बांध इरिगेशन डिपार्टमेंट ने बना दिया तो यह कारण बताने का क्या कारण है कि मिट्टी नहीं मिल रही है वगैरह, इसकी सफाई और करें ?

श्री धर्मसिंह——अभी तो जैसा कि मैंने पहले कहा था, इरिगेशन डिपार्टमेंट से लिखा-पढ़ी हो रही है, यह ट्रांस्फर अभी हुई नहीं है । इसके अलावा ९ मील सड़क आगे बननी है, उसमें भी तो कुछ कार्यवाही होगी ।

*४४——**श्री शिवराम** (जिला बिजनौर)——[१८ अप्रैल, १९६१ के लिए प्रश्न ८५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*४५-४६——**राजा वीरेन्द्रशाह** (जिला जालौन)——[१९ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४७-४८——**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे** (जिला जौनपुर), **श्री गोविन्दसिंह विष्ट** तथा **श्री अवधेशप्रतापसिंह** (जिला फैजाबाद)——[१९ अप्रैल, १९६१ के लिए स्थगित किये गये ।]

सड़कों के लिए स्वीकृत धन

*४९——**श्री मुक्तिनाथ राय** (जिला आजमगढ़)——क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में कुल कितना धन पक्की सड़कों के निर्माण के निमित्त स्वीकृत हुआ है ?

श्री धर्मसिंह——६३५ लाख चालू योजना के लिये, २५२ लाख नई सड़कों के लिये ।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सार्वजनकि निर्माण मंत्री बतायेंगे कि कुल सड़क की मद के लिये ८८६ लाख रुपया स्वीकार हुआ है, तो क्या यह सही है कि इस सड़क के लिये केवल पौने दो प्रतिशत या २ प्रतिशत धन स्वीकार किया गया है ? यदि हां, तो इतना कम धन स्वीकार करने का क्या कारण है ?

श्री धर्मसिंह—उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तो पूरे तरीके से प्रयत्न किया गया है कि अधिक से अधिक धन प्राप्त हो।

श्री मुक्तिनाथ राय—अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रदेश में केवल पौने दो या दो प्रतिशत ही सड़क के लिए रखा गया है जबकि अवसर विधान सभा में मांग की गयी है कि जब तक हमारे पिछड़े क्षेत्र की सड़कों का निर्माण नहीं होगा, कोई विकास की संभावना नहीं है, तो क्या सड़क की मद में सरकार और धनराशि स्वीकार करने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—जहां तक विभाग की बात है, जितनी ज्यादा से ज्यादा सड़कें बन उतना ही अच्छा है और खुद भी कोशिश करते हैं क्योंकि जितनी मांगें हैं सड़कों की वह इसी विभाग से होती हैं। इसलिये वह जरूरत को महसूस करते हैं। लेकिन प्लानिंग कमीशन तो प्रायरिटी के अनुसार चीजों को लेता है। इसकी प्रायरिटी का चौथा या पांचवां नम्बर आता है और तब जो कुछ रुपया ऊपर से बचता है वह सड़कों पर इस्तेमाल किया जाता है।

*५०—**श्री रामदीन** (जिला मैनपुरी)—[हटा दिया गया।]

*५१-५३—**श्री मथुराप्रसाद पांडेय** (जिला बस्ती)—[१९ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

उन्नाव जिले में सड़कों की निर्माण योजना

*५४—**श्री सजीवनलाल** (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अन्तरिम जिला परिषद्, उन्नाव ने तृतीय योजना में किन-किन सड़कों को प्राथमिकता देने हेतु सुझाव भेजे हैं तथा सरकार ने उनमें से किन-किन सड़कों को तृतीय योजना में सम्मिलित किया है और उनकी प्रत्येक की लम्बाई कितनी है ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग—यह सूची सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है।

द्वितीय भाग—निम्नलिखित सड़कें तृतीय योजना में सम्मिलित कर ली गई हैं। उनकी प्रायरिटी प्रत्येक की लम्बाई सामने दी गई है :—

सड़क का नाम	लम्बाई
१—बांगरमऊ-जगतनगर	५ मील
२—विक्रमपुर-ऊंचागांव	१३ ,,
३—अचलगंज-गंगाघाट	६ ,,

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६५९ पर)

*५५-५६—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—[१९ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

बस्ती जिले में कुछ कस्बों को बिजली की आवश्यकता

*५७—श्री रामलाल (जिला बस्ती)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती के प्रसिद्ध कस्बे शोहरतगढ़, डुमरियागंज, मेहदावल, उस्का, नोगढ़ तथा मुन्डेरवा बाजार को अभी तक बिजली क्यों नहीं दी गई ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—मेंहदावल का विद्युतीकरण सन् १९६० में हो चुका है । शोहरतगढ़, नौगढ़ तथा उस्का बाजार का विद्युतीकरण लाभदायक न होने के कारण एवं डुमरियागंज और मुन्डेरवा बाजार का विद्युतीकरण द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सीमित धन-राशि के कारण नहीं हो सका ।

*५८—श्री रामलाल—क्या यह सत्य है कि मुन्डेरवा बाजार, डुमरियागंज और मानपुर में बिजली की लाइन है ? यदि हां, तो क्या वहां बिजली देने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—बिजली की लाइन इन जगहों के समीप है । इस समय केवल डुमरियागंज के विद्युतीकरण का प्रस्ताव है और उसके तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भिक काल तक होने की संभावना है ।

श्री रामलाल—क्या माननीय मंत्री जी मुंडेरवा बाजार में बिजली देने पर इस तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विचार करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—जरूर करेंगे ।

श्री मथुराप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उस्का बाजार, शोहरतगढ़ वगैरह को बिजली देना लाभदायक क्यों नहीं है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—लाभ का इतना सवाल नहीं है, अभी इनके नजदीक लाइन नहीं है । इर्रीगेशन के डीजेल इंजनों से थोड़ी सी रोशनी दे दी गई है ।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—मुन्डेरवा बाजार उस रोड पर है जहां से बिजली की लाइन पास होती है । फिर भी वहां बिजली क्यों नहीं दी जा रही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—उस पर विचार हो रहा है । जितना रुपया मिलता जायगा उस हिसाब से ज्यादा बिजली लगाते जायेंगे ।

*५९—श्री ऊदल—[चौदहवें गुरुवार के लिये प्रश्न १४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*६०-६१—श्री छेदीलाल (जिला खीरी)—[१९ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*६२-६३—श्री शोभनाथ (जिला मिर्जापुर)—[१९ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*६४—श्री रामसुन्दर पांडेय—[१९ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

*६५—श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—[१९ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

*६६-६७—श्री श्यामलाल (जिला मथुरा)—[१९ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

अतारांकित प्रश्न

मथुरा जिले को सड़कों की निर्माण योजना में न लेना

१—श्री टीकाराम पुजारी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह जिला मथुरा, तहसील सादाबाद, छाता और गांठ में तृतीय पंचवर्षीय योजना में किन-किन सड़कों का निर्माण करन जा रही है ?

श्री गिरधारीलाल—तीसरी पंचवर्षीय योजना में मथुरा जिले में किसी भी सड़क के निर्माण का प्रस्ताव नहीं है ।

नियम ५२ के अन्तर्गत लोक महत्व के प्रश्न

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ के अन्तर्गत एक प्रश्न मेरे पास आया है, लेकिन मैं उसको महत्व का प्रश्न नहीं समझता ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, शहर में आग लगे तब तो नियम ५२ के अन्तर्गत प्रश्न आ जाय और गांव में आग लगे तब इसे नियम ५२ के अन्तर्गत क्यों नहीं मानते ?

श्री अध्यक्ष—आपने कोई तारीख भी नहीं दी है कि कब आग लगी या कब क्या हुआ ।

कतिपय समितियों के लिए मनोनीत सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष—अब कुछ समितियों के सम्बन्ध में मैंने कई सदस्यों को मनोनीत किया है जिसकी सूचना देना चाहता हूं ।

मैं निम्नलिखित सदस्यों को कार्यमंत्रणा समिति के लिये १९६१–६२ वर्ष के लिये मनोतीत करता हूं—

१—श्री मंगला प्रसाद
२—श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट
३—श्री नवल किशोर
४—श्री रामजीलाल सहायक
५—श्रीमती बिन्दुमती दास
६—श्री महीलाल
७—श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा
८—श्री मदन पांडेय
९—श्री उग्रसेन
१०—श्री बलदेव सिंह
११—श्री टम्बरेश्वर प्रसाद
१२—श्री ऊदल
१३—श्री रामेश्वर प्रसाद

इसके अलावा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी इसमें रहेंगे । इस तरह से १५ आदमी समिति में हो जायेंगे ।

याचिका समिति

श्री अध्यक्ष--मैं निम्नलिखित सदस्यों को याचिका समिति के लिये १९६१-६२ वर्ष के लिये मनोनीत करता हूं--

१--श्री रामनारायण त्रिपाठी, उपाध्यक्ष .. सभापति
२--श्री जगदीश शरण अग्रवाल
३--श्री गज्जूराम
४--श्री गनेशीलाल चौधरी
५--श्री रामलखन मिश्र
६--श्री उबैदुर्रहमान
७--श्री मोहन सिंह मेहता
८--श्री अवधेश प्रताप सिंह
९--श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी
१०--श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव
११--श्री घनश्याम डिमरी
१२--श्री अब्दुल रऊफ लारी
१३--श्री हिम्मत सिंह
१४--कुंवर श्रीपाल सिंह
१५--श्री देवनारायण भारतीय

अधिष्ठाता मंडल

श्री अध्यक्ष--मैं अधिष्ठाता मंडल के लिये निम्नलिखित सदस्यों को मनोनीत करता हूं।

१--श्रीमती चन्द्रावती
२--श्री वीरसेन
३--श्री लक्ष्मीनारायण बंसल
४--श्री सुरेश प्रकाश सिंह
५--श्री जगदीश प्रसाद
६--श्री गेंदा सिंह
७--कुंवर श्रीपाल सिंह
८--श्री गयाबख्श सिंह
९--श्री चन्द्रजीत यादव
१०--श्री सुल्तान आलम खां

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--अधिष्ठाता मंडल के सदस्यों में एक भी आदमी सोशलिस्ट पार्टी का नहीं दिखलायी पड़ता है, यह आपसे मेरी शिकायत है।

आश्वासन समिति

श्री अध्यक्ष--१९६१-६२ की आश्वासन समिति के लिये मैं निम्नलिखित सदस्यों को मनोनीत करता हूं।

१--राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे .. सभापति
२--श्री शिवमंगल सिंह
३--श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा
४--श्री काशीप्रसाद पांडेय

५—श्री गनेशचन्द्र काछी
६—श्री जगदीश प्रसाद
७—श्री अतीकुल रहमान
८—श्री लक्ष्मणराव कदम
९—श्री जगन्नाथ प्रसाद
१०—कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री
११—श्री इन्दुभूषण गुप्त
१२—श्री रामकुमार वैद्य
१३—श्री जंगबहादुर वर्मा
१४—श्री अहमद बख्श
१५—श्री तिरमल सिंह

प्रतिनिहित विधायन समिति

श्री अध्यक्ष—मैं प्रतिनिहित विधायन समिति १९६१-६२ के लिये निम्नलिखित सदस्यों को मनोनीत करता हूं—

१—श्री मदन मोहन वर्मा—सभापति
२—श्री सूरतचन्द रमोला
३—श्री ब्रजभूषण शरण
४—श्री सोहन लाल धुसिया
५—श्री लक्ष्मीनारायण बंसल
६—श्री तेजबहादुर सिंह
७—श्री द्वारिका प्रसाद मित्तल
८—श्री हरीशचन्द्र अष्ठाना
९—श्री सईद अहमद
१०—श्रीमती बिन्दुमती दास
११—श्री महमूद अली खां (मेरठ)
१२—श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव
१३—श्री शिव शंकर सिंह
१४—श्री अवधेश कुमार सिंह
१५—श्री अमर नाथ मिश्र

बाकी समितियों के लिये मैं कल सूचना दूंगा।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमन्, मेरा नाम कहीं नहीं आया। आगे वालों का नाम आ गया, लेकिन पीछे बैठने की वजह से मेरा नाम रह गया।

श्री अध्यक्ष—आप सबसे बड़ी समिति के सभापति हैं। (हंसी)

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, मैं आपको सूचना दे देना चाहता हूं कि जब समितियों में हर पार्टी के लोग रखे जाते हैं तो विशेषाधिकार समिति में एक भी सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य न रखे जाने का क्या मतलब है? या तो आप इसको भूल गये होंगे या उस पार्टी को नगण्य समझते होंगे या हमें अविश्वास के पात्र मानते होंगे।

श्री अध्यक्ष—इस तरह की चीज तो नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है कि विशेषाधिकार समिति का अभी कोई निर्णय मैं नहीं ले रहा हूं, क्योंकि विशेषाधिकार समिति की पिछली रिपोर्ट अभी आयी नहीं है। उसके आने पर विचार किया जायगा और मैं सोचता हूं कि रिपोर्ट आ जाने के बाद ही कोई निर्णय करूं और मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी के सदस्य भी उसमें रहेंगे। लेकिन पहले उसकी रिपोर्ट आ जाना चाहिये, क्योंकि आधा काम जो रह गया है वह पूरा हो जाय इसलिये अभी परिवर्तन करना ठीक न होगा कि नयी समिति उस पिछले काम में कुछ गड़बड़ या चेन्ज करे।

१९६१–६२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—
अनुदान संख्या १८—पुलिस (क्रमागत)†

***श्री रघुवीरसिंह** (जिला मेरठ)—अध्यक्ष महोदय, कल मैंने अपने भाषण में बताया था कि पुलिस विभाग में इधर काफी तत्परता और कार्यकुशलता आई है और जब से हमारे वर्तमान गृह मंत्री जी के पास यह विभाग आया है तब से उन्होंने बहुत से प्रेरणात्मक कार्य किये हैं और कदम उठाये हैं। एक बात मैं आपके द्वारा सदन के माननीय सदस्यों के नोटिस में लाना चाहता हूं कि इस विभाग में और दूसरे विभागों में भी पहले एडमिनिस्ट्रेशन में इन्टरफीयरेंस आमतौर से होता रहा है और इस चीज की शिकायत आमतौर से विरोधी दल के सदस्य भी करते रहते हैं और इसका फल यह होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में डिमारेलाइजेशन और इनएफिशियेंसी आती है। अब हमारे गृह मंत्री जी ने फैसला किया है और हिदायत दी है कि किसी तरह भी पब्लिक इन्टरफीयरेंस एडमिनिस्ट्रेशन में न होगा। हमने कई मामलों में देखा है कि अगर किसी भी कर्मचारी ने एम० एल० ए० द्वारा या और किसी व्यक्ति द्वारा अपने ट्रान्सफर के सम्बन्ध में या किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही अगर हो जाती थी तो उसके सम्बन्ध में कोई सिफारिश पहुंचाई तो उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ ऐक्शन लिया है। यह बहुत ही सराहनीय कदम है, इससे एडमिनिस्ट्रेशन में एफीशियेंसी बढ़ेगी।

दूसरी घोषणा माननीय गृह मंत्री ने यह की है कि अगर विभाग में कहीं करप्शन होगा या किसी अफसर या कर्मचारी द्वारा ढिलाई, उदासीनता या इनएफीशियेंसी दिखाई जाती है तो बड़े कर्मचारियों के खिलाफ खास तौर से सख्त कार्यवाही की जायगी बजाय उन छोटे कर्मचारियों के जो उनके अन्डर में काम करते हैं। जिन्होंने गलती की है उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायगी। आम तौर से जो करप्शन होता है या जो एडमिनिस्ट्रेशन में गड़बड़ी होती है या बुराई होती है उसकी जिम्मेदारी बड़े कर्मचारियों पर होती है, अगर उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी तो उससे एडमिनिस्ट्रेशन में एफीशियेंसी आयेगी और काम अच्छे ढंग से चलेगा।

दूसरे, यह भी देखा गया है कि पिछले जमाने में हमारे जो आई० जी० व डी० आई० जी० वगैरह बड़े अफसर होते थे वह कभी देहातों में नहीं जाते थे। लेकिन जब से मंत्री महोदय के पास यह विभाग आया है अब आई० जी० और डी० आई० जी० तक देहातों में जाते हैं और वहां जाकर रात को ठहरते हैं और वहां वह गांवों की दशा को और वहां के पुलिस कर्मचारियों के काम को देखते हैं और इसका असर यह हुआ है कि अब हर कर्मचारी समझता है कि कोई गांव तक का छोटे से छोटा कर्मचारी मंत्री जी की नजर से नहीं बच सकता और अगर किसी की कोई गलती पाई जायगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। इस तरह के कदम से जनता में एक विश्वास पैदा हुआ है और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सुधरा है। अब लोग समझने लगे हैं कि पुलिस हमारी है और वह हमारी रक्षा कर सकती है।

इसके साथ साथ मैं दो, एक सुझाव माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं। एक तो यह है कि पुलिस विभाग के द्वारा एक बैड करेक्टर्स की सूची तैयार की जाती है और उसके बनाने में हर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†४ अप्रैल, १९६१ की कार्यवाही से।

जिले में थोड़ी सी लापरवाही बरती जाती है और कहीं कहीं उसमें फेवरेटिज्म भी चलता है। आम तौर से सारे सूबे के हर जिले में देखने में आता है कि पुलिस के कुछ टाउट्स होते हैं जो पुलिस के एजेंट्स होते हैं, वह तमाम तरह के गलत काम करते हैं और उनके पीछे पुलिस का एक आतंक होता है और वह रिश्वत लेते हैं पुलिस के नाम से कि हम यह काम करा देंगे, वह करा देंगे। मैंने ऐसा भी देखा है कि कहीं-कहीं ऐसे पुलिस के टाउट्स हैं जो सट्टा और जुआ खेलते हैं लेकिन पुलिस के साथ रात-दिन उनका उठना बैठना रहता है। मैंने अपने जिले के बारे में पिछले साल इस तरह की बात एस० एस० पी० और डी० आई० जी० की नोटिस में रखी और उसमें सुधार भी हुआ है, लेकिन अभी तक वह चीज अच्छे ढंग से नहीं हो पाई है। तो मैं मंत्री जी से दरख्वास्त करता हूं कि इन लिस्टों को दोबारा बनवाएं और जो टाउट्स लोग हैं या इस तरह के बैड करेक्टर्स हैं उनकी लिस्ट तैयार कराई जाय। ऐसे लोगों से पुलिस वाले संबंध न रखें, ऐसी हिदायत होनी चाहिए और उनसे कोई मदद न ली जाय, क्योंकि उनकी मदद लेने से करप्शन बढ़ता है और पुलिस वालों की बदनामी होती है। तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में काफी सुधार होगा। मेरी राय यह है कि एक कमेटी बना दी जाय प्रदेशीय स्तर पर या कम से कम जिले में जो इस तरह के लोगों की जांच-पड़ताल करे और पुलिस की नोटिस में लाए और पुलिस न सुने तो ऊपर रिपोर्ट करे और वह इस बात का प्रचार करे कि ये टाउट्स हैं, ये बैड कैरेक्टर्स हैं, इनसे लोगों को होशियार रहना चाहिए और पुलिस को भी होशियार रहना चाहिए। इससे बहुत से जो सट्टे, जुआ, चोरी और फौजदारी आदि के काम होते हैं उनमें बहुत कुछ कमी हो जाएगी।

एक चीज जो मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं वह यह है कि आम तौर पर अब तक यह देखा गया है कि पुलिस विभाग के ही नहीं बल्कि दूसरे विभागों के कर्मचारियों के खिलाफ भी अगर पब्लिक की तरफ से करप्शन की शिकायतें या किसी तरह की दरख्वास्तें आती हैं तो वह घूमते-फिरते उसी कर्मचारी के पास पहुंच जाती हैं जिसके खिलाफ शिकायत होती है। उसका नतीजा यह होता है कि उस कर्मचारी को पता लग जाता है और वह शिकायत करने वाले को परेशान करता है और कोशिश करता है कि किसी तरह से उसको जाल में फंसाकर बदला लिया जा सके। तो इसमें भी सुधार होना चाहिए।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि डी० एस० पी० जो कम्प्लेन्ट आफिसर होता है, इसका रैंक कुछ और होना चाहिए, कोई बड़ा आफिसर होना चाहिए, क्योंकि इसे यह अधिकार नहीं होता है कि हाई रैंक के आफिसर के खिलाफ कोई कार्यवाही कर सके। यह एस० एस० पी० के मातहत होता है। जिले में मैंने यह भी देखा है कि कहीं-कहीं थानेदार या सर्किल इंस्पेक्टर्स एस० एस० पी० के गुड बुक्स में होते हैं और उनके खिलाफ कोई शिकायत होती है तो यह कोशिश की जाती है कि उनके खिलाफ कोई बात न होने पावे और कम्प्लेंट आफिसर को इंफ्लूएंस किया जाता है। तो कम से कम एस० एस० पी० के रैंक का कोई आदमी कम्प्लेंट आफिसर होना चाहिए।

मैं एक सुझाव और रखना चाहता हूं। पुलिस विभाग में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला और खतरों का मुकाबला करने वाला या मौत का मुकाबला करने वाला जो होता है वह कांस्टेबिल होता है और दूसरे नम्बर पर सब-इंस्पेक्टर होता है। ये दोनों ऐसे व्यक्ति हैं पुलिस में जिनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, रात को और दिन को घूमना पड़ता है, कोई झगड़ा हो या फौजदारी का अंदेशा हो या डाकुओं का सामना हो तो सबसे पहले इन्हें भागना पड़ता है और मौत का मुकाबला करना पड़ता है। इनका जो पे-स्केल है वह उनकी मेहनत को देखते हुए और उनके खतरों को देखते हुए बहुत कम है। हालांकि मैं जानता हूं सरकार के पास इतने साधन नहीं हैं कि इतनी बड़ी संख्या में कांस्टेबिलों की तनख्वाह बढ़ायी जा सके जिससे वह अपने कुटुम्ब का अच्छी तरह से गुजारा कर सकें, लेकिन सरकार को कोई न कोई उपाय जरूर सोचना चाहिये। मेरी राय में १०० रु० कम से कम कांस्टेबिल की तनख्वाह होनी चाहिये। जब तक ऐसा नहीं होगा एडमिनिस्ट्रेशन में एफीशियेंसी नहीं आयेगी, मर जाने की लगन पैदा नहीं होगी, क्योंकि उनको अपने जीवन के व्यतीत करने से बेफिक्री नहीं है। इसलिये मैं मंत्री जी से दरख्वस्त करूंगा कि किसी तरह से

[श्री रघुवीरसिंह]

भी हो, अगर १०० रुपये न कर सकें, तो भी कुछ उनकी तनख्वाह बढ़ानी चाहिये। कोई साधन निकाल कर, किफायतशारी करके या जो वह मुनासिब समझें उस तरीके को अपना कर, कांस्टेबिल की तनख्वाह बढ़ानी चाहिये।

श्री राजेन्द्रसिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हर साल बजट में इस विभाग के अन्तर्गत रकम बढ़ती रहती है। यह पैसा इसलिये बढ़ाया जाता है कि प्रदेश में सुरक्षा और शान्ति हो। पर ऐसा नहीं होता है। आज पुलिस इसमें असमर्थ है और मैं तो कह सकता हूं कि पुलिस अपनी ही रक्षा नहीं कर सकती है तो जनता की क्या रक्षा करेगी? फर्रुखाबाद जिले में १९५९ में महमूदाबाद थाने में एक दरोगा को पीटा गया और उनके घर का सामान बदमाश लूट ले गये। १९६० में शमशाबाद थाने में दरोगा के यहां चोरी हुई और आज तक उसका पता नहीं चल सका। तीसरी मिसाल और है, १९६० में कायमगंज थाने में हेड कांस्टेबिल, जो थाने में रहते हैं, उनका माल बदमाश लूट ले गये और उनको पीटा भी। तो इससे स्पष्ट है कि पुलिस आज अपनी ही रक्षा करने में असमर्थ है।

इसी तरह से सभी लोग मानते हैं कि रिपोर्ट सही नहीं लिखी जाती हैं। अगर कोई मुसीबतजदा आदमी वहां पहुंचे तो यह व्यवस्था नहीं है कि उससे शान्ति से पूछा जाय कि क्या रिपोर्ट लिखाना चाहता है। सबसे पहले हेडकांस्टेबिल, थानेदार गाली गलौज करते हैं और जो रिपोर्ट वह गरीब लिखाना चाहता है उससे वह महरूम हो जाता है। यदि कोई रिपोर्ट लिखी जाती है तो पुलिस वाले अपनी मरजी के मुताबिक लिखते हैं जिसमें पार्टी के आधार पर, जो उनके दलाल क्षेत्रों में लगे हुए हैं, रिपोर्ट लिखी जाती है। यहां तक होता है कि जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, जिनसे पुलिस नाराज है, उनके नाम या उनके घर वालों के नाम लिखे जाते हैं।

इसी तरह से पुलिस में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है वह कुछ इने गिने लोग कराया करते हैं। पुलिस का अत्याचार आज चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। मेरे जिले में १९६० में आजकल पुलिस का यह हाल है कि मारना, पीटना, हाथ पैर तोड़ देना मामूली बात है। थाने में बुलाकर इतना मारते हैं कि आदमी मर जाते हैं। अभी १९६० में फर्रुखाबाद जिले में कोतवाली थाने में एक मनोहर हरिजन को बुलाया गया और उसको बन्द करके इतना मारा गया कि वह शाम तक थाने में ही मर गया और उसका पोस्टमार्टम कराया गया।

तो देखा जाय कि प्रदेश की पुलिस जिसके लिये आज बड़ा ढोल पीटा जाता है उसमें सुधार हुआ है या अत्याचार, अनैतिकता और भ्रष्टाचार बढ़ा है? मैं आपसे यह भी कहूंगा कि पुलिस की जो ज्यादती है अभी हाल में ही कायमगंज थाने में धोबिया ग्राम में कत्ल हो गया। उसमें पुलिस ने जाकर दूसरे ही दिन गांव को लुटवाया और मकानों को खुदवाया। दो, एक जगहों पर कायमगंज के थानेदार साहब ने ये चीजें की हैं। अगर कहीं डकैतों का मुकाबला करना है तो कायमगंज के थानेदार दुम छिपा कर बैठ रहते हैं और थाना लूटा जाता है लेकिन उनको होश नहीं रहता। कायमगंज थाने में कत्ल की आम शिकायत है। महीने में एक, दो कत्ल वहां हो जाया करते हैं और वहां की पुलिस कोई व्यवस्था करने में असमर्थ है। लेकिन किसी सार्वजनिक कार्यकर्त्ता की गलती हो या न हो, उसके खिलाफ कार्यवाही बड़ी आसानी से वह पुलिस वहां करती है।

मुझे यह भी निवेदन करना है कि पुलिस बजट में कुछ कर्मचारियों के लिये धन रखा गया है विशेष पेन्शन के रूप में, तो मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन साथ-साथ यह बात भी कहना चाहता हूं कि यदि आप पुलिस कर्मचारियों को विशेष धन देकर उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं तो उसी तरह से जो जनता गांव में डकैतों का मुकाबला करने में हमारे साथ है उसके लिये भी व्यवस्था आपको करनी चाहिये ताकि जनता में ऐसी मनोवृत्ति बने कि वे लोग

भी डकैतों का सामना करें । इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगले बजट में ऐसी व्यवस्था की जाय कि गरीब जनता के लिये भी कुछ न कुछ पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिये ।

यह भी कहा गया है कि चौकीदार रखे जायं, लेकिन मेरा सुझाव है कि ऐसे चौकीदार न रखे जायं जो सिपाही, हेड कांस्टेबिल तथा थानेदार के गुलाम हों और जैसा उनसे चाहें वैसा करा लें। यदि आप चौकीदार रखना चाहते हैं तो चौकीदार कुछ शिक्षित हों, उनका वेतन अधिक हो ताकि अच्छी तरह से वे कार्य कर सकें । यदि इस प्रकार के चौकीदार होंगे कि उनसे जैसा थानेदार या सिपाही चाहेंगे लिखा लें तो ऐसे चौकीदारों से ग्रामीण जनता का कोई भला होने वाला नहीं है ।

जो आंकड़े दिये गये हैं उनमें यह बात साफ कही गई है कि कत्ल, डकैती तथा राहजनी की संख्या बढ़ी है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि बजट आप बढ़ाते जाते हैं और संख्या में कोई कमी नहीं होती, प्रतिवर्ष बढ़ती जाती है । आप देखें कि भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है । आपके दिये हुये आंकड़ों से ही मालूम होता है कि भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है । कम्पलेंट आफिसर जांच के लिये रखे गये हैं, लेकिन कितनी जांचें उन्होंने पुलिस विभाग की कीं और उनमें कितने मुकदमें कामयाब हुये । कम्पलेंट आफिसर पुलिस विभाग के डिप्टी एस० पी० होते हैं और जो कम्पलेंट्स होती हैं वे पुलिस विभाग की होती हैं । उनमें पक्षपात होता है और सही जांच नहीं होती है । किसी थानेदार ने अगर रिश्वत ली है, सबूत भी मिल जाता है लेकिन परिणाम भी यही होता है कि उसमें कुछ नहीं हुआ । हम लोगों को यह जवाब वहां जिले के कप्तान दे दिया करते हैं कि जो कम्पलेंट भेजी गई वह साबित नहीं हुई, उसमें सबूत नहीं मिला है । इसलिये कोई कार्यवाही इसमें नहीं हो सकती ।

आज हम यह भी देखते हैं कि पुलिस के उच्च अधिकारी छोटे कर्मचारियों के साथ अन्याय करते हैं । यह देखा गया है कि विभागीय कार्यवाही के लिये दफा ७ जो है वह सिपाही, हेड-कांस्टेबिल तथा थानेदार के ऊपर ही अमल में लाई जाती है । उसमें हर व्यक्ति ३–३, ४–४ साल परेशान होता है । उसके लिये भी यह व्यवस्था नहीं है कि दफा ७ के लिये कोई समय मुकर्रर हो कि इतने समय में दफा ७ की विभागीय कार्यवाही खत्म हो जायगी । इसके लिये आपको व्यवस्था करनी चाहिये और जो कम तनख्वाह वाले लोग हैं, जो वर्षों तक मुअत्तिल पड़े रहते हैं उनकी भी सुनवाई करनी चाहिये ।

जैसा कि सभी माननीय सदस्यों ने कहा है, आज डकैती उन गांवों में कम होती हैं जहां दो, एक बन्दूकों के लाइसेन्स दिये गये हैं । जैसा कि माननीय सदस्यों ने भी कहा है और मैं भी सुझाव देता हूं कि हर गांव में कम से कम दो, एक लाइसेन्स बन्दूकों के जरूर होने चाहिये ताकि समय पर वे डाकुओं का मुकाबला कर सकें । एक तरफ तो आप गांवों में डिफेन्स सोसायटी बनाते हैं, एस० पी० भाषण करते हैं कि डाकुओं का मुकाबला करो, लेकिन बन्दूक के लाइसेन्स देते नहीं हैं । कहीं लाठियों से डाकुओं का मुकाबला हो सकता है ? मैं अपने जिले की बात कहता हूं कि कई जगह डाकुओं का मुकाबला लोगों के पास लाइसेन्स न होने पर जो उनके पास उपलब्ध साधन थे उनसे किया और डाकुओं को मारा है । तो यह भी सरकार को सोचना चाहिये कि अधिक से अधिक लाइसेन्स उदारतापूर्वक दें । अभी कल ही एक माननीय सदस्य के जवाब में बताया गया कि जिलाधीशों को ऐसे आदेश दिये गये हैं कि लाइसेन्स देने में उदारता बरतें, लेकिन ऐसा होता नहीं है । जिलाधीश इस बात को देखते हैं कि किस का कितना लगान है, उसकी क्या हैसियत है और दरख्वास्तों को खारिज कर दिया करते हैं । पुलिस कप्तान रिकमेंड भी करते हैं कि उनको लाइसेन्स मिलना चाहिये, लेकिन लाइसेन्स देना जिलाधीश की इच्छा पर है । कहीं ऐसे लोगों को लाइसेन्स दे दिये जाते हैं जो उसको डिजर्व नहीं करते और जिनको आवश्यकता होती है उनको लाइसेन्स नहीं मिल पाते हैं ।

आज निगरानी की प्रथा जो चल रही है उसमें जिस व्यक्ति की एक बार निगरानी खुल गई वह फिर बन्द होनी बहुत मुश्किल है । चाहे उसका चाल-चलन ठीक भी हो फिर भी वह

[श्री राजेन्द्र सिंह यादव]

जीवन भर निगरानी के चक्कर में रहता है और इस बात को पुलिस चाहती रहती है कि जो भला आदमी बनना चाहता है उसको भी बदमाश बनाये रहें। इसलिये जिन लोगों की निगरानी खुली हुई है और जिनकी कोई शिकायत नहीं है उनकी निगरानी बन्द कर देनी चाहिये। यदि सरकार इस ओर ध्यान दे तो इसमें बहुत सुधार हो सकता है। बहुत से लोग अच्छा बन कर समाज के अन्दर रहना चाहते हैं, लेकिन पुलिस उनको बदमाश बनाये रहती है। इसलिये इसमें भी सुधार होना चाहिये।

आज यह भी देखने में आता है कि कुछ पुलिस चौकियां खोल रखी हैं, हमारे यहां संकिशा में एक चौकी खुली हुई है लेकिन वहां चौकी के आस पास ही वे लोग कोई गश्त नहीं करते हैं और एक, एक रात में तीन-तीन गांवों में चोरियां हुईं लेकिन उन्होंने इस बात की भी परवाह नहीं की। रिपोर्ट पता नहीं लिखी जाती है या नहीं लिखी जाती है। यह तो सर्वमान्य है कि थानों में रिपोर्ट दर्ज नहीं होती हैं और थानेदार इस बात की कोशिश करता है कि मेरे यहां जरायम के नम्बर न बढ़ने पायें। तो इस बात के लिये व्यवस्था होनी चाहिये कि थाने में जो रिपोर्ट लिखाने जाय तो उसकी रिपोर्ट दर्ज की जाय।

*श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस बजट जो आज हमारे सामने पेश है उस पर बहुत सी तकरीरें हुईं। जिस वक्त माननीय वित्त मंत्री जी इस सदन में अपनी बजट स्पीच दे रहे थे तो मैं यह सोचता था कि शायद पुलिस डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज के मुताल्लिक कोई जिक्र किया जायगा। लेकिन मैंने उस रिपोर्ट के पन्नों को पलटा और मुझे फाइनेन्स मिनिस्टर की तकरीर में कोई भी उसका जिक्र नहीं मिल सका। लेकिन उसके बाद मुझे एक छोटी सी पुस्तक मिली जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज का जिक्र है और इससे किसी न किसी हद तक मेरी जानकारी में इजाफा हुआ। मैं ऐसा मानता हूं कि पुलिस डिपार्टमेंट एक तरह से प्रीप्लान्ड डिपार्टमेंट है। अगर ला ऐन्ड आर्डर मेन्टेन नहीं हो सकता तो कोई भी तरक्की, चाहे प्लानिंग की हो, कृषि की हो या किसी की भी हो, मुमकिन नहीं हो सकती है और इसी ऐतबार से हम पुलिस डिपार्टमेंट पर गौर करें और इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें तो कारआमद नतीजे निकल सकते हैं।

मैंने यह देखा है कि पुलिस डिपार्टमेंट पर १९४५–४६ में जो रुपया सर्फ किया जाता था आज उससे काफी ज्यादा सर्फ होने लगा है। मेरा ऐसा खयाल है कि तकरीबन उस वक्त ५–६ करोड़ रुपया पुलिस डिपार्टमेंट पर सर्फ किया जाता था और आजकल इस डिपार्टमेंट पर दस करोड़ रुपये के करीब सर्फ होता है। लेकिन इसके साथ ही साथ आजकल हम २१ करोड़ रुपये से भी ज्यादा सर्फ कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक जमाना था कि जब पुलिस डिपार्टमेंट पर जितना रुपया सर्फ होता था वह एजूकेशन डिपार्टमेंट से कहीं ज्यादा होता था। लेकिन इस नियोजन के युग में जहां हम अपने सूबे में १५४ करोड़ रुपया सर्फ करने जा रहे हैं वहां तकरीबन दस करोड़ रुपया पुलिस डिपार्टमेंट पर सर्फ करेंगे, और एजूकेशन डिपार्टमेंट पर तकरीबन २१ करोड़ रुपया सर्फ करेंगे। मैंने यह अंदाजा लगाया है कि यह खर्चा पहले १४ परसेंट था, जो घटकर अब सिर्फ ७ परसेंट रह गया है।

मेरे कहने का मतलब यह है कि यह सही है कि हम एक ऐसे जमाने से गुजर रहे हैं कि जब डेमोक्रैसी हमारे यहां आ चुकी है और आज हमें इस बात का फिक्र है कि हम अपने देश में अपने सूबे में वेलफेयर स्टेट कायम कर रहे हैं और बड़ी हद्द तक वह कायम भी हो गई है। लेकिन फिर भी मैं ऐसा महसूस करता हूं कि बावजूद इसके कि हम अपने यहां वेलफेयर स्टेट कायम करें, अपने यहां सोशलिस्टिक पैटर्न लायें, हमें इस बात की जरूरत है और रहेगी, ताकि हमारे यहां ला ऐन्ड आर्डर का मेन्टीनेन्स सही तौर पर हो सके, हमारे यहां की पुलिस बहुत ऐफीशियेंट हो जिससे

*वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया।

हम अपने यहां जरायम को रोकने में कामयाब हो सकें । मैंने इस एतबार से बजट को देखने की कोशिश की है । मैंने यह भी देखा है कि बजट की जो स्पीच होम मिनिस्टर ने दी है, हालांकि उन्होंने एकोमोडेट करने के लिये इब्तदा में बहुत ही कम कहा है लेकिन ऐसी उम्मीद है कि आखिर में वह सब चीजों का जवाब देंगे । लेकिन दो, तीन बातें जो उन्होंने अपनी स्पीच में रखी हैं, उनके लिये मैं उनको बधाई देता हूं ।

खास तौर से हमारे होम मिनिस्टर ने पेंशन की स्कीम का जिक्र किया है । जो पुलिस के अधिकारी जरायम को रोकने में अपनी जान दे देते हैं उनकी पेंशन बढ़ा दी गई है और इस काबिल उनको बनाया है कि उनके मरने के बाद उनके खानदानी और वारिस आराम से अपनी जिन्दगी बसर कर सकें । इससे उनके मोरेल पर अच्छा असर पड़ेगा । इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं ।

इस बजट में स्पेशल पुलिस फोर्स के लिये भी कुछ सुविधायें दी गई हैं । यह भी बहुत अच्छी चीज है । लेकिन एक बात जिस पर मैं उनकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं वह यह है कि पुलिस की बाबत बहुत सी बातें होती हैं । पुलिस में करप्शन है। सही है । न सिर्फ पुलिस, बल्कि कोई दुनिया का ऐसा शोबा नहीं है जिसमें करप्शन न हो । लेकिन अगर हम इस पर गहराई से जाने की कोशिश करें तो हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि इस करप्शन के जहां और वजूहात हैं वहां उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि जो हमारे कर्मचारी इतने जरूरी काम में लगे हुये हैं उनको हम वेतन बहुत कम देते हैं । हमारा मिलिटरी फोर्स हमें बाहरी सुरक्षा देता है और हमारा पुलिस फोर्स हमें अन्दरूनी सुरक्षा देता है । उनकी तनख्वाह जो हमारे यहां मुकर्रर है वह बहुत कम है । मिसाल के तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि आज जो चौकीदार है, जिसको शायद पहले ३ रुपये १४ आने मिलते थे, अब बढ़ कर वह ६, साढ़े ६ रुपये हो गये हैं ।

दुनिया में किसी गवर्नमेंट का कोई ऐसा मुलाजिम नहीं होगा जो ६ रुपये की तनख्वाह पर काम करता हो । दिन भर काम करे, रात में बदमाशों की चेकिंग करे और रोज आकर थाने में रिपोर्ट करे । यह मुमकिन नहीं है । यही वजह है कि सीताराम कमेटी ने जो बहुत सी सिफारिशें की थीं उनमें से एक यह भी थी कि चौकीदारों को खत्म करके उनकी जगह पर बीट कांस्टेबिल मुकर्रर किये जायं । इसका भी बजट में कोई तजकिरा नहीं है । मेरा खयाल है कि यह स्कीम अभी पूरे तरीके पर इम्प्लीमेंट नहीं हुई है । यह बात सही है कि हमारे यहां एक दूसरा पुलिस कमीशन बैठा हुआ है । उसके काफी बड़े टर्म्स आफ रेफरेंस हैं और उसकी रिपोर्ट का हमें इंतजार है । वह दो महीने में आ जायगी । लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद हमें इस बात पर गौर करना चाहिये कि हम पुलिस फोर्स की तनख्वाह बढ़ाने के लिये क्या कर सकते हैं । मैं जानता हूं कि आज जो तनख्वाहों का मामला है वह सभी कर्मचारियों और अधिकारियों का है, लेकिन फिर भी हमें पुलिस को प्रायरिटी देनी पड़ेगी और जिन पर हम सुरक्षा का भार डालते हैं उनकी तरफ हमें खास तौर पर तवज्जह करनी पड़ेगी ।

हम वेलफेयर स्टेट का दावा करते हैं और सही है, हम वेलफेयर स्टेट में जा रहे हैं । लेकिन जो आज दुनिया की हालत है उससे हम अपनी आंखें बन्द नहीं कर सकते । हमारे सामने इस वक्त बार्डर का सवाल है, मुल्क के अन्दर एस्पायोनेज का सवाल है, हमारे अन्दर बहुत सी कम्युनल कंट्रोवर्सीज उठती हैं, जिनको हमें रोकना है । हमें स्पेशल आपरेशन्स भी करने पड़ते हैं, खास तौर पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बार्डर पर आपरेशन्स करने पड़ते हैं । इन सब कामों में जिनको लगाया गया है उनकी तरफ खास तौर पर तवज्जह करनी पड़ेगी । अगर हम तवज्जह नहीं करेंगे तो जिस करप्शन का हम बार-बार जिक्र करते हैं वह पूरे तौर से रोका नहीं जा सकता ।

एक चीज लाऐन्ड आर्डर के सिलसिले में मैं और अर्ज करना चाहता हूं । वह यह है कि लाऐन्ड आर्डर जो हमारा है उसका इंतजाम पुलिस के हाथ में है । लेकिन यह भी सही है कि

[श्री सुल्तान आलम खां]

हमें लोगों में एक भावना पैदा करनी है जिससे वह अपनी सुरक्षा खुद भी कर सकें । मुझे मालूम है कि हमारे सूबे के अन्दर बहुत सी विलेज डिफेंस कमेटियां कायम हुई थीं । मुझे वित्त मंत्री जी के भाषण में उसका कोई हाल नहीं मालूम हुआ कि उनकी ऐक्टिविटीज किस हद तक कामयाब हुईं ।

इसके अलावा लाइसेंस देने का भी सवाल है । मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि अगर हो सके तो आर्म्स ऐक्ट को उठा दिया जाय । लेकिन मैं जानता हूं कि इस सिलसिले में गवर्नमेंट की दिक्कतें हैं । आर्म्स ऐक्ट सेन्ट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ है और उस सिलसिले में उनको पूरी आजादी है । उसके मुताबिक हम चलेंगे, लेकिन अगर लाइसेन्स देने के कवायद को काफी लिबरल कर दिया जाय तो हम इस काम को पूरा कर सकते हैं । लाइसेन्स देने के जो पुराने कवायद हैं, उनके मातहत लाइसेन्स लाइसेंसी की हैसियत पर दिया जाता है । जो जमींदार १०० रुपये मालगुजारी देता था उसको लाइसेन्स दिया जाता था । अब जमींदार नहीं हैं । आज हम सोशलिस्ट सोसाइटी कायम करना चाहते हैं । आज हमारे यहां सब बराबर हैं, सोशलिस्टिक पैटर्न हम लाना चाहते हैं तो ऐसी सूरत में लाइसेन्स देने के सिस्टम में काफी तब्दीली होनी चाहिये । हां, यह उसमें हिदायत जरूर होनी चाहिये कि उसका नाजायज इस्तेमाल न हो सके । लेकिन स्टेटस पर जोर देना आज के जमाने में कोई मुनासिब बात नहीं होगी । खास तौर पर जब हमारे यहां विलेज पंचायतें कायम हो गई हैं तो हमारे देहातों के जितने प्रधान हैं और हमारी अदालती पंचायतों के जितने सरपंच हैं उनको तो लाइसेन्स जरूर मिलना चाहिये और उनके लाइसेन्स में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिये, जैसा कि आम तौर पर होता है कि जब लाइसेन्स की दरख्वास्तें दी जाती हैं तो वह बहुत सी जगहों से गुजरती हैं, उनकी तसदीक वगैरह होती है । लेकिन जैसे कि असेम्बली या कौंसिल के मेम्बर के लिये यह जरूरी नहीं है कि वह अपना चाल-चलन तसदीक कराये उसी तरह हमारी जो विलेज डेमोक्रेसी चल रही है, हमारे जो देहातों के प्रधान हैं और जो हमारे सरपंच हैं उनको भी लाइसेन्स में सुविधा होनी चाहिये ।

एक बात मैं और माननीय होम मिनिस्टर साहब की खिदमत में पेश करना चाहता हूं और उनको तो यह अच्छी तरह से मालूम होगा कि अभी एक बहुत बड़े पैमाने पर एक्सपेरिमेंट कलक्टिव डिफेंस का बुलन्दशहर जिले में किया गया और बुलन्दशहर जिले में बहुत सी बन्दूकें खरीद कर एक साथ दी गईं । उनका लाइसेन्स भी बजाय इसके कि किसी एक इंडिविजुअल के नाम पर दिया जाय, पंचायती तौर पर पंचायतों को दिया गया । वह एक्सपेरिमेंट ६ महीने के करीब चला है और उसके मुताल्लिक माननीय मंत्री जी को ज्यादा जानकारी होगी कि वह कहां तक कामयाब हुआ है । मैं समझता हूं कि यह चीज ज्यादा कामयाब हो सकती है और खास तौर से अगर हम डेमोक्रेटिक तौर से कलेक्टिव तरीके पर यह लाइसेन्स उनको दें और उसके लिये उनको कलेक्टिव तौर पर जिम्मेदार बनायें तो उसमें ज्यादा कामयाबी होगी । तो अगर माननीय मंत्री जी का बुलन्दशहर का तजुर्बा कामयाब रहा हो तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि इसको धीरे-धीरे तमाम सूबे में निफाज कर देना चाहिये ।

दूसरी चीज मुझे यह अर्ज करनी है कि पुलिस के मुहकमें में जो अब तक सिविल पुलिस होती है उसके दो काम साथ साथ होते हैं, एक इन्वेस्टीगेशन का काम है और दूसरा इसके अलावा प्रासीक्यूशन का भी है। पिछले सालों में इसमें कुछ तरमीम हुई है और प्रासीक्यूशन का काम कुछ हद तक उससे अलहदा किया गया है और वह इस तरीके कि जो सब-इंस्पेक्टर इन्वेस्टीगेशन करता है वह प्रासीक्यूशन में मदद नहीं करता, बल्कि दूसरा सब-इंस्पेक्टर उसे करता है । मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि हम इन दोनों को बिलकुल अलग करें ।

मैं माननीय मंत्री जी से एक अपील यह करूंगा कि उन्होंने हमारे सूबे के अन्दर एक नया एक्सपेरीमेंट किया है कि बजाय एक आई० जी० के दो आई० जी० उन्होंने बनाये, एक आई० जी० और एक ऐडीशनल आई० जी० और उनके काम को भी तकसीम किया है । मैं समझता

हूं कि अगर यही काम में तकसीम ऊपर से नीचे तक पहुंच जाय तो काम में बड़ी आसानी पैदा हो जायगी ।

आज से ४०–५० साल पहले पुलिस का काम इन्वेस्टीगेशन का सिर्फ एक चीज से होता था और वह उसका डंडा होता था जिसके जरिये से वह तफतीश किया करती थी और उसमें उसे कामयाबी भी होती थी । लेकिन आज जमाना बदल गया है, वक्त बदल गया और वह भी बदले हैं जैसा कि उनको भी बदलना चाहिये था और इसलिये इन्स-वेस्टीगेशन के मामले में खास दिलचस्पी लेने की आवश्यकता है । आज जब तक हम नये साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टीगेशन के काम को नहीं करेंगे तब तक हमको उसमें कामयाबी नहीं होगी । मैंने सुना है कि हमारे चन्द अफसरान बाहर के मुल्कों में इसके लिये भेजे गए और वह वहां से ट्रेनिंग नये साइंटिफिक तरीकों को लेकर आये हैं, लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि काफी बड़े पैमाने पर इसकी ट्रेनिंग देने का इन्तजाम किया जाय जिससे कि नये नये तरीके जो कि साइंटिफिक इन्वेंशन के द्वारा मालूम किये गए हैं उनकी मदद इस काम में ली जा सके ।

एक तजवीज मैं और रखना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि जिस वक्त पुलिस कमीशन की रिपोर्ट आ जायगी और उन तमाम चीजों पर गौर होगा तो वह इस पर भी गौर कर लेंगे । वह यह है कि जो पुलिस के बहुत से हिस्से हैं उन हिस्सों के जो जुरिस्डिक्शस हैं, वह मौजूदा जमाने की जरूरतों को देखते हुए और अच्छी तरह डिफाइन किये जायं । मसलन जो ट्रैफिक पुलिस है बड़े-बड़े टाउन्स और म्युनिसिपैलिटीज में, अब वक्त आ गया है कि जब बहुत आसानी से हम यह सोच सकते हैं कि उस ट्रैफिक पुलिस को अब उन म्युनिसिपैलिटीज और कारपोरेशन के मातहत किया जाय। वह इस काम को और आगे बढ़ायें और चलायें ।

एक चीज और मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो पुलिस विंग पी० आर० डी० का है जो अब तक तीन हेडक्वार्टर्स पर काम कर रहा है, मुझे ऐसा यकीन है कि उसका काम कामयाब रहा है और मैं यह सिफारिश करूंगा कि उसके काम को और जिलों में, कम से कम दो जो और कवाल टाउन्स शेष रह गए हैं, उनमें और बढ़ा देना चाहिये ।

*श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई)––माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय पालीवाल जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस समय से माननीय चरण सिंह जी ने यह विभाग संभाला है तब से प्रदेश में, खास तौर से हम विरोधी दल के सदस्यों में, एक भावना और विश्वास की लहर दौड़ गयी है। हम लोग यह समझने लगे हैं कि अब हमारी बात भी मानी जायगी । ऐसा इस वक्त भी है और मुझे व्यक्तिगत रूप से यह विश्वास है कि जब हम लोग कोई भ्रष्टाचार की बात उनके समक्ष रखते हैं तो वे उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब यह समस्या रखी जाती है कि डकैतियां और चोरियां बढ़ रही हैं तो शासन की ओर से यह उत्तर दिया जाता है कि हमारे पास पुलिस फोर्स कम है। जब पुलिस फोर्स बढ़ाने की बात कही जाती है तो यह उत्तर होता है कि आर्थिक समस्याएं ऐसा करने की अनुमति नहीं देतीं । मेरा यह सुझाव है कि यह मानी हुई बात है कि हमारे पास पुलिस फोर्स कम है। १२ सिपाही एक थाने पर रहते हैं जो थाने को अच्छी तरह से कन्ट्रोल नहीं कर सकते । लेकिन पी० ए० सी० एक ऐसा विभाग पुलिस का है, जिसके मेरा अनुमान है, लगभग १२ बिग्रेड प्रदेश में हैं । कभी-कभी बड़ी डकैती में अभियान करने में या बहुत बड़े महानुभावों की रक्षा के लिये या बार्डर पर उनको लगाया जाता है। लेकिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्रसिंह]

पी० ए० सी० की पूरी ताकत कभी नहीं लगायी जाती। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि यह पी० ए० सी० के जवान जो अधिकतर मिलिटरी से रिटायर हुए हैं, थाने में लगा दिये जायं और पूरे प्रदेश में बांट दिये जायं तो यह समस्या हल हो सकती है। यह भी देखा गया है कि सिविल पुलिस की तो तुलना में पी० ए० सी० के जवान अधिक ईमानदार हैं क्योंकि वे सेना के हैं। ये १२ बिग्रेड बड़ी कमी को पूरा कर सकते हैं। मैं आपके द्वारा माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें।

एक और भावना जो प्रदेश में फैली हुई है वह यह है कि पुलिस को लोग अपना रक्षक नहीं समझते। प्रत्येक व्यक्ति जितना वह डाकुओं से डरता है, उतना ही पुलिस से भी डरता है। डाकू तो अंधेरे में धोखे में आक्रमण करते हैं, लेकिन पुलिस सरेआम उसे किसी झूठे मामले में फंसा सकती है और किसी और रास्ते से भी उससे रुपया ले सकती है। लेकिन इतना होते हुए भी पुलिस का ही एक ऐसा विभाग है जिस पर जनता का ज्यादा विश्वास है। आपने देखा होगा कि जब कभी झगड़े होते हैं, पुलिस अत्याचार करती है, तो पुलिस के विरोध में आवाज उठाई जाती है, हम लोग यहां प्रश्न करते हैं, उस समय यही मांग की जाती है कि सी० आई० डी० से जांच करायी जाय। यहां पर सदन में भी और जनता से भी यही मांग बराबर आती है कि इस मामले में पुलिस ने गलती की है, इसलिये इसमें सी० आई० डी० से जांच करायी जाय। जहां पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, सिविल पुलिस के खिलाफ एक अविश्वास की भावना है वहां पर सी० आई० डी० के लिये श्रद्धा और विश्वास की भावना है। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करता हूं कि सी० आई० डी० को और मजबूत करें। जहां पर पुलिस के विरोध में यह मांग की जाय कि सी० आई० डी० से जांच करायी जाय, वहां अधिक से अधिक प्रयत्न इस बात का किया जाय कि सी० आई० डी० से ही जांच हो सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि भ्रष्टाचार और पुलिस, ये दोनों पर्यायवाची शब्द हो गये हैं। थानों में जब कभी कोई ऐसा थानेदार पहुंच जाता है जो रिश्वत नहीं लेता है तो एक आश्चर्य की बात हो जाती है। गांवों में १५-२० दिन के अन्दर यह बात फैल जाती है कि यह थानेदार पैसा नहीं लेता है और जो दलाल होते हैं उनको परेशानी होती है कि काम कैसे चलेगा। जो ईमानदार आदमी होते हैं उनको प्रसन्नता का अनुभव होता है। कोई एस० पी० ऐसा नहीं है जिसको इस बात का ज्ञान न हो कि जिले के अन्दर कौन थानेदार ईमानदार है।

मेरे जिले के एक थानेदार थे। वह पैसा नहीं लेते थे। जिले के एस० पी० से मैंने जब पूछा कि आप बता सकते हैं कि जिले में कितने ईमानदार थानेदार हैं। उन्होंने कहा कि मैं वर्दी उतार कर बता सकता हूं। बाद को उन्होंने बताया कि केवल एक थानेदार ऐसा है जो रिश्वत नहीं लेता है। डी० आई० जी० को भी उनका ज्ञान रहता है। मजिस्ट्रेट के एक थानेदार हैं वह किसी से पैसा नहीं लेते हैं। सारे विभाग में उनकी चर्चा है। आपको आश्चर्य होगा यह जानकर कि प्रत्येक राजनैतिक कार्यकर्ता उनकी प्रशंसा करता है। अगर ऐसे ईमानदार आदमी बड़ी संख्या में पैदा हो जायं तो भ्रष्टाचार रुक सकता है। जिले के अधिकारी इस बात को जानते हैं कि उनके जिले में अमुक व्यक्ति ईमानदार है लेकिन हमें तब आश्चर्य होता है जब हम यह जानते हैं कि अमुक व्यक्ति ईमानदार है तब भी उसकी पदोन्नति नहीं होती है। अगर कोई बदनाम थानेदार है तो उसकी पदोन्नति करने का प्रयत्न नहीं होना चाहिये। अगर कोई ईमानदार थानेदार है और जिसके विषय में पूर्णरूपेण मालूम है कि वह ईमानदार है तो उसको पदोन्नति करनी चाहिये। किन्तु होता यह है कि जो बदनाम थानेदार है और एक ईमानदार थानेदार है तो दोनों के लिये साथ-साथ कार्यवाही की जाती है। जब कभी नम्बर आता है तभी उनकी पदोन्नति की जाती है।

एक थानेदार मलिहाबाद में कुछ दिनों पहले थे, उनकी मृत्यु हो गई है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब वह मरे उनके परिवार की ऐसी स्थिति नहीं थी कि उनकी लाश के लिये वह अन्तिम क्रिया कर सके। उनकी बेवा ने अपना जेवर बेचकर पैसा इकट्ठा किया तब वह काम किया गया। इस बात को सभी अधिकारी जानते हैं कि वह थानेदार ईमानदार व्यक्ति था। सरकार को उस ओर ध्यान देना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सब से बड़ी कमी जो पुलिस में है वह रिपोर्ट लिखने के विषय में है। अक्सर ऐसी रिपोर्ट आई है कि रिपोर्ट ठीक नहीं लिखी जाती है। डकैती को ४३७ में और ३०२ के मामले को ३०४ में लिखाने की प्रथा चल गई है। ऐसी स्थिति में उसके ऊपर एक कंट्रोल यह हो सकता है कि जब रिपोर्ट लिखाने के लिये मुद्दई जाय और जाने के उपरान्त वह शिकायत करता है कि रिपोर्ट नहीं लिखी गई तो वह एस० पी० को दरख्वास्त दे और एस० पी० उसको सही मानकर तुरन्त जांच शुरू कर दें। होता यह है कि ऐसी दरख्वास्त होने पर सरकिल इन्सपेक्टर के पास भेज दी जाती है। मैं जानता हूं और माननीय गृह मंत्री भी जानते हैं कि सर्किल इन्सपेक्टर की थानों से एक बन्धी हुई रिश्वत होती है। उसका ३०० रुपये का अक्सर रेट है। बहुत कम सर्किल इन्सपेक्टर ऐसे होते हैं जो थानेदारों के खिलाफ लिखते हों। वह उसी के खिलाफ लिखते हैं जो उनको रिश्वत नहीं देता है। मैंने आपके सामने एक थानेदार का जिक्र किया। एक सर्किल इन्सपैक्टर ने उनके खिलाफ लिखा। मैंने उनके विषय में एस० पी० से कहा कि अमुक व्यक्ति ईमानदार है, उन्होंने कहा कि मालूम है। उस सर्किल इन्सपेक्टर को उन एस० पी० ने डाटा भी था। थानेदार के खिलाफ सर्किल इन्सपैक्टर बहुत कम लिखते हैं। अभी गृह मंत्री सर्किल इन्सपैक्टर की पोस्ट को खत्म करने जा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि एक ऐसा आदेश यहां से जाय कि जब रिपोर्ट कोई लिखाने जाय और बाद में शिकायत हो कि उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई तो एस० पी० उसकी जांच करे या कम्पलेन्ट अफसर को दें।

दूसरी बात यह है कि हमारे जो कम्पलेन्ट अफसर हैं उनको कोई पावर नहीं दी गई है। २, ४ ईमानदार कम्पलेन्ट अफसर हैं जिन को सब जानते हैं जिन्होंने परिश्रम करके भ्रष्टाचार का पता लगाया, लेकिन उन पर शासन ने कोई कार्यवाही नहीं की। पुलिस में जो ईमानदार लोग हैं और जिले में काम करते हैं उनका सीधा संबंध गृह मंत्री जी से होना चाहिये। कम्पलेन्ट आफिसर्स को मजिस्ट्रेट की पावर दी जायं ताकि वह मौके पर वहीं निर्णय दे सकें। इससे भ्रष्टाचार रुक सकता है। यह कहा जाता है कि पुलिस में ऐसे अधिकारी कम मिलते हैं जो ईमानदार हों। ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसे कम्पसेन्ट अफसर हो सकते हैं जिनको विभाग ईमानदार मझे। उनको मैजिस्ट्रेट की पावर दी जाय या जुडिशियल अफसरों को कम्पलेन्ट अफसर सरकार बना दे और इस प्रकार से अलग से एक विभाग हो जो गृह मंत्री जी के अधीन हो। इसके अतिरिक्त सी० आई० डी० को पुलिस से बिलकुल असम्बद्ध रहना चाहिये।

(इस समय १२ बजकर ५५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्रीमती चन्द्रावती, पीठासीन हुईं।)

माननीय अधिष्ठात्री महोदया, मैं यह कह रहा था कि सी० आई० डी० को पुलिस से अलग होना चाहिये, लेकिन जिला इंटेलीजेंस स्टाफ जो है उसे पुलिस के साथ बना रहना चाहिये। यह मेरे कुछ सुझाव हैं और कुछ सुझाव पुलिस कमीशन की रिपोर्ट जो दो महीने बाद आने वाली है उसमें आप को मिलेंगे।

यह भी देखने में आता है कि पुलिस मंत्री के पास-पड़ोस में जो एम० एल० एज० रहते हैं उनका अधिकारियों पर कुछ विशेष प्रभाव पड़ता है। और मंत्री जी के साथ उनके रहने से अधिकारी समझते हैं कि वे मंत्री जी के आदमी हैं। इस प्रभाव का उपयोग कर वे अधिकारियों से थानेदारों के तबादले तथा और दूसरे अपने मतलब के काम करा लेते हैं। सन् ६२ का एलेक्शन पास आ रहा है, शासक दल के विधायक अपने रिश्तेदार थानेदारों को अपने-अपने

[श्री राजेन्द्र सिंह]

क्षेत्र में बुलाने का प्रयत्न कर रहे हैं और इस विषय की सूचना भी माननीय गृह मंत्री जी को मैंने अपने एक पत्र में दी है। यदि कोई विधायक माननीय गृह मंत्री के साथ दौरे पर चला जाता है तो अधिकारी समझने लगते हैं कि मंत्री जी उनको बहुत मानते हैं और इस असर में वे उनका काम करते रहते हैं। हरदोई जिले में ऐसा हुआ है कि अपने रिश्तेदार थानेदार को उन्होंने अपने क्षेत्र में तबादला करा कर पहुंचवा दिया। मुझे आशा है कि किसी गलत काम को भी माननीय मंत्री जी बहुत दिनों तक नहीं बनाये रखेंगे।

मेरे जिले के एक संबंधी थानेदार को एक विधायक ने फिर दुबारा वहीं बुला लिया जो ५, ६ वर्ष हरदोई में रह चुका था ताकि वे दल विशेष का काम करे और वह जिले में काम कर रहा है और उन्हीं के थाने में सब से अधिक डकैतियां और कत्ल हुए हैं जिसकी रिपोर्ट आप के पास आने वाली है। तो मेरा कहना है कि बड़े-बड़े अफसरों को इससे गुमराह नहीं होना चाहिये कि कौन माननीय मंत्री के पास अधिक आता जाता है, कौन कम। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी सही बात को भी मानेंगे। यह हो सकता है कि कुछ कभी उनको गलतफहमी हो जाय, या उनको गलत बात बतला दी जाय। कभी-कभी उनको सच्चाई जिद के रूप में भी पहुंच जाती है और उस समय हम नतमस्तक हो जाते हैं, लेकिन उसके लिये मैं उदाहरण उनको दे चुका हूं।

थानेदारों के चयन के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। जब सरकार के विचाराधीन यह बात है कि थानेदारों की तनख्वाह बढ़ायी जाय तो वह उनका चयन भी कमीशन के हाथ में दे दे। यदि पब्लिक सर्विस कमीशन उनका चयन करेगा तो मुझे विश्वास है कि जो एलीमेन्ट इस समय आ रहा है उससे श्रेष्ठ एलीमेन्ट आयेगा।

इन शब्दों के साथ मैं पालीवाल जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)—माननीया अधिष्ठात्री महोदया, माननीय गृह मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उस पर जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपकी आभारी हूं। मुझे बहुत दुख के साथ पुलिस बजट पर बोलना पड़ रहा है। पुलिस विभाग द्वारा जनता की रक्षा होनी चाहिये, लेकिन इसका जो आजकल रवैया है उससे पता नहीं कि जनता और हम लोग कहां जायंगे।

अपने अनुभव के आधार पर अपने क्षेत्र की बात मैं बतलाना चाहती हूं। हल्लौर हमारे यहां एक बड़ा कस्बा है जिसमें हिन्दू और मुसलमान काफी तादाद में रहते हैं। उनके अन्दर कोई ऐसा जाति-पांति का भेद-भाव नहीं रहता है और दोनों ही आपस में मिलजुल कर रहते हैं। मेरे यहां तहसील डुमरियागंज में होली के अवसर पर दरोगा ने एक कान्सटेबिल द्वारा एक मुसलमान को पकड़वाकर उसके मुंह में तारकोल पुतवाया और उसे गधे पर बिठा कर घुमाया गया। उसके बाद वहां के थानेदार ने एस० पी० को यह लिख कर भेजा कि यहां पर हिन्दू मुसलमानों में दंगा होने का भय है, और गारद तुरन्त भेज दी जाय। इस पर वहां गारद भी पहुंच गयी और हल्लोर बाजार में तैनात कर दी गयी। इससे वहां की जनता बहुत ज्यादा भयभीत हो गयी। ईद के मौके पर भी नमाज के समय उनकी मसजिदों के सामने पुलिस तैनात थी। अभी मेरे पास सूचना आई थी और उसकी एक कापी मैंने माननीय मंत्री जी को भेज दी और एक एस० पी० महोदय को भी भेजी है। एस० पी० ने उस पर क्या कार्यवाही की उसका मुझे आज तक पता नहीं चल पाया। बहुत परेशान होकर गांव के एक हिन्दू और एक मुसलमान कल शाम मेरे यहां आये। मैंने उन्हें संतोष दिलाया कि मैं इस मामले को माननीय मंत्री जी के सामने रखूंगी और वे जो उचित कार्यवाही करना मुनासिब समझेंगे, करेंगे। वहां जो पुलिस का रवैया है वह बहुत ही खराब है। उनका

मंशा यही है कि किसी तरह हिन्दू मुसलमानों में दंगा कराया जाय और उनको रिश्वत लेने का मौका मिले फिर सन् ६२ के इलेक्शन के कारण भी जो दूसरी पार्टियां हैं ऐसा कराती हैं।

मान्यवर, आपको विदित होगा कि राम लखन मिश्र जी के क्षेत्र में भी जो हिन्दू मुस्लिम दंगा हुआ था वह भी एक दरोगा के कारण ही हुआ था। वहां जाकर देखा जाय तो पता लगेगा कि आज जितने भी मुस्लिम भाई हैं जो हमसे बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं वे आपस में मिलजुल कर ही रहते हैं, किन्तु इन पुलिस वालों ने उनकी फीलिंग्स को खराब कर रखा है। इसलिये मैं इन बातों की तरफ आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाती हूं और आशा करती हूं कि वे इस संबंध में उचित कार्यवाही करेंगे।

जहां तक पुलिस के बारे में और बातों का संबंध है, बहुत से भाइयों ने कहा है और उनकी ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाया है। मैं इतना अवश्य कहूंगी कि गांव में जब भी कोई वाकया होता है तो उसकी इन्क्वायरी के लिये, जब रिपोर्ट लिखाई जाती है, तो एक कान्स-टेबिल को भेजा जाता है। आज क्या होता है, वहां गांवों में पुलिस का एक दलाल होता है और पुलिस वाले उसी से तहकीकात करके लौट आते हैं। जिसका वाकया होता है, जो रिपोर्ट लिखाता है, उससे कुछ पूछताछ नहीं होती, उसी दलाल से पूछताछ होती है। गांव के लोग भी उस दलाल से डरते हैं, क्योंकि वह पुलिस का आदमी होता है। यह दलाल लोग ही डाकू और चोर होते हैं। इस ओर भी माननीय मंत्री जी को अवश्य ध्यान देना चाहिये।

मुझे एक बात और कहनी है और वह यह कि मुझे आज इस बात की खुशी है कि यह विभाग आज ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो इन सब बातों की इन्क्वायरी अवश्य करायेंगे और जो भी शिकायतें उनके पास आती हैं वे उसकी तहकीकात कराते हैं।

दूसरी बात मेरे भाइयों ने यह भी कही है कि अपने रिश्तेदारों को अपने अपने क्षेत्र में भेज दिया जाता है। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि क्या विरोधी पक्ष के भाई इस बात को साबित कर सकते हैं कि उनका कोई भी रिश्तेदार ऐसा नहीं है जो किसी मुहकमें में कार्य करता हो ? इससे तो कोई वंचित नहीं है। यह तो महज एक फीलिंग पैदा करना है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जब कोई मिनिस्टर जाय तो उस क्षेत्र के एम० एल० ए० को मालूम हो, पर मिनिस्टर के साथ न जाय।

तीसरी बात, मैं यह कहती हूं कि चूंकि सन् ६२ आने वाला है, इसलिये आप ही लोगों की तरफ से कुर्सी का बचाव करने के लिए तरह तरह की लड़ाइयां पेश की जा रही हैं। जनता की रक्षा की बात यहां सदन में चिल्लाते हैं, इस तरह से आपकी कुर्सी की कामयाबी हो सकती है कि जनता खतरे में है, लेकिन जनता को कोई लाभ नहीं होगा। आप कुर्सी के लिये जनता को गड्ढे में ले जा रहे हैं। इसलिये इस भावना को अपने दिलों से दूर कीजिये।

मैं सही कहती हूं, हमारा एरिया ठाकुरों का है और मुसलमानों का है। वहां पर हमारे तहसीलदार ठाकुर हैं, ब्लाक बी० डी० ओ० ठाकुर है, हर एक ठाकुर है, लेकिन जो दंगे हो रहे हैं क्या वह जाति-पांति को लेकर चल रहे हैं ? इस किस्म की भावना नहीं होनी चाहिये। जो भ्रष्टाचार-भ्रष्टाचार हम चिल्लाते हैं, उससे वह हरगिज नहीं जा सकता है। उसको बढ़ाने वाले हम और आप हैं। जब तक हम मिल-जुल कर काम नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। विरोध के माने यह नहीं हैं कि हर चीज का विरोध करें।

मैं क्षमा चाहती हूं और अपने सुझावों की तरफ ध्यान दिलाते हुए आशा करती हूं कि मंत्री जी उन पर विचार करेंगे।

श्री मुल्लाप्रसाद 'हंस' (जिला उन्नाव)—माननीय अधिष्ठात्री महोदया, मैं माननीय पालीवाल जी द्वारा प्रस्तुत जो कटौती का प्रस्ताव है, उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं, इसलिये कि आज देश में पुलिस मुहकमा एक बहुत जिम्मेदार मुहकमा है और इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यह सब लोगों की रक्षा करने वाला है, चाहे वह सम्पत्तिवान हों, या गरीब, चाहे ईमानदार हों, चाहे जैसे हों। हर इलाके में, थाने के सर्किल या पूरे जिले या पूरे प्रदेश में पुलिस की जगह बहुत बड़ी जिम्मेदारी की है। लेकिन, श्रीमन्, पता नहीं किन कारणों से वह अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पाते या निभाते ही नहीं। वह तो वही लोग जान सकते हैं या हमारी सरकार, या मंत्री महोदय, बता सकते हैं। प्रदेश में जो भी घटनायें होती हैं, वह पब्लिक मेन, किसान या असेम्बली के सदस्यों के द्वारा सरकार तक पहुंचती हैं। फिर भी पुलिस की शिकायतें आये दिन आया करती हैं—चाहे वह रिपोर्ट की हों, कत्लों की या डकैतियों की हों।

श्रीमन्, चोरी, डकैती या कत्ल के जो आंकड़े दिये गये हैं उन के अनुसार अपराध घटने के बजाय बढ़े हैं। क्या कारण है, इसको तो हमारे माननीय मंत्री जी ही बतायेंगे। क्योंकि हम तो अपने नेता उनको ही मानते हैं। उनमें समझदारी ज्यादा है, वह इसको जरूर बतायेंगे कि क्या कारण हैं। प्रयत्न किये जाते हैं, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी जुर्म बढ़ते ही जाते हैं, इसका क्या कारण है?

जो पुलिस के अच्छे अधिकारी हैं, उनकी हम बुराई नहीं करते हैं, तारीफ करते हैं, लेकिन जो खराब हैं, चाहे दारोगा हो, कप्तान हो, चाहे अन्य अधिकारी हो, उनकी तो हम बुराई जरूर करेंगे। मैं आपके द्वारा मंत्री जी को एक बात बता देना चाहता हूं कि जो उनकी जानकारी में भी है। अभी इसी जनवरी या फरवरी में हमारे यहां उन्नाव से एक किसान आया और मंत्री जी से मिला। उनसे उसकी बातचीत हुई। उन्होंने उससे कहा कि डिटेल लिखकर दे दो। उसका यह कहना था कि जांच सी० आई० डी० से करायी जाय और वह लिख कर दे गया। मंत्री जी ने उसको डी० आई० जी० के पास भेज दिया, वहां से कप्तान को, फिर वहां से थानेदार सफीपुर को पहुंच गयी। अब वह दरख्वास्त जिन लोगों के खिलाफ थी उन लोगों को थानेदार ने बुलाकर कहा कि आपके खिलाफ यह आदमी मंत्री जी के पास तक पहुंच गया और शिकायत की। तो बजाय जांच के उस थानेदार ने उतना प्रोपेगेंडा उस इलाके में किया कि वह आदमी आज उन लोगों के डर से भागा भागा फिरता है। शायद मंत्री जी से भी मिल गया है।

एक काम हमारे यहां मंत्री जी के द्वारा जरूर अच्छा हुआ है। परगना बांगरमऊ के दारोगा पांडेय का तबादला कर दिया गया है। लेकिन तबादले से कुछ नहीं होता है। दारोगा लोग कह दिया करते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा तबादला ही तो करा सकते हैं। वह अब आफीसर दोयम होकर देवरिया गया है।

एक दारोगा ने हमारे यहां और अन्याय किया था। हमारे महान नेता मौजीलाल जी के घर की बुरी तरह तलाशी ली तथा उनकी बेइज्जती की थी। उसका तबादला हुआ था। मंत्री जी जब वहां गये थे तब उनसे उसकी शिकायत हुई थी। मंत्री जी ऐसी शिकायतों की तरफ ध्यान दें और कमियों को दूर करने की कोशिश करें।

मैं एक शिकायत और करता हूं, शायद मंत्री जी के पास वह पहुंच चुकी है। बांगरजब मऊ में पुराने एम० एल० ए० हबीबुल्ला अन्सारी ने पुलिस के खिलाफ शिकायत की। मैं वहां गया तो थानेदार ने मुझसे कहा कि हबीबुल्ला ने मेरे खिलाफ शिकायत कर दी, मैंने ५०० जवान इकट्ठा कर दिये। मैंने कहा कि एक राजनीतिक आदमी के खिलाफ आपने यह अच्छा काम नहीं किया। वे तो बहुत बड़े आदमी हैं, अगर कोई छोटे से छोटा आदमी भी आपकी गलती पायेगा तो शिकायत करेगा। मुझसे कप्तान साहब ने कहा कि देखा, कितना अच्छा आदमी है कि हबीबुल्ला ने जरा शिकायत की तो इतना बड़ा दल इकट्ठा कर दिया।

तो श्रीमन्, इस तरीके से आज हमारी सरकार की पुलिस राजनीतिक संगठनकर्त्ताओं को और सरकारी पक्ष के आदमियों को भी परेशान करती है, इस पर माननीय मंत्री जी ध्यान दें। आज देहातों के अन्दर चन्द आदमी दलाल किस्म के होते हैं जो पुलिस से मिले होते हैं। अगर वे किसी बात पर किसी से नाराज हो जाते हैं तो थाने में जाकर उसकी शिकायत कर आते हैं कि वह आदमी फलां पार्टी से मिला हुआ है, इसलिये उसके ऊपर १०९ या ११० का मुकदमा चला दो। श्रीमन्, आमतौर से गरीब आदमियों के ऊपर ही १०९ और ११० के मुकदमे चलाये जाते हैं और इस तरह से उनको परेशान किया जाता है। अगर माननीय मंत्री जी चाहेंगे तो मैं एक लिस्ट भी दे सकता हूं जिसकी वे सी० आई० डी० द्वारा जांच करवा सकते हैं कि सही माने में वे १०९ या ११० वाले आदमी हैं या नहीं।

जहां तक तनख्वाह की बात कही गयी, यह बात सही है कि एक कांस्टेबिल ४०–५० रु० महीने में अपनी बीवी के लिये कत्थे और डली का भी प्रबन्ध नहीं कर सकता है, लेकिन बेचारे चौकीदार को तो गाली भर की भी तनख्वाह नहीं मिलती। उसे कांस्टेबिल भी गाली देता है, दारोगा भी गाली देता है और बहुत से दूसरे बाअसर आदमी भी गाली देते हैं और उसकी तनख्वाह गाली भर की भी नहीं है तो फिर वह किस तरह से सही रिपोर्ट दे और किस तरह से वह थाने में जाय ? कई फर्लांग दूर से ही चल कर वह थाने में जाता है, तो उसकी तनख्वाह भी बढ़ानी चाहिये। अगर पुलिस की कमी हो तो पुलिस को भी बढ़ाना चाहिये और उसके लिये बजट में भी खर्चा बढ़ाना चाहिये, क्योंकि जब परिवार ज्यादा बढ़ता है तो उसका खर्चा भी ज्यादा बढ़ जाता है। उसके लिये कपड़ा होना चाहिये, खाना होना चाहिये और रहने के लिये मकान भी होना चाहिये, तो इस तरह से ज्यादा खर्च की आवश्यकता होती है। अगर सरकार के दिल के अन्दर या माननीय मंत्री जी का यह ख्याल हो कि पुलिस कम होने की वजह से ये जरायम होते हैं तो वे उसको बढ़ावें लेकिन मेरा ख्याल यह है कि थाने के लोगों या उच्च पुलिस अधिकारियों की गैरजिम्मेदारी की वजह से ये जरायम बढ़ रहे हैं।

इस सिलसिले में एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि ये जो मुकदमे चलाये जाते हैं उसका विशेष कारण यह है कि कुछ मुख्य लोग होते हैं, वे चाहे गांव पंचायत में हों, चाहे म्युनिसिपैलिटी में हों, चाहे टाउन एरिया में हों, वे यह नहीं चाहते हैं कि वहां के किसी पद पर कोई ऐसा आदमी पहुंच जाय जो सही बात कह सके। इसलिये साजिश करके गरीबों पर १०९ और ११० के मुकदमे चलवा दिये जाते हैं जिससे कि वे किसी कमेटी में न पहुंचें और किसी ऐसी जगह न पहुंचें जहां जाकर वे अपनी बात कह सकें। तो इस सम्बन्ध में मेरा यह अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी किसी कमेटी या सी० आई० डी० के जरिये ही इसकी जानकारी करें और जांच करावें कि कहां तक यह बात सही है और कहां तक गलत है। हो सकता है कि कोई गलत रिपोर्ट भी आयी हो। थाने में लोग रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो आमतौर से इस बात की शिकायत है कि सही रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। लेकिन जब से चौधरी साहब पुलिस विभाग के मंत्री हो गये हैं तब से सब को यह आशा हो चली है कि अब पुलिस मुहकमा सुधर जायेगा। अक्सर मुझसे लोग पूछा करते थे कि क्या सचमुच चौधरी चरण सिंह पुलिस विभाग के मिनिस्टर हो रहे हैं? तो मेरे यह कहने पर कि यह सच्ची बात है, उनमें एक सन्तोष की भावना दिखलायी दी, सबको आशा है कि वे पुलिस विभाग में अवश्य सुधार लायेंगे।

माननीय मंत्री जी ने पटवारियों को तो खत्म कर दिया, लेकिन उनकी जगह पर लेखपाल आ गये जो पेटपाल का काम कर रहे हैं, तो पुलिस विभाग के लिये भी शायद माननीय मंत्री जी ऐसा ही कुछ न कर दें। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इस बात की तरफ गौर करेंगे क्योंकि इस तरह की शिकायतें इलाके में काफी हैं और वह शिकायतें मंत्री जी के जरिये मिटाई जा सकती हैं, पुलिस के जुर्म सरकार द्वारा मिटाये जा सकते हैं-ज्यादा और कम की कोई बात नहीं है।

श्री रामजीलाल सहायक (जिला मेरठ)—अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपका अनुगृहीत हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं माननीय गृह मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने और श्री पालीवाल जी द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत है उसका घोर विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। पुलिस जैसे विभाग के लिये जहां कि पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है कमी और कटौती करने का प्रस्ताव मुझे तो बहुत ही अनुचित दिखाई दिया। आज पुलिस के अनुदान पर यहां बहस जारी है और मुझे यहां उसके सम्बन्ध में कई एक सुझाव भी सुनने को मिले और उस की कटु आलोचना भी मैंने सुनी और इधर माननीय गृह मंत्री जी ने जो कुछ अच्छे कदम भी उठाये हैं, कुछ लोगों ने उन की मखौल भी उड़ाई। मैं उनके लिये क्या कहूं कि जिन्हें अच्छा सूझता ही नहीं या जिन्हें हर अच्छाई में बुराई ही दिखाई पड़ती है। क्या हम यह नहीं जानते कि पुलिस को अपने कठिन कर्तव्यों का पालन करना होता है? यही कहा जा सकता है कि जिनकी प्रवृत्ति बुराई देखने की है उन को तो बुरा ही दिखाई देता है। पुलिस के लिये दूसरों का स्नेह-भाजन बनना बहुत कठिन है और उनको कटु आलोचना ही सुनने को मिलती है। इसका कारण यही है कि उनको बहुत ही कठोर कर्तव्य का पालन करना पड़ता है।

जहां तक हम पुलिस की खराबियां देखते हैं वहां हम थोड़ा सा अपनी तरफ भी ध्यान दें और समाज में जो खामियां और बुराइयां हैं उनको भी देखें तो हम इसी नतीजे पर आयेंगे कि पुलिस की खामियां खामियां नहीं हैं, बल्कि वह उसकी मजबूरियां हैं और समाज में फैली हुई उन बुराइयों के कारण ही उसे बहुत से ऐसे काम करना होते हैं और अपने कठोर कर्तव्यों का पालन करना होता है और हमें इस कारण से उनमें खामियां ही दिखाई पड़ती हैं।

मुझे २–४ बातें माननीय गृह मंत्री जी की सेवा में निवेदन करनी हैं। एक तो यह कि किसी व्यक्ति की मारपीट करना सब के लिये कानूनन जुर्म है और मैं समझता हूं कि इस जुर्म से पुलिस भी बरी नहीं है। हमने देखा है कि पुलिस की मार से जब कोई आदमी मर गया तो दारोगा पर मुकदमा चलाया गया और सजा हुई है। तो मैं नहीं समझता कि किस तरह से इस कानून का पुलिस द्वारा रोज तोड़ना कहां तक शोभनीय बात है। क्या कोई ऐसा तरीका निकाला जा सकता है कि जिससे अपराधियों का पीटा जाना बन्द हो जाय? जिस तरह से लोगों को पुलिस द्वारा निर्दयता से पीटा जाता है, वह कोई उचित बात नहीं है। मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा सुनने में आता है कि दूसरे देशों में इस तरह का अपराध नहीं होता और वहां अपराधियों की जांच के लिये कई तरीके से जुर्मों का पता लगाया जाता है। क्या वह चीजें हमारे देश में चालू नहीं की जा सकतीं? कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो अपराधी को पिला दी जायं तो वह उनको पीकर अपने अपराध को कबूल कर लेता है और कुछ ऐसी मशीनें भी हैं कि जिन के प्रयोग से अपराधी अपने अपराध को कबूल कर लेता है। हमारे देश में बहुत से लोगों का विश्वास है कि हस्तरेखा से या ज्योतिष से आदमी के कर्म का पता लग सकता है। इस के अलावा फेस रीडिंग भी बहुत से लोग कर लेते हैं जिससे अपराध का पता लग सकता है। पुलिस के कुत्तों के द्वारा भी अपराधों का पता लगाया गया है। तो जहां इतनी चीजें प्रचलित हैं वहां अपराधी को पीटा जाय यह उचित और अच्छा नहीं लगता। तो मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि वह पुलिस के द्वारा जो यह पिटाई की जाती है लोगों की, इसे बन्द करायें और अपराधों के मालूम करने के जो नये तरीके हो सकते हैं और जो अच्छे हों उनको कायम करायें।

दूसरा निवेदन मुझे तफतीश के बारे में करना है। कहीं चोरी हुई तो पुलिस अब तक यह करती है कि या तो पड़ोसियों से पूछती है कि यह चोर हो सकता है या घर में कोई नौकर हो तो उसको पकड़ लेती है। तो इस तरीके से ज्यादातर गरीब लोग तबाह किये जाते हैं। इसमें तरमीम होनी चाहिये और पुलिस को मेहनत करके जो असली अपराधी हो उसका पता लगाना चाहिये। हम लोगों के पास बहुत से लोग आते हैं और उनकी आम शिकायत होती कि हम को किसी बड़े आदमी के कहने पर फंसा लिया, हमने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन

पुलिस रोज हमारे दरवाजे पर खड़ी रहती है और आवाज देती है, हमारा बाहर निकलना मुश्किल है। यह एक ऐसी बात है जो कि बहुत से गरीब लोगों के लिये बड़े दुःख की है।

कहीं-कहीं ऐसा भी देखने को मिला कि कोई आदमी किसी दूसरे के कहने पर शक में पकड़ा गया, कोर्ट से छूट गया, लेकिन पुलिस उसके पीछे लगी हुई है, कहीं उसको हिस्ट्रीशीटर लिख देती है और कहीं कुछ। बस्ती के लोगों, गांव सभाओं के प्रधानों और अच्छे लोगों की सिफारिश पर भी उनका पीछा नहीं छूट पाता। इस ओर भी माननीय मंत्री जी ध्यान दें और जो बहुत से मासूम निरपराध लोग चंगुल में फंसाए जाते हैं उनको बचाने का कोई तरीका निकालें। गांव पंचायतों की सिफारिश पर या बस्ती के कुछ लोगों की सिफारिश पर ऐसे लोग बरी कर दिये जाने चाहिये। कोई ऐसा तरीका अवश्य होना चाहिये जिससे कि लोग इस मुसीबत से बच सकें।

माननीया, मुझे दो शब्द ऐन्टी करप्शन कमेटी के बारे में भी कहने हैं। हर जिले में भ्रष्टाचार निरोधक समिति का संगठन है। नान-आफिशियल उसका चेयरमैन होता है। अन्य जिलों की बात तो मैं कहता नहीं, लेकिन अपने जिले की कहता हूं कि हम लोग वर्ष में छः-सात बार उसकी मीटिंग कर लेते हैं। उसके सामने एजेन्डा आता है, कार्यवाही होती है, बहुत सी शिकायतें आती हैं। उन शिकायतों को उनसे सम्बन्धित जो विभाग होते हैं उनके पास भेज दिया जाता है और उनसे रिपोर्ट मांगी जाती है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस प्रकार इन समितियों से कोई भला नहीं होता, क्योंकि उसके हाथ में कोई शक्ति नहीं है, कोई उसके अधिकार नहीं हैं। यदि यह समितियां रखनी हैं तो उनको अधिकार दिये जाने चाहिये, उनकी कुछ पावर्स हों, टर्म्स आफ रेफरेन्स हों, जिससे कुछ काम तो करें। कई बार ऐसे मौके आये जब विभागों के पास चीजें भेजी गईं और एकाध विभाग ने तो यहां तक किया कि जवाब तक नहीं दिया, महीनों लिखते रहे और कई बार लिखा तो लिख कर भेज दिया कि हम जवाब नहीं दे सकते कमेटी को। तो ऐसी कमेटी क्या कर पायेगी? खैर, हम लोगों ने एक प्रस्ताव पास करके मुख्य मंत्री जी के पास भेजा। उन्होंने जब यहां से लिखा तो वह रिपोर्ट आ पाई।

तो मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यह जो ऐन्टी करप्शन कमेटी है हर जिले में इसे कुछ अधिकार दें ताकि वह कुछ काम कर सके और अगर संभव हो तो इन्हीं कमेटियों का विस्तार किया जाय ताकि वह पुलिस से भी सम्पर्क कायम कर सके और कुछ पुलिस की भी मदद कर सके। अब तक पुलिस अलग और जन-समाज अलग दिखाई पड़ता है। काम दोनों का एक दूसरे से पड़ता है, लेकिन आम आदमी पुलिस को भय की दृष्टि से देखता है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस तरफ भी विचार करें और कोई ऐसी सूरत जरूर निकालें कि जिससे जनता और पुलिस में सम्पर्क बढ़े। बहुत से ऐसे मौके आ सकते हैं, ऐसे उत्सव, जलसे, समारोह किये जा सकते हैं जब जनता आमंत्रित की जाय, पुलिस भी रहे ताकि एक दूसरे में सम्पर्क हो। आज तक पुलिस को जिस निगाह से देखा जाता है उससे न देख कर यदि यह समझें कि पुलिस हमारी रक्षक है, सेवा करने वाली है तो इससे मैं समझता हूं कि दोनों तरफ सुधार होगा।

यह देखने में आया है कि बहुत से थानों का क्षेत्र बहुत बड़ा है, ७, ८ और १० मील तक है। कहीं-कहीं थाने के बीच दो, दो नदियां आ गई हैं। थाने में रिपोर्ट करने के लिये जो लोग जाते हैं उन्हें भी दिक्कत होती है और थानेदारों को भी तफतीश के लिये जाने में दिक्कत होती है, समय ज्यादा लगता और कभी-कभी सवारी न होने पर जा नहीं सकते। कहीं पर वारदात हो गई, लोगों ने रिपोर्ट कराई मगर अपनी मजबूरियों के कारण पुलिस ५, ६ दिन तक नहीं पहुंच सकी, कभी बाढ़ आगई, कभी कुछ हो गया। तो मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह इस ओर भी ध्यान दें और थानों के क्षेत्र को कम कर दें ताकि वह आसानी से पहुंच सकें और लोगों की शिकायतें दूर कर सकें।

[श्री रामजीलाल सहायक]

थानेदार को बहुत सा समय मुकदमों में लगाना पड़ता है। बताया गया कि महीने में २० दिन कचहरी में लग जाते हैं। १० दिन थाने में रहता है या तफतीश में रहता है और उसकी जगह दूसरे लोग काम करते हैं। मेरा निवेदन है कि प्रासीक्यूटिंग अफसर या कोर्ट साहब, जो पुलिस की तरफ से पैरवी करता है मुकदमों की, उसको अगर सब कागजात वगैरह दे दिये जायं और वह मुकदमें देखे तो दारोगा दूसरे काम कर सकते हैं। मंत्री जी इस सम्बन्ध में अधिकारियों से परामर्श करके देखें कि यह चीज की जा सकती है या नहीं।

यहां पर यह बात कही गई कि मंत्री जी के हाथ में जब यह विभाग आया तो लोगों को बड़ी आशा हुई। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि मंत्री जी में जनता का विश्वास है कि जिस विभाग को वे लेते हैं उसे ठीक करते हैं। अतः मेरा विश्वास है कि इस विभाग को भी ठीक करेंगे और अपने कर्तव्यों का ठीक पालन करेंगे। जो हमारे साथी हैं जिन्हें अविश्वास है उनको भी विश्वास रखना चाहिये और सब को उनकी सहायता और मदद करनी चाहिये इस मसले में कि वह इस विभाग को ठीक कर सकें। इस शब्दों के साथ मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं और इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—माननीया, कल जिस समय यह अनुदान सदन के समक्ष विचार के लिये प्रस्तुत हुआ उस समय से ही मैं इस पर हुए भाषणों को सुन रहा हूं। आमतौर से दोनों तरफ के लोगों ने, प्रत्येक ने, विद्यमान गृह मंत्री जी तथा उनकी कार्य-दक्षता की प्रशंसा की और कहा कि हम उनसे आशा करते हैं कि जो पुलिस जन-जीवन के साथ अमानवीय रोमांस करती रही है, उस विभाग को दुरुस्त करने में वे कामयाब रहेंगे।

माननीया, मैं उन बातों की चर्चा करके सदन का समय बरबाद नहीं करना चाहता। आपके द्वारा मैं उनका ध्यान राज्य की जो असाधारण अशान्ति और अव्यवस्था है उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

आज हमारा राज्य एक विशेष असाधारण परिस्थिति से गुजर रहा है। कुछ ऐसे तत्व जिनके कारनामों के कारण हमारे राष्ट्र पर बहुत बड़ा कलंक का टीका लगा जिन्होंने राष्ट्रपिता की हत्या की और कुछ ऐसे तत्व जिनकी वजह से राष्ट्रीय संग्राम के अवसर पर हमको बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा हमारे राज्य में पुनः सर उठाने लगे हैं और उनके सम्बन्ध में आये दिन सदन को सूचना प्राप्त होने लगी है। कुछ दिन पूर्व गृह मंत्री जी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया था कि हमारे राष्ट्र पर जो सबसे बड़ा संकट है, हमारी सीमा की रक्षा का जो सबसे बड़ा प्रश्न है, उस प्रश्न को उलझाने में कुछ लोग लगे हुए हैं। जब वह इस बात की चर्चा करते हैं कि हमारी पुलिस ने यह काम किया, वह काम किया और तरह-तरह की प्रशंसा की बात करते हैं तो क्या वह इस बात को भूल जाते हैं कि आज हमारी पुलिस पर जो सबसे बड़ा दायित्व है, पुलिस पर ही नहीं हम पर, आप पर जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है उसको पूरा करने में गृह विभाग और उसकी लाड़ली पुलिस कहां तक काम रह रही है ?

उन्होंने एक अनोखा तर्क सदन के सामने पेश किया। वह कहते हैं कि जनसंख्या में ज्यों-ज्यों वृद्धि हो रही है हमारे लिये आवश्यक हो जाता है कि हम पुलिस की संख्या में भी बढ़ोत्तरी करें। वह शायद यह समझते हैं कि प्रत्येक गृह के पीछे पुलिस का कांस्टेबिल खड़ा कर देने से शान्ति और व्यवस्था स्थापित होगी। मेरी समझ में उनका यह तर्क नहीं आया। मैं तो जानता हूं और स्मरण करता हूं कि माननीय गृह मंत्री जब राजस्व मंत्री थे तो उनके जमाने में चकबन्दी का जो घपला था उसे मैं भूल नहीं सकता। साथ ही साथ यह बात भी मैं भूला नहीं कि उनकी कर्मठता और दक्षता के रहते हुए क्या तहसीलों का भ्रष्टाचार एक फीसदी भी कम हो सका था ? औरों को आशा हो सकती है, लेकिन मुझे उनके काम करने के तरीके से बिलकुल उम्मीद नहीं है।

माननीया, उनकी बात छोड़ दीजिये जो गांव के गंवार आदमी हैं। इधर के बैठने वाले जो समाज सेवी हैं उन पर जिस प्रकार का अत्याचार हो रहा है, उससे सभी अवगत हैं। इस रिपोर्ट में प्रारम्भ में ही कह दिया गया कि हमारी पुलिस पिछले वर्ष समाजवादी सत्याग्रहियों के पीछे, स्कूलों और कालेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पीछे बड़ी व्यस्त रही है। तो व्यस्तता की कहीं चर्चा है, उनकी कर्मठता कहीं दिखाई पड़ती है तो केवल समाज सेवियों और भावी सन्तान के पीछे। जो लोग समाजवादी हैं, जिनके दिलों में समाज को बनाने की प्रेरणा है, उत्साह और उमंग है उनके पीछे पुलिस की कर्मठता दिखलाई पड़ती है। अंग्रेजी जमाने में कहा करते थे कि अंग्रेज बड़ा बुरा है। उसने देशसेवकों के पीछे पुलिस लगा रखी है, लेकिन आप इस रिपोर्ट को तैयार करते हुये जहां यह बतलाते हैं कि हमने चोरों के इतने गिरोह, डकैतों के इतने गिरोह और राष्ट्र विरोधी तत्वों के इतने गिरोहों का सफाया किया वहां प्रारम्भ में ही आप लिखते हैं कि पुलिस पिछले वर्ष समाजवादी सत्याग्रहियों के पीछे, स्कूलों और कालेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पीछे व्यस्त रही। लेकिन याद रखिये कि इस तरह से पुलिस का गलत इस्तेमाल करके आप इस राज्य का भला नहीं कर रहे हैं।

मैं समझता हूं कि पुलिस कमीशन बन जाने के बाद एक आड़ होगी आपके सामने कि कमीशन की रिपोर्ट आ रही है और सब ठीक हो जायगा। लेकिन क्या ठीक हो जायगा? माननीय गेंदा सिंह जी के यहां चार बार चोरी कराई गयी, चोरी का सामान बरामद हुआ और चोर की ही सुपुर्दगी में थानेदार ने सब सामान छोड़ दिया। मैं अपनी बात क्या करूं, इस सदन के सदस्यों तथा मेरे साथियों को गलत कामों में फंसाने की कोशिश की जाती है। औरों की बात छोड़ दीजिये, पत्रकार जो समाज का तथा जनतन्त्र का सबसे बड़ा प्रहरी है उसी पर पुलिस द्वारा भयानक हमले होते हैं! इस दिशा में सरकार ने क्या कदम उठाया है, उसको मैं जानना चाहता हूं। माननीया, गांव की बात छोड़िये, राजधानी में हुई अभी हाल की घटना की तरफ मैं गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी परसों या चौथे दिन के अखबार में मैंने पढ़ा कि चारबाग स्टेशन पर एक आदमी पकड़ा गया जिसके पास १२ अबोध बालक थे। पिछले साल एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि ४०० बच्चे इस दारुलसल्तनत से गायब हो गये और कुछ पता नहीं चला कि कहां चले गये। सुना है कि वे आततायी उन बच्चों की आंखें निकाल लेते हैं। उनसे भीख मंगवाते हैं और तरह-तरह के घृणित कर्म उनसे करवाते हैं।

माननीया, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि पुलिस के संगठन के पीछे जो बुनियादी सवाल है उसके ऊपर जब तक वे फैसला नहीं करेंगे तब तक यह पुलिस हमारे लिये कदापि उपयोगी नहीं हो सकती है। इस पुलिस का ढांचा उस समय बनाया गया था जब हिन्दुस्तान का अंग्रेजों के द्वारा शोषण करने का प्रश्न था। उस ढांचे के रहते हुये यह पुलिस कभी भी जनोपयोगी नहीं हो सकती है। आज होता क्या है गांवों में? उन लोगों को दबाने के लिये जो सचमुच में जनता की कुछ सेवा कर सकते हैं, १०८ और १०९ के मुकदमें चलाये जाते हैं। हमको भी आये दिन जनता की मांगों के लिये जेल जाने का मौका मिलता है। आज जेलें १०८ और १०९ के मुकदमों से भरी पड़ी हैं।

चर्चा की गयी कि लाइसेन्स देने के ढंग को बदलिये। मैं जानता हूं कि इसका सम्बन्ध केन्द्र से है। आप उनसे सिफारिश कीजिये कि उन आततायियों से अगर आप रक्षा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उदारतापूर्वक जनता को हथियार तो दे दीजिये।

फायर सर्विस की चर्चा की गयी। क्या वह फायर सर्विस उन गांव वालों के लिये भी है? आपने भी पढ़ा होगा कि परीक्षा के दिनों में आये दिन ऐसा होता है कि एक विद्यार्थी परीक्षा भवन से बाहर निकलता है। जल्दी में घर भागना चाहता है, लेकिन मोटर से कुचल कर मर जाता है। आपको इस समस्या के ऊपर सोचना चाहिये कि स्कूल जब खुलते और बन्द होते हैं तब वहां पर पुलिस की ड्यूटी लगायें। लेकिन पुलिस तो डेप्यूट होगी आपके दौरे के समय, आपकी सुरक्षा के लिये। जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन अपनी रक्षा के लिये आपको पुलिस की आवश्यकता होती है, उन लाड़लों की रक्षा के लिये आपके दिलों में दर्द नहीं है।

[श्री रामायणराय]

माननीया पिछले वर्ष हमारे यहां एक मुकदमा अजीब ढंग का एक अध्यापक के ऊपर चलाया गया। किस तरह से उस अध्यापक को अपमानित करने का प्रयास किया गया देवरिया खास में, उसकी चर्चा यहां करके मैं सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता। मैं तो बुनियादी बातों के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बिना उन बातों पर सोचे पुलिस को आप उपयोगी नहीं बना सकते हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि मुख्यतया चार बातों की वजह से आज पुलिस नाकामयाब हो रही है। सब से पहली बात यह कि आये दिन राज पुरुषों द्वारा उनके काम में दखलन्दाजी की जाती है। दूसरी बात यह कि पुलिस का आज भी रुख जन विरोधी है। वह ऐसा समझते हैं कि हम जनता के सेवक नहीं हैं, सरकार के सेवक हैं। उनके इस दृष्टिकोण को आमूल परिवर्तित करना होगा, अगर हमें उन्हें जनसेवक के रूप में देखना है।

तीसरी बात जो मेरी समझ में उनमें भ्रष्टाचार होने की आती है वह यह कि उनके अन्दर एक व्यापक असन्तोष फैला हुआ है और उस असन्तोष को, उन्होंने आज से कुछ दिन पहले जो एक हड़ताल की थी, उसके द्वारा व्यक्त किया था। थोड़े से आदमियों ने हिम्मत के साथ उन लौह कानूनों के होते हुये और विभागीय बन्धनों के होते हुये भी अपने अपने असन्तोष का प्रदर्शन किया था। चौथी बात मेरी समझ में यह है कि उनमें कुछ अयोग्य लोग भरे हुये हैं। उनमें पहली योग्यता यह होनी चाहिये कि वे राष्ट्र सेवी हों। इस अयोग्यता के रहते आप कदापि इस बात की उम्मीद नहीं कर सकते कि वे लोग कभी भी देश सेवक हो सकते हैं। और जगह की बात क्या करूं, हमारे बगल में साथी प्रतापसिंह बैठे हुये हैं। जब उन्हें मालूम हुआ कि मैं आज सदन के सामने पुलिस रानी के स्वागत में गुणगान करने वाला हूं तो उन्होंने कहा कि मित्र, क्या कहें, आज सीमा पर ऐसे पुलिस अधिकारी रखे गये हैं जो अनैतिक व्यापार में सहयोग करते हैं। अगर माननीय मंत्री जी चाहेंगे तो माननीय सदस्य उनकी सेवा में उनके नाम भेज देंगे।

उन्होंने बहुत दर्द के साथ कुछ सुझाव मांगे थे। मैं सब से पहला सुझाव यह देना चाहता हूं कि उनको एक ऐसी एजेन्सी कायम करना चाहिये जिससे आये दिन जो यह शिकायत की जाती है कि एफ० आई० आर० ठीक से नहीं लिखी जाती है, वह दूर हो सके और यह एजेन्सी पुलिस से मुक्त होनी चाहिये। दूसरा मेरा सुझाव यह है कि पुलिस में काम करने वाले जो छोटे-छोटे कर्मचारी हैं उनको मानवीय अधिकार दें। कान्सटेबिलों के रहने के लिये आज कोई व्यवस्था नहीं है। वह बेचारा दिन भर चोर डाकुओं के पीछे दौड़ता है और शाम को जब वह लौटता है तो बीबी बच्चों के साथ उसको रहने की भी सुख-सुविधा नहीं है। जहां एक तरफ उनकी तनख्वाह बढ़ाना आवश्यक है वहीं उनके रहने के लिये क्वार्टर्स की भी व्यवस्था कीजिये। पुलिस में इंसपेक्टर का पद सुपरफ्लुअस है और इसको तत्काल खत्म करना चाहिये। यह काटो सरकार है और जगह जगह काट रही है तो इस पद को क्यों नहीं काट देती? अगर यह पद काट दिया जाय तो जनता का बड़ा भला हो।

इसके अतिरिक्त जो बार्डर में काम करने वाले पुलिस के कर्मचारी हैं और पी० ए० सी० के लोग हैं उनके लिये भी सुख-सुविधा की व्यवस्था होनी चाहिये। आपने पुलिस फोर्स का मोरेल बढ़ाने के लिये जो यह किया है कि जो चोर और डाकुओं से मरने वाले हैं उनके परिवार को पेंशन दी जायगी, तो होना यह चाहिये था कि मंत्री जी सदन में यह भी घोषणा करते कि जो लोग सीमा पर लगे हुये हैं उनके बलिदान होने के बाद उनके घरवालों को चिन्ता नहीं होगी कि खाना कपड़ा वगैरह कहां से आयेगा। इन लोगों के लिये आपने कोई व्यवस्था की होती तो हम समझते कि कटौती का प्रस्ताव अनावश्यक है।

मैं मंत्री जी से आग्रह कर रहा हूं कि वह अपनी पुलिस को जनता के सेवक के पीछे न लगाकर चोर, डाकुओं के पीछे लगायें, अपनी दलबंदी में उसका प्रयोग न कीजिये, अपनी राजनीति को मजबूत करने में उसका प्रयोग न कीजिये। जनतंत्र और देश की बदली हुई परिस्थिति का यह तकाजा है कि सही जनसेवक के रूप में पुलिस का ढांचा बनायें और ऐसी पुलिस बनाये जो जनता की मुसीबत के समय काम आ सके। क्या आपने नहीं देखा था कि जिस समय अपने यहां

अर्थात् लखनऊ में बाढ़ आई थी तो आपके पुलिस के जवान हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। जब फौज के जवान आये तो उन्होंने लोगों को विपत्ति से मुक्ति दिलाई। मैं समझता हूं कि मंत्री जी ने जो कहा था कि रचनात्मक सुझाव दो जिससे जनता का भला हो सके तो उसको ध्यान में रखकर मैंने यह कहा है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है मंत्री जी ने एक हवा चला दी है कि वह बड़े योग्य हैं और कर्मठ हैं और फाइल में हर समय लगे रहते हैं, लेकिन इस का फल हमें चकबन्दी की तरह से न भोगना पड़े और तहसील के भ्रष्ट कर्मचारी के रूप में न भोगना पड़े। स्मरण रखिये कि केवल शब्दों में सहयोग और सुझावों से काम नहीं चल सकता है। जल्दी ही वह समय आने वाला है जब आपको जवाब देना होगा, जो आज जनता के साथ अत्याचार हो रहे हैं। आज देश की जनता इतनी भोली-भाली नहीं है कि वह आपकी शकल और आपकी वरदी को ठीक ढंग से न पहचान सके, वह जानती है कि किन कामों में आज पुलिस का प्रयोग किया जा रहा है।

आखिर में मैं मंत्रीजी से फिर आग्रह करूंगा कि जब वह जवाब देने के लिए खड़े हों तो इस बात को कृपा करके जरूर समझा दें, मैं एक बहुत ही साधारण मेम्बर हूं, उम्र में भी उनसे बहुत छोटा हूं कि कैसे वह मानते हैं कि जन संख्या बढ़ने के साथ साथ पुलिस फोर्स की संख्या भी बढ़नी चाहिये; कैसे वह समझते हैं कि घर-घर के पीछे सिपाही बैठाने से सुरक्षा कायम होगी। मैं तो ऐसा मानता हूं कि अगर पुलिस की कार्य-दक्षता बढ़े तो ऐसी हालत में पुलिस के कर्मचारी ठीक ढंग से काम कर सकते हैं। आज होता क्या है। एक सिपाही जो लाइन में काम करता है और दूसरा जो थाने में काम करता है? दोनों के बीच रस्साकशी की एक मनोवैज्ञानिक भावना मिलती है।

श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—माननीया जी, मैं माननीय पालीवाल जी के कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीया, जिस विभाग के सम्बन्ध में मैं अपने विचार रख रहा हूं वह विभाग अपनी ज्यादतियों और अत्याचारों के लिए काफी मशहूर रहा है। जिस विभाग के कर्मचारियों ने प्रातः स्मरणीय बैकुन्ठवासी पंत जी और लोकनायक जवाहर लाल जी की हड्डियां तोड़ीं, वह विभाग अपने अत्याचार के लिए काफी ख्याति प्राप्त किये हुए है। उस विभाग के सम्बन्ध में हुई बहस के सम्बन्ध में विभिन्न विचारों को मैंने ध्यान से सुना। मैंने विरोधी दलों के सदस्यों की बातों पर भी गौर किया। माननीया, जिस विभाग के सम्बन्ध में चर्चा की जा रही है, यह सही है कि वह विभाग अपने कार्यों के लिये काफी पहले से बदनाम रहा है, लेकिन उस विभाग के सम्बन्ध में उस विभाग को परेशान करने के लिये, जलील करने के लिए क्या हो रहा है, इस पर भी गौर करना पड़ेगा।

मैं कानपुर की एक बात बतलाता हूं। शिवराजपुर थाने में एक आदमी को दूसरी पार्टी ने गायब कर दिया। कहा यह गया कि थानेदार ने मार डाला है। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने उसके विरोध में प्रदर्शन की तैयारी की घोषणा की, लेकिन आज अखबारों में पढ़िए 'स्वतंत्र भारत' कह रहा है कि वही आदमी जो मारा गया बतलाया जा रहा था, जिसके जिम्मेदार शिवराजपुर थाने के इंचार्ज बतलाये जाते थे, वही आज एस० डी० ओ० के इजलास में हाजिर होता है और कहता है कि मैं दूसरे के बहकावे में आ कर गायब हो गया था। तो इस तरह की भी बातें हमारे साथियों को ध्यान में रखनी चाहिये। जिसे जिम्मेदारी के साथ काम करना पड़ता है उसकी परेशानियों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। यह सही है कि पुलिस विभाग में अभी तक जिम्मेदारी से काम करने वालों की कमी है और यह भी सही है कि थानों में ईमानदारी के साथ रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती हैं। यह भी सही है कि अपने तरीके पर कभी-कभी थोड़ी बहुत रिश्वत भी ली जाती है और कुछ ऐसे भी काम होते हैं जिनको नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता।

माननीया, मैंने गृह मंत्री जी की उस घोषणा को भी सुना जिसमें उन्होंने कहा है कि जो कर्मचारी, छोटे बड़े कर्मचारी, वीरगति प्राप्ति कर चुके हैं, डाकुओं के संघर्ष में या दूसरे तरीके से जिनकी जानें गयी हैं उनके परिवार को काफी सुविधाएं प्रदान की जायंगी। इस पर मैं माननीय गृह मंत्री जी को बधाई देता हूं।

[श्री रामदुलारे मिश्र]

माननीया, कुछ स्थानीय दिक्कतें भी हैं जिनके सम्बन्ध में मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीया जी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने तरीके की बात करने के आदी हैं और उनकी अच्छाइयों में भी खराबियां मिलती हैं। यह सही है कि पुलिस विभाग में बहुत सी खराबियां हैं, लेकिन इस बात की भी प्रशंसा की जानी चाहिए कि कुछ लोगों ने अपनी जान हथेली पर रखकर के चम्बल घाटी के मौके पर डाकुओं से मोर्चा लिया है, उनके अच्छे कामों की भी प्रशंसा की जानी चाहिए। श्रीमन्, इस बात की भी चर्चा की जानी चाहिए कि माननीय गृह मंत्री जब से इस विभाग में आये तब से इस विभाग में सुधार भी हुआ और छोटे बड़े सभी कर्मचारियों में एक आतंक तो पैदा हो ही गया है।

आज ही अखबार में खबर है कि बस्ती जिले के कुछ इंसपेक्टर कांस्टेबिल बना दिये गये। अभी कानपुर की एक बात मैं बतलाता हूं कि एक सब-इंसपेक्टर ने डकैती की रिपोर्ट चोरी में लिखी। वह मुअत्तल किया गया, उसकी तनज्जुली की गई और दफा ७ का मामला भी उस पर चल रहा है। कई जगह डिप्टी सुपरिन्टेंडेन्ड पुलिस भी मुअत्तल किये गए और उन पर कार्यवाही भी हो रही है। तो इस तरह की जो अच्छाइयां हैं उनका भी जिक्र करना चाहिए और उस बात का भी प्रयत्न होना चाहिए कि लोग कुछ अच्छे सुझाव भी दें। केवल आलोचना करने से और केवल यह कहने से कि काम अच्छा नहीं होता, सब के सब ऊपर से नीचे तक बेईमान हैं, इससे तो काम चलेगा नहीं। जिस जिम्मेदारी के लिये हम और आप यहां इकट्ठे हुए हैं, उस पर हमको कुछ सोचना चाहिये और कुछ रास्ता अपनाने के लिये सुझाव देना चाहिये। अभी तक जितने भाषण दिये गए विरोधी पक्ष की ओर से, मैं समझता हूं कि उनमें कोई ठोस सुझाव नहीं आये।

श्रीमन्, आपसे निवेदन यह है कि जो रिपोर्ट लिखाने लोग थानों में जाते हैं वह अब भी ठीक तरह से नहीं लिखी जातीं। दूसरे यह कि उस थाने के कर्मचारियों की बहुत सी कुछ ऐसी शिकायतें होती हैं कि जिनको दूर कराने का कोई रास्ता नहीं होता। तो इसके लिए मेरा यह सुझाव है कि थाने में एक बाक्स रखा जाना चाहिये, जिनको जो शिकायतें हों, वह लिखकर उसमें डालते जायं और उसकी ताली डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट के पास रहे, वह दौरे के समय उनको खोलकर उनके ऊपर कार्यवाही करें।

श्रीमन्, कई मर्तबा यह चर्चा हुई और पुलिस कमेटी की बैठकों में भी इसका जिक्र किया गया कि सर्किल इंसपेक्टरों के पद अनावश्यक हैं। तो अब जब आप खर्चे में कमी करने जा रहे हैं तो यह आवश्यक है कि आप इस को भी सोचें कि अब सर्किल इंसपेक्टर के पद के रहने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमन्, ग्राम रक्षा समितियों को संगठित करने की बात चल रही है, लेकिन उसमें कागज की खानापुरी करने की कोशिश की जाती है। इन ग्राम रक्षा समितियों के संगठन में जनसेवकों से कोई सलाह नहीं ली जाती है। इसलिये आप ऐसी हिदायतें दें कि नीचे के अधिकारी इस बात को देखें कि जहां जहां ग्राम रक्षा समितियां बनें वहां जनसेवकों से और स्थानीय जिम्मेदार व्यक्तियों से जरूर सलाह ली जाय और उनके सहयोग से ही वह समिति बनायी जाय।

हर थाने से इस तरह की भी शिकायतें आती हैं कि थाने में रिपोर्ट करने लोग जाते हैं तो उन्हें उसकी डुप्लीकेट कापी नहीं दी जाती है। आप यह भी आदेश जारी करें कि जो रिपोर्ट लिखी जायं उसकी डुप्लीकेट उनको जरूर मिलनी चाहिये।

माननीया, यह सही है कि थानों में जरायम कम हों, लेकिन उसके लिए इससे काम नहीं चलेगा, जैसा कि थानों में उसका यह भी एक जरिया है कि जुर्म कम लिखे जायं और वह छिपाये जायं। आप उसके लिये ऐसे आदेश दें कि जिन थानों में संगीन मामले कामयाब हों उनको पारितोषिक दिया जाय। इस तरीके से उनको प्रोत्साहित किया जाना चहिये। जहां मामले अधिक छूटें वहां लोगों को सजा दी जाय।

माननीया, आज भी दौरे में सुपरिंटेंडेंट पुलिस जाते हैं और दूसरे अधिकारी भी जाते हैं, उनके राशन वगैरह का इन्तजाम थानेदारों को करना पड़ता है। आप यह भी आदेश देदें कि दौरों के सिलसिले में जब सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस जायं तो वह अपने राशन का और अपने दूसरे प्रबन्ध की व्यवस्था स्वयं करें।

माननीया, चौकीदार की तनख्वाह ऐसे ही कम हैं और जब वह थानों में जाते हैं तो उनसे निजी काम लिया जाता है। कहीं मवेशियों का चारा कटवाया जाता है और कहीं दूसरा काम लिया जाता है। उसको केवल ५ रुपये मिलते हैं। उसकी तनख्वाह को बढ़ाया जाय। थानों में जब वह सरकारी काम से जाय तो उसके लिये भोजन की व्यवस्था की जाय। हाल्ट का भत्ता १ रुपया रोज उसको मिले। जिस तरह से बड़े-बड़े अधिकारी लेते हैं, ऐसा ही उस चौकीदार को भी हाल्टेज के नाम पर एक रुपया दिया जाय।

श्रीमन्, बहुत से संगीन मामले छूट जाते हैं और सही कत्ल भी छूट जाते हैं। इसलिये यह जो शक का फायदा मुलजिमों को मिलता है, वह नहीं मिलना चाहिये। हमारी सरकार इसके लिये कानून में संशोधन कराने के लिये भारत सरकार से सम्पर्क स्थापित करे ताकि सही मुलजिमों को मुनासिब सजा दी जा सके।

श्रीमन्, अभी मैंने देखा कि ज्यादातर इमारतें शहरों में बन रही हैं, कुछ देहातों में भी बनी हुई हैं। कानपुर के देहातों के लिये इस बजट में काफी उपेक्षा की गई है। वैसे कानपुर शहर के लिये बड़े-बड़े काम हुये हैं, लेकिन कानपुर के देहात के लिये इस बजट में कोई खास गुंजायश नहीं है। शिवली, शिवराजपुर और मूसानगर के थानों की इमारतें बिलकुल बेकार पड़ी हुई हैं। उनको बनाने के लिये तखमीना कई साल हुये बन गया था लेकिन अभी तक वह फाइलों में पड़ा हुआ है। इसलिये मेरी आपसे प्रार्थना है कि कानपुर जिले में, जो ये तीन थाने हैं, उनको बनाने की शीघ्र सरकार कार्यवाही करे।

जुआ कानून में परिवर्तन होना चाहिये। बड़े-बड़े जुये होते हैं। उससे सैकड़ों लोगों को फायदा भी होता है। उस बुराई को दूर करने के लिये कानून में तरमीम होनी चाहिये ताकि लोगों को बड़ी सजाएं हों और साथ ही बड़े-बड़े जुरमाने भी हों। जहां पर जुआ होता हो उस मकान की बिना वारंट तलाशी हो सके और लोगों को गिरफ्तार किया जा सके। यह भी निवेदन करूंगा कि एक थानेदार एक थाने के अन्दर दो साल से अधिक नहीं रहना चाहिये। ६ महीने से अधिक एक थाने में एक दीवान और चीफ भी नहीं रहना चाहिये, क्योंकि उसके दलाल पैदा हो जाते हैं। आप इस तरह के आदेश दें कि दलालों को प्रोत्साहन न दिया जाय। यदि ऐसा मालूम हो कि फलां थानेदार या फलां कर्मचारी दलाल के चक्कर में पड़ा हुआ है उसे सख्त सजा दी जाय। इसके संबंध में सरकार कार्यवाही करेगी, ऐसी मुझे आशा है।

(इस समय २ बजकर ४ मिनट पर, उपाध्यक्ष, श्री राम नारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुये।)

श्रीमन्, थानों में जो धनराशि फुटकर खर्च की रखी जाती है वह बहुत ही कम है, इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि हर थाने में कम से कम ५०० रुपया रखा जाय ताकि वह वक्त जरूरत पर खर्च की जा सके। श्रीमन्, जिलों में भ्रष्टाचार कमेटी भी बनी हुई हैं कहने के लिये, लेकिन उनकी बैठक महीने दो महीने में भी नहीं होती। कभी बैठ कर, जो निश्चय कमेटी करती है उसके निश्चयों पर कोई खास परवाह नहीं की जाती। भ्रष्टाचार कमेटी के चेयरमैन अगर अपने तरीके पर रिपोर्ट देते हैं तो उस रिपोर्ट की कोई खास अहमियत नहीं मानी जाती। इसलिये अगर आप भ्रष्टाचार विरोधी समितियों को वास्तव में रखना चाहते हैं तो उनको और अधिकार दीजिये और इस बात की कोशिश कीजिये और आदेश दीजिये कि जो समिति के अधिकारी हैं वह भ्रष्टाचार कमेटी की रिपोर्ट पर खासतौर से अमल करने की कोशिश करें। वैसे कहने के लिये कम्पलेन्ट अफसर भी हैं, लेकिन कम्पलेंट अफसर वही लोग हैं जो पहले सब-

[श्री रामदुलारे मिश्र]

इंसपेक्टर रह चुके हैं या सर्किल इंसपेक्टर रह चुके हैं । आज वही उन इलाकों में कम्पलेंट अफसर होकर आये हैं । इसलिये कुछ काम होने की आशा नहीं । इसलिये अगर आप पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा एक ऐसा कम्प्लेन्ट अफसर रखें जिस पर लोगों का विश्वास हो ।

श्री उपाध्यक्ष—समय समाप्त ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी हाल में सरकार को बधाई देने वाले सज्जन का भाषण सुना और दूसरे सरकारी पक्ष के लोगों के भाषणों को भी सुना । मुझे अफसोस इस बात का है कि सत्य कहने के लिये यहां पर एक स्थान है और दुर्भाग्य की बात यह है कि सदस्यगण अपनी बात को इस ढंग से कहते हकि समर्थन तो वे पुलिस अनुदान का करते हैं, लेकिन आलोचना पूरी होती है सरकार की, कि सरकार के जो काम हैं वे जनता में विश्वास पैदा नहीं कर सके, सरकार इस काबिल नहीं है, उस काबिल है । यह एक विचित्र बात है ।

श्रीमन्, पुलिस प्रशासन के तीन अंग हैं—पहला अपराध स्थिति, दूसरे उनकी संख्या और तीसरे उसके तौर-तरीके । मैं दुख के साथ कहता हूं कि अंग्रेजी राज्य के खिलाफ लड़ने में सदन के अधिकांश लोगों ने अपने जीवन के अच्छे काल की आहुति दी है और कोई नहीं कहता कि अंग्रेजी राज्य अच्छा था । लेकिन जिन बातों में हम कुछ अच्छाई पायें और न कहें तो उससे सत्य दबता है और सत्य के अभाव में भ्रष्टाचार बढ़ता है । मैं इसलिये आदरणीय सदन के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे अंग्रेजी काल तथा कांग्रेसी शासन जब से आया है तब से उसकी अपराध स्थिति पर गौर करें । मुझे दुख के साथ कहरहा है कि चाहेगृह मंत्री पद पर कमलापति जी रहे हों, लालबहादुर शास्त्री रहे हों, चरण सिंह जी रहे हों अथवा सम्पूर्णानन्द जी, वस्तुस्थिति यह है कि कांग्रेसी शासन काल में सदैव ही अपराध स्थिति ऊपर पहुंच गयी है ।

मैं समय के अभाव में अधिक अपराधों के आंकड़े तो नहीं, लेकिन चार जघन्य अपराधों के आंकड़े आपकी सेवा में प्रस्तुत करना चाहता हूं जिनमें मनुष्य की विवशता लक्षित होती है और उसे राज्य की सहायता की आवश्यकता होती है । वह आंकड़े हैं डकैती, लूटमार, दंगे और हत्याओं के । इनको आप देखें तो आपको आश्चर्य होगा । सन् १९३९ में जब कांग्रेस सरकार थी तो डकैतियों की संख्या थी १,०७९, लूटमार के केसेज थे ७४७, दंगे थे ३,२९३ और हत्यायें थीं १,३४७ । गत सन् १९६० की साल में इनकी संख्या थी इस प्रकार—डकैती ९५२, लूटमार ५४२, हत्या १,६५६ और दंगे २,७४३ । अब श्रीमन्, १९४५ में, जब अंग्रेज यहां से जाने वाले थे और शान्ति का काल नहीं था उस समय के आंकड़े देखें । डकैती ५११, लूटमार ३२७, दंगे १,८०९ और हत्यायें ९८९ । श्रीमन्, आप देखें कि १९३८ की जो प्रशासनिक रिपोर्ट है उसमें बड़े दुख के साथ लिखा है कि पिछले ६ वर्षों से दंगों की संख्या का जो औसत २,१०० था सन् १९३८ में ३,१८० हो गया । यह इस बात को सिद्ध करता है कि जब कांग्रस शासन आता है, जुर्म बढ़ने लगते हैं । क्यों बढ़ने लगते हैं, इस समस्या पर प्रकाश उस समय के अधिकारियों ने ही डाला है और मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री जी उसको सुन लें । वह आंकड़े देने के बहुत आदी हैं, इसलिये मैंने सोचा कि कुछ आंकड़े उनकी सेवा में प्रस्तुत कर दूं । श्रीमन्, इसमें लिखा है कि सन् २३ से लेकर आज तक इतनी हत्यायें कभी अंग्रेजी राज्य में नहीं हुईं जितनी आज हो रही हैं और एक वाक्य लिख कर तो रिपोर्ट में कमाल कर दिया गया है और किस साहस के साथ सत्य का उद्घाटन किया गया है । [सरकारी पक्ष के लोग उन बातों से अवगत होते हुये भी उनको मानन से इनकार करते हैं । कोई भी सरकारी आदमी सरकार पर सीधे आरोप तो नहीं लगा पाते, किन्तु जो वह कहते हैं उससे वह बातें सिद्ध अवश्य हो जाती हैं । वे कितनी खूबी के साथ आरोप लगाते हैं, इसको देखते ही बनता है । श्रीमन्, १९४६ की प्रशासनिक रिपोर्ट में पृष्ठ ४ पर लिखा है—"डिप्टी इंसपेक्टर दक्षिणी रेंज ने रिपोर्ट की है कि कुछ बदमाश, दुराचारी, शासन के परिवर्तन का लाभ उठाकर अपने को कांग्रेसी

कहने लगे हैं । श्रीमन्, कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस के अन्दर बहुत से ऐसे लोग हो गये हैं जो खुद जुर्म करते और कराते हैं और नाजायज फायदा उठाते हैं । उसने जो लिखा है, स्पष्ट न लिख कर, यह कह दिया है कि ऐसे लोग अपने को कांग्रेसी कहने लगे हैं । उनका मतलब यही है कि कांग्रेसी लोग ही ऐसा करते हैं ।

श्रीमन्, कानपुर में भ्रष्टाचार निरोधक कमेटी बनी हुई है, उसके एक सभापति हैं, किन्तु उनकी मीटिंग में कोरम ही नहीं होता है, क्योंकि जो उनका विगत इतिहास है वह बताता है कि वह भ्रष्टाचार उन्मूलन भला क्या करेंगे । यही कारण है कि कानपुर में डकैती और कत्ल की संख्या दिनोंदिन बढ़ रही है । हम लोगों ने सरकार को बताया, माननीय मोतीलाल अवस्थी जी ने भी सरकार को लिखा, गृहमंत्री जी को, कि पुलिस ने कुछ जिम्मेदार आदमियों को झूठे केस में फांस कर उन पर मुकदमा चला दिया है । किन्तु उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी और उल्टे उन लोगों की पदोन्नति हो गयी । क्या किया जाय ? मैं आदरणीय सदन से कहूंगा कि वह ठंडे दिल से सोचें कि आखिर प्रशासन में जो खराबियां हैं उनकी जिम्मेदारी किस पर है ? मैंने माननीय गृह मंत्री जी को स्वयं दो चिट्ठियां लिखीं, मगर जवाब एक का भी नहीं आया । थाना सिकन्द्रा में तीन कत्ल व दो डकैतियां ६ माह के अन्दर हो गईं, एक डकैती की तो रपट भी नहीं लिखी गयी ।

गृह मंत्री (श्री चरणसिंह)—श्रीमन्, मैं एक पसर्नल एक्सप्लेनेशन दे दूं । वर्मा जी की दोनों चिट्ठी मौजूद हैं, लेकिन आप जिस तरह से चिट्ठी लिखते हैं, उसमें पहले सफे पर ही यह लिख देते हैं कि आपको लिख तो रहा हूं पर आपसे कुछ करना-धरना तो होगा नहीं, तो जब आप ही यह लिख देते हैं, तो मैं क्या करूं ?

श्री रामस्वरूप वर्मा—मैंने यह नहीं लिखा था ।

श्री उपाध्यक्ष—यह हो सकता है कि कभी-कभी लिखने के बाद भी यह याद नहीं रहता कि क्या लिखा था ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—श्रीमन्, मैंने यह नहीं लिखा था, फिर माननीय मंत्री जी तो उस पर कुछ कार्यवाही करके एक उदाहरण पेश कर सकते थे और ऐसा करते तो अच्छा होता । मैंने तो यह लिखा था कि आप जो दुहाई देते हैं कि अपराध बढ़ने की जिम्मेदारी मेरी होगी, तो उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है । आप जब से आये हैं, तब से उनकी संख्या और बढ़ी है, यह लिखा था । मुझे आज यह दुख के साथ कहना पड़ता है कि अपराधों की संख्या बढ़ी है, कम नहीं हुई है । माननीय मंत्री जी कुछ कार्यवाही करें तो संतोष हो जाय, लेकिन दुख तो यही होता है कि जब उनको बताया जाता है, तब भी कार्यवाही नहीं की जाती । माननीय मुंशी टीकाराम ने अपने यहां के बारे में बताया था कि ६–७–५९ से लेकर ८–१२–६० तक थाना उसहेत, जिला बदायूं, में १९ डकैतियां पड़ीं और दो कत्ल हुए, पर डकैती की रपटें नहीं लिखीं । जब श्री टीकाराम जी ने माननीय मंत्री जी से कहा तो माननीय मंत्री जी ने उनसे कहा कि कप्तान से कहिये । फिर उन्होंने कप्तान से भी कहा । कप्तान साहब ने क्या किया ? उन्होंने उसी दरोगा से कहा जिसने वहां के दलाल लोगों की सहायता से मुद्दय्यान को धमका कर, डरा कर, उनसे यह लिखा लिया कि डकैती नहीं पड़ी । अगर माननीय गृह मंत्री जी हिम्मत करें और उसकी जांच करें, तो अब भी उन गांवों में जाकर सब बातें लिखी हुई प्रमाणित हो सकती हैं, यह सब बातें सत्य-सत्य हैं । जहां डकैती-चोरी इंदराज करके ऐसा धोखा देते हैं, उसकी जांच करायी जाय । १९ डकैतियों को नजरअन्दाज कर दिया गया, वह कैसे ? हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि शासन अच्छा होगा ? जब तक शासन को ऐसी खुली पगहिया अफसरों को मिलेगी तो इसी प्रकार से वे घूमते फिरेंगे । मंत्री जी तो समझते हैं कि हमें कौन निकाल देगा ? ३०२ मेम्बर हैं । मुझे अफसोस है कि ब्रिटिश हाउस आव कामन्स की मैंने कार्य-

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

वाहियां देखीं, कहीं इस तरह से किसी मंत्री ने नहीं कहा कि डकैतियां हो रही हैं और इसी तरह बराबर होती रहेंगी ।

भजनलाल जी के इलाके में ६ डकैतियां पड़ीं, दिन में पड़ी, डेढ़ साल के अन्दर । ग्राम सेंगर की एक डकैती के संबंध में तो सदन में सवाल हो चुका है । उसकी दो दिन पहले सूचना मिल गयी थी, कोई इन्तजाम नहीं किया गया और डकैती दिन में पड़ गयी । शाम को पुलिस जाती है । यह इंतजाम है, लेकिन सुपरिन्टेंडेंट के खिलाफ न कोई कार्यवाही हो रही है, न दरोगा के खिलाफ और मंत्री जी कहते हैं कि क्या मुश्किल है ? भजनलाल जी ने बताया कि मंत्री जी ने उनसे कहा कि १०-५ केसेज साल में ऐसे हो जायं तो क्या मुश्किल है ? कितना लैटिट्यूड दे दिया है जुर्मों के लिए । इससे क्या नतीजा होगा और कैसा इन्तजाम होगा, यह अच्छी तरह से पता चल जाता है । कांग्रेसी प्रशासन में जुर्म क्यों बढ़े, इसको मंत्री जी स्वयं तय कर लें । पिछली दफा एक आंकड़ा दिया कि अमरिका में बहुत जुर्म हुए हैं । मैंने भी देखा, उसमें लिखा है "murder and Non-negligent man slaughter" इसमें यह नहीं देखा कि non negligent man slaughter तीन चौथाई है । मेरे पास १९५६ और १९५७ के यू० एस० ए० के आंकड़े हैं । १९५७ के murder and non negligent man slaughter की संख्या ८,१८२ हैं, तो इस तरह से १९५७ के आंकड़े देखे जायं और नान-नेग्लीजेंट मैन स्लाटर के केसेज निकाल दिए जायं तो २,००० के करीब हत्याएं रह जाती हैं । यहां पर यह भी ध्यान में रहना चाहिये कि अमेरिका की २१ करोड़ की आबादी है, जबकि हमारे यहां की ७ करोड़ है । तो फिर कितने जुर्म अनुपात में रह जाते हैं ? सात सौ, जरा मुलाहजा फरमाएं । आस्पेरिटी के आंकड़ों की तरफ तो देखेंगे नहीं, लेकिन अमेरिका के जुर्मों के आंकड़े देंगे । जहां सींग समायें, जो अपने मतलब के लिए स्यूटेबिल नजर आये, तो उसको उद्धृत कर देंगे ।

गोलीकांड कितने हुए ? इलाहाबाद का मानसरोवर कांड, जिसमें दोष सब सरकारी अधिकारियों पर है, लेकिन दूसरे लोगों पर मुकदमें चल रहे हैं । कानपुर का संतिया कांड, विश्व के इतिहास में ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलेगी कि पुलिस रेप करे और फिर पब्लिक पर गोली चलाए । ऐसी घटना विश्व के इतिहास में अकेली है । फिर उसमें अफसर दोषी हों, लेकिन ३-३ सौ, ४-४ सौ आदमियों पर मुकदमे चलाये जा रहे हैं । यह जरूर है कि सेशन से मुकदमे छूट जाते हैं, लेकिन खुद दोषी होते हुए दूसरों पर बराबर मुकदमें चलाये जायं, ऐसा अत्याचार सरकार करे, इसकी कोई मिसाल नहीं है ।

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, हमको २-३ मिनट और दें ।

श्री उपाध्यक्ष--आजकल बड़ी मुश्किल है । समय कम है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--तो श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है । जुर्मों की तादाद बढ़ रही है और इसके लिए क्या होना चाहिये जिससे पुलिस अपनी जिम्मेदारी महसूस करें और कैसे जुर्मों का मूलोच्छेदन हो । पहले तो पुलिस प्रशासन गांव सभाओं के अन्तर्गत हो । थाने की पुलिस जिला प्रशासन के अधीन हो । पी० ए० सी० इस सूबे के अन्तर्गत हो । जब तक सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं होता है तब तक शासन अच्छा नहीं हो सकता है ।

आज प्रशासन की हालत क्या है ? कहां मंत्री जी जा रहे हैं ? १९५५ से १९५९ तक के आंकड़े देखिये, राज-पत्रित अधिकारियों में २७·१९७ प्रतिशत की वृद्धि हुई है और जो वास्तव में काम करने वाले हैं, जो चोरी डकैती रोकते हैं, हथियारबन्द डाकुओं को पकड़ कर लाते हैं और मौके पर काम करते हैं, उनकी संख्या में इस काल में ११·५६६ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है--ये उनकी बढ़ोत्तरी के आंकड़े हैं जिनका सीधा डकैतों से मुकाबला होता है

और जो अफसरान हैं, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, वह केवल इसलिए रखे जाते हैं, क्योंकि किसी मंत्री जी के या किसी कांग्रेसी के या बड़े अफसर के रिश्तेदार, मित्र होते हुये छोटे पद पर कैसे रहें ? तो उनके लिये बड़े-बड़े पद बनाकर बराबर इस प्रकार का भ्रष्टाचार चल रहा है । यही कारण है कि अफसरों की तो अनापशनाप वृद्धि होती है और कर्मचारियों की वृद्धि नहीं के बराबर होती है । एक अफसर के पैसे से १० सिपाही रखे जा सकते हैं । लेकिन अपने लोगों को कहां खपावें ? कोई शिकायत की जाती है तो वह एस० एस० पी० के पास जाती है, जो उसे एस० पी० आर० ए० के पास भेजता है, वह उसे डिप्टी के पास और फिर सर्किल इंसपेक्टर के पास होते हुये वह शिकायत उसी दरोगा के पास पहुंच जाती है जिसके विरुद्ध वह होती है । उसे पहले से ही पता चल जाता है और इस बीच में वह दलालों से मिलकर शिकायत को डिसमिस कराने का प्रबन्ध कर लेता है ।

यह कटौती का प्रस्ताव श्रीमन् बहुत उपर्युक्त है । नीतियों के बारे में, तमाम बातों के बारे में जब से यह कांग्रेस सरकार यहां बैठी है, बराबर असफल रही है । माननीय कमलापति त्रिपाठी जी ने कहा था कि अभी हम आये हैं, आप हमारा काम देखिये । मैं बताना चाहता हूं कि माननीय राजनारायण जी के जिले बनारस में एक डकैती हुई, जिसके विक्टिम एक सज्जन जिनका नाम प्रभूनारायण है, वह थे । उनका लड़का अमरीका से आया था, वह कार लेकर थाने गया और पुलिसवालों से कहा कि आप चलें, फलां जगह डकैत मौजूद हैं । पुलिस ने उनसे कहा कि वहां नहीं है, स्टेशन पर होंगे । उन्हें स्टेशन ले जाया गया, वहां डकैत नहीं मिले चूंकि वे तो थे उस जगह पर जहां कि उस लड़के ने बताया था । इस प्रकार पुलिस ने उन्हें गुमराह किया और वहां से लौटते समय उनकी रायफल जहां उस लड़के को शुबहा था वहीं पर पड़ी मिली, क्योंकि न टूटने के कारण डाकू उसे न ले जा सके । निजामुराद थाना, जिला वाराणसी में अभी हाल ही में एक दरोगा को बदमाशों ने थाने में घुसकर पीटा लेकिन वहां की पुलिस बचाने के लिए दौड़ी तक नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त ।

श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह (जिला गोंडा)—मान्यवर, मैं नेता स्वतंत्र पार्टी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

गृह मंत्री जी ने कुछ रियायतों की ओर इशारा किया है जो उन्होंने उन पुलिसवालों के घरवालों के लिये दी हैं, जो चोरों या डकैतों वगैरह से मुकाबला करते मारे जावें । क्या ही अच्छा होता अगर वह कुछ संकेत इधर भी करते कि मौजूदा तनख्वाहों में कुछ सुधार होगा ! आज आवश्यकता इस बात की है कि पुलिस फोर्स की तनख्वाहें बढ़ाई जावें, जो कि बहुत कम हैं । सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पोस्टमैन ९५ या ९६ रुपये माहवार पाता है जिसके ऊपर कोई खास जिम्मेदारी नहीं होती है और न जिसकी जान को कोई खतरा होता है, जबकि एक पुलिस के कांस्टेबिल को कुल ६० या ६५ रुपये मिलते हैं । पुलिसवालों की ड्यूटीज बहुत ज्यादा सख्त हैं, वे २४ घंटे के नौकर हैं । उनके काम के कोई घंटे निर्धारित नहीं हैं, जैसाकि और विभागों के लिये है । इसलिये पुलिसवालों को ज्यादा इमाल्यूमेंट्स मिलने चाहिये । अगर ईद या होली का मौका आता है तो पुलिस वालों को इतना भी समय नहीं मिलता है कि ईद की नमाज पढ़े या किसी से होली मिलने जा सकें क्योंकि उनको तो ड्यूटी पर रहना पड़ता है । इतवार तक की छुट्टी उनको नहीं मिलती है और न कोई गजटेड छुट्टियां ही मिलती हैं । इसलिये उन्हें भत्ते के रूप में या किसी रूप में बढ़ोत्तरी देनी चाहिये जिससे वे अपना काम ठीक तरह से कर सकें । जब तक उनको अच्छे इमाल्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे तब तक उनके अन्दर से भ्रष्टाचार निकलना नामुमकिन है ।

[श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह]

श्रीमन्, चौकीदारों की तरफ माननीय मन्त्रीजी ने कोई संकेत नहीं किया। यह आपको मालूम ही है कि चौकीदार लोग ज्यादातर शैड्यूल्ड कास्ट के या पिछड़ी जाति के होते हैं। जब पिछड़ी जातियों के लिये गवर्नमेन्ट इतना खर्च कर रही है और हर तरह के बैकवर्ड क्लास कमीशन और दूसरे कमीशन बन रहे हैं, तो मुझे आश्चर्य है कि चौकीदार के तबके की तरफ सरकार का जरा भी ध्यान नहीं गया। उनको वही ५ या ६ रुपये मिल रहे हैं, एक पैसा भी बढ़ोत्तरी नहीं मिली है। सारा काम तो चौकीदार करते हैं। एक माननीय सदस्य ने कहा और वह वाकया भी है कि घास छीलने से लेकर दरोगाओं और कांस्टेबिलों के बिस्तर उठाने तक का काम उनसे लिया जाता है और गांव में तलाशी वगैरह का भी अग्रगीय चौकीदार होता है, फिर भी उसके इमाल्यूमेंटस नहीं बढ़ाये जा रहे हैं। उसको कम से कम उतना तो मिलना ही चाहिये जितना कि वाजिब है।

श्रीमन्, आज पुलिस फोर्स आबादी को देखते हुये बहुत कम है। लिहाजा इसमें कुछ बढ़ोत्तरी होनी चाहिये। मैं आपको इस आंकड़ों की पुस्तिका से बताना चाहता हूं, बुलेटिन नं० ५२ यह है। १९५७ में जहां पुलिस का औसत प्रति लाख आबादी पर ९८.३ था वह १९५९ में ९८.२ रह गया, यानी संख्या घटी है। गांवों में एलैक्शन की वजह से पार्टीबन्दियां और दलबन्दियां हो गई हैं, जिसके कारण जरायम बढ़ गये हैं, तो जरूरी हो जाता है कि पुलिस बढ़ाई जाय। अंग्रेजी जमाने में एक थाने में २ थानेदार होते थे लेकिन अब देहात के थानों में कहीं-कहीं १ ही कर दिया गया है। पब्लिक की शिकायत सुनने के लिये, जब वह थानेदार कहीं बाहर होता है या कहीं सेशन लग गया तो कितने दिनों तक बाहर रहता है, कोई आदमी थाने पर नहीं रहता है। इसलिये हर थाने में कम से कम २ थानेदार होने चाहिये ताकि जनता को कठिनाई न हो और जो थानेदार के न होते अकसर जरायम हो जाया करते हैं, वह न हों।

जुर्म बढ़ने का एक कारण जो मेरी समझ में आया है वह मैं आपकी आज्ञा से इस आंकड़ों की किताब से बताना चाहता हूं। रूरल पर कैपिटा इनकम १९१.१ है, जबकि कैदियों के ऊपर ३६२ रुपया खर्च किया जाता है। जब जेलों में अच्छी फैसीलिटीज हैं तो लोगों की मनोवृत्ति होती है कि जुर्म करें। इसलिये सरकार का भी जुर्म बढ़ाने में हाथ है। जब तक लोगों की आमदनी नहीं बढ़ती, जुर्म कम नहीं हो सकते।

भ्रष्टाचार की कमी के लिये मैं आपके जरिये चन्द सुझाव मन्त्री जी को देना चाहता हूं। बहुत से पुलिस के चालानी मुकदमे ऐसे होते हैं जिनमें मौके पर जमानत ली जा सकती है, जो पुलिस भी ले सकती है। जो लोग थानेदारों को खुश कर लेते हैं उनकी जमानत तो वे ले लेते हैं और जो नहीं, उन्हें अदालत से जमानत कराने को कहा जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि ४, ५ दिन तो वह शख्स जेल में रखा ही जाता है। इसलिये ऐसे मामले में पुलिस को आर्डर होना चाहिये कि वह मौके पर अथवा थाने में जमानत ले ले ताकि जनता को बेजा परेशानी न हो। जो छोटी-छोटी दरख्वास्तें या रिपोर्ट किसी थाने में लिखाई जाती हैं, उनपर शीघ्र कार्यवाही नहीं होती। इस प्रकार की कार्यवाही शीघ्र करने के लिये आदेश दिये जाने चाहिये।

एक सबसे बड़ी खराबी यह है कि अगर आज पुलिस के खिलाफ अपनी तकलीफ के बारे में कोई शख्स किसी से शिकायत करता है या प्रार्थना करता है तो पुलिस में बदले की भावना हो जाती है और उसको धारा १०७/११७ या अन्य प्रकार के मुकदमों में फंसाने की कोशिश की जाती है। राज्य के इस बारे में ऐसे आदेश होने चाहिये कि अगर कोई पुलिस अधिकारी ऐसा करता हुआ पाया जायगा तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही की जायगी।

मुझे अपने थाने के बारे में भी थोड़ी सी शिकायत है। सादुल्ला नगर थाने में ग्राम सोतिया की एक लड़की का अपहरण किया गया। विधवा ने उसकी रिपोर्ट लिखाई, तो नहीं लिखी गई। जब उसने एस० पी० के यहां दरख्वास्त दी तो सी० आई० को जांच के

लिये भेज दिया गया। इत्तफाक से मैं भी भ्रष्टाचार निरोधक समिति की बैठक में भाग लेने के लिये २६ मार्च को वहां गया था। मैंने पुलिस वालों से स्वयं कहा तो मुझसे कहा गया कि इसने अब तो पुलिस के खिलाफ दरख्वास्त दे दी है, अब तो जो कुछ करेंगे सी० आई० साहब ही करेंगे। यह बदले की भावना नहीं तो और क्या है। इसके लिये इसका भी प्रबन्ध होना चाहिये कि अगर कोई कम्प्लेन्ट करे तो उसके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिये और साथ ही साथ मैं यह भी चाहूंगा कि इस मामले की जांच मन्त्री जी करें।

पुलिस कमीशन के बारे में बहुत चर्चा हुई। लेकिन मुझे तो इसमें बहुत सन्देह है कि उस पर कुछ होगा। जिस प्रकार से गोविन्द सहाय कमेटी और के० के० दास कमेटी के बारे में कोई कार्यवाही नहीं हुई, उसी प्रकार से इसको भी कार्यान्वित नहीं किया जायगा। पुलिस विभाग की जो पुस्तिका हमें दी गई है उसके द्वारा हमें और अधिक जानकारी करानी चाहिये थी।

आजकल जो अधिक झगड़े होते हैं वह इसलिये होते हैं कि एक विशेष पार्टी वाले पुलिस वालों को दूसरी पार्टियों को दबाने के लिये प्रयोग करते हैं, इसलिये पुलिस वालों को भी बढ़ावा मिलता है। लिहाजा मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि कोई भी पार्टी अपनी विरोधी पार्टी वालों को दबाने के लिये पुलिस का प्रयोग न कर पाये, बल्कि पुलिस का प्रयोग केवल जन-सुरक्षा के लिये ही हो।

पुलिस रेग्यूलेशन्स जिस समय बनाये गये थे, वह अंग्रेजी राज्य का जमाना था। आज पुलिस के कार्य में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। ब्लाक डेवलपमेंट कमेटीज में थानेदार को रखा जाता है लेकिन अक्सर वे लोग उसमें नहीं आते हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि उनका वहां आना अनिवार्य होना चाहिये, ताकि उनका जनसंपर्क बढ़े और जनता भी उनसे अपने दुख-सुख कह सके। थानेदार लोग भी यह समझें कि अब जनतन्त्र का जमाना है। उनको किसी एक पार्टी का नहीं, बल्कि साधारण जनता का भला करना है, जैसा कि दूसरे देशों में होता है। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

* श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)—उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश की पुलिस के बारे में दो दिन से चर्चा हो रही है। हमारा प्रदेश बहुत बड़ा है और एक लाख से ज्यादा गांव इस में हैं, तो ी दिन तक अगर शिकायत होती रहें तो कोई खास बात नहीं है। हर एक आदमी को कोई न कोई शिकायत होती ही है। बल्कि मन्त्री जी के पास तो उनका एक भण्डार होगा। इसलिये जब उन शिकायतों पर मैंने गौर किया तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि लोगों का झुकाव एक तरफ है कि प्रदेश का शासन ठीक तरह से पुलिस का इन्तजाम ठीक करके चल सकता है, ऐसा मेरा उसके बारे में मत बना है। मैं समझता हूं कि आज हमारे प्रदेश पर दूसरे मुल्कों की निगाहें ही नहीं हैं बल्कि हमारे प्रदेश के कुछ हिस्से पर एक दूसरे मुल्क ने कब्जा भी कर रखा है। तो हमें अपने प्रदेश की जनता को ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे उसके अन्दर उत्साह हो, कार्यक्षमता हो और उसे अपनी जिम्मेदारी को समझने की आदत पड़े, ताकि अगर हमारे देश के एक गांव के ऊपर भी कोई कितना ही हमला करके कब्जा करना चाहे तो उन्हें अपने दिल को ऐसा मजबूत करना पड़ेगा कि वह उस पर काबू न कर सकें।

एक तरीका उसका और यह है कि हमें यह देखना पड़ेगा कि प्रदेश के अन्दर जितने गांव हैं, क्या पुलिस भी उतनी ही बढ़ाते चले जायें और जरूरत हो तो बढ़ा देना चाहिये, लेकिन क्या पुलिस बढ़ाने के बाद भी इन बुराइयों पर काबू रखा जा सकता है, जब तक कि उनके चरित्र को न बनाया जा सके? किसी भी देश के अन्दर, किसी भी प्रदेश के अन्दर रहने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

]श्री दीनदयालु शर्मा]

वाले आदमियों का चरित्र जब तक ऊंचा नहीं बनेगा तब तक जो कुछ भी शिकायतें गांवों से आती रहती हैं, वे तो अक्सर हमको मिलती ही रहेंगी और आखिर तक बराबर जारी रहेंगी। यह किस्सा कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसपर हमको सोचना विचारना पड़ेगा कि आखिर उसको कैसे हल किया जाय। हमारे प्रदेश में एक लाख से ऊपर गांव हैं, तो सब के लिये इतनी पुलिस तो पैदा की नहीं जा सकती। अगर पुलिस पैदा भी कर दी जाय तो उससे क्या फायदा है, जब हम यह देखते हैं कि उसी तरह से चोरी और डकैती की खबर आती रहती है। साथ ही अधिक पुलिस के लिये पैसे की भी तो गुन्जायश नहीं है, फिर भी पुलिस कर्मचारियों की थोड़ी सी ग्रेच्युटी व पेंशन बढ़ाने की बात, जो माननीय मन्त्रीजी ने बतलाई, यह सही है और पुलिस वालों की तनख्वाह भी बढ़ाना चाहिये और पुलिस की तादाद बढ़ानी चाहिये, लेकिन फिर भी इतनी पुलिस तो आप बढ़ा नहीं सकेंगे कि वह गांव-गांव में जाकर सारा इन्तजाम कर सके। अगर पुलिस को बढ़ाने की बात हो तो पहले हमें उसकी नैतिकता को भी बढ़ाने की बात के ऊपर सोचना पड़ेगा।

श्रीमन्, मैं अपने तजुर्बे की बात बतलाता हूं कि मैंने जिले में पुलिस के सहयोग से कुछ काम किया है और पुलिस के साथ मिल कर उस काम में हमें थोड़ी सी सफलता भी मिली है। क्या ही अच्छा हो अगर हम लोग भाषण देने के बजाय अपने-अपने जिले में कुछ काम करना शुरू करें, तो मेरी आशा है कि सफलता मिल जायगी। यह तो बहुत कुछ काम करने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि अपनी नैतिकता में थोड़ा सा सुधार करे तो पुलिस का नैतिक स्तर भी कुछ ऊंचा हो सकता है और हुआ भी है। मैंने देखा कि अभीतक हमारे यहां की पुलिस अकर्मण्य रही है। सही बात यह है कि जमींदारी और ताल्लुकेदारी खत्म हो जाने के बाद पुलिस को गांव का कोई सुराग मिलना भी मुश्किल हो गया क्योंकि पहले तो उनके जरिये उनको इस बात का पता लग जाता है कि गांव में कौन चोर, डाकू या बदमाश है। लेकिन आज अगर कोई आदमी किसी के बारे में इस तरह की कोई सूचना पुलिस में दे दे तो उसका उस गांव में रहना भी मुश्किल हो जायगा।

फिर सोचने की बात यह भी है कि एक थाने में १०० गांव होते हैं और एक थाने के अन्दर १०–१२ सिपाही होते हैं, तो फिर उनके लिये भी मजबूरी की ही बात है कि किस तरह से वे गांव में जा जाकर इस तरह की बातों का पता लगावें जबकि कोई गवाह मिलना भी मुश्किल है और किसी तरह की कामयाबी मिलना भी मुश्किल है। मेरा ख्याल है कि जमींदारी और ताल्लुकेदारी खत्म हो जाने के बाद चोर, बदमाशों का सुराग लेने के लिये, यह आवश्यक है कि ग्राम पंचायतों के अन्दर ही ग्राम रक्षा समितियां कायम करें और हर ग्राम रक्षा समिति के पास ८–१० आदमियों की एक्जीक्यूटिव कमेटी हो और एक बन्दूक भी उसको देनी पड़ेगी।

बुलन्दशहर में ३५० बन्दूकें बटी हैं और दो लाख रुपये के करीब गांवों से इकट्ठा हुआ है। जहां एक हजार की आबादी है वहां से आठ आना के हिसाब से भी फीकस जमा किया जाय तो २ साल में एक गांव से ही ५०० रुपया जमा हो सकता है और इतने में वहां के लिये एक बन्दूक आ सकती है। मैं यह भी चाहता हूं कि जो कांस्टीट्यूशन है उसकी भी एक कापी सारे सूबे में बंटवा दें, जिला स्तर पर एक कांस्टीट्यूशन हो और सरकारी और गैर सरकारी सभी का सहयोग उसमें हो और ग्राम के, थाने के और जिले के स्तर पर वह कमेटियां हों, तो हमारे यहां बहुत कुछ काम उनके द्वारा हो सकता है।

आप जानते हैं कि जुर्म ३ प्रकार से होता है यानी जुर्म के ३ जरिये होते हैं। एक तो अज्ञानता, दूसरा भय और तीसरा लालच, यही ३ कारण जुर्म के होते हैं। अगर समझ- दार आदमियों की कमेटी बन जायगी तो इन जरायम में कमी होगी और पुलिस को भी उसके द्वारा मुजरिमों को पकड़ने में मदद मिलेगी। जो बदमाश होते हैं उनको भी पकड़वाना ऐसा ही होता

है कि जैसे डूबते को बचाना होता है और जेलखाने के अस्पताल में जाकर वह डूबने से बच जाता है और जुर्म आइन्दा नहीं करता.....

श्री रामस्वरूप वर्मा—श्रीमन्, पुलिस की ग्रान्ट चल रही है और पुलिस मन्त्री या उप-मन्त्री कोई भी यहां नहीं है, कौन काम चला रहा है?

श्री उपाध्यक्ष—माननीय हुकुमसिंह जी बैठे हैं, कैबिनेट की ज्वाइन्ट जिम्मेदारी है।

श्री दीनदयालु शर्मा—इस तरह से अगर गांव-गांव में पुलिस का जाल बिछ जायगा और हरएक जगह एक कमेटी होगी, उसके पास एक बन्दूक होगी, तो उसका बदमाशों को भी भय होगा और ऐसे संगठन के द्वारा थोड़ी नैतिकता भी बढ़ेगी और बदमाशों का बल भी घट जायगा। इस सम्बन्ध में हमने अपने यहां तजुर्बा भी किया है और काफी सफलता मिली है। इसलिये हममें से हर सदस्य को सोचना होगा कि हम यहां आकर जरायम की शिकायत करते जायं तो जरायम की भरमार होगी, लेकिन उससे उनका निराकरण नहीं होगा। निराकरण तो जो कारण है उसपर काबू पाने से होगा। कितनी ही अधिकारियों को और कप्तानों को सजा दी जाय लेकिन गलती कहीं न कहीं जरूर होगी। फिर प्रश्न यह भी है कि आखिर पुलिस में ही जो कर्मचारी या अधिकारी हैं वह कोई बाहर के नहीं हैं, कोई हमारा भाई है, कोई भतीजा है, कोई हमरा रिश्तेदार है, किसी और देश के लोग तो पुलिस में हैं नहीं। वह सब हमारे ही देश के लोग हैं और अगर वह नौकरी में जाकर बेहूदा हो जाते हैं और जुर्म करने लगते हैं तो हम इस बात को कहने के अधिकारी नहीं हैं कि वह भ्रष्टाचारी हैं। उनकी नैतिकता भी वही है जो हमारी, आप की, समाज की है। अगर समाज का नैतिक स्तर और नैतिक बल बढ़ेगा तो उनका भी सुधार होगा। वह अगर हो सकता है तो हमारे द्वारा ही हो सकता है। हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हम हर जगह शक शुभे से हर चीज को देखते हैं लेकिन अपनी तरफ नहीं देखते।

आज हमारे सामने आप देखें कि चीन के, पाकिस्तान के, काश्मीर के, गोआ के और तमाम तरह के मसले हैं। हमें संगठित होकर अपने यहां नैतिक बल और साहस पैदा करना होगा। गांव-गांव के आदमियों को पुलिस में एक विश्वास पैदा करना होगा कि वह हमारी रक्षा के लिये है, वह हमारे जानमाल की हिफाजत करेगी और हम को उससे समय पड़ने पर सहायता मिल सकती है। इस तरह से हम अपने ध्येय में कामयाब हो सकते हैं।

अगर पुलिस की बढ़ोत्तरी भी कर दी जाय तो आप कितनी कर सकते हैं? इंग्लैन्ड जो कि ६ करोड़ की आबादी का देश है और हमारे सूबे से भी छोटा है, वहां पर पुलिस का ७० करोड़ का बजट है। क्या आप अपने यहां पुलिस का इतना बजट बर्दाश्त कर सकते हैं? जब नहीं कर सकते तो आप वहां के मुताबिक अपनी पुलिस को योग्य और वसी कैसे बना सकते हैं। जो हमारे पुलिस के आदमी हैं, हमें उन्हीं से अपने मीन्स के अन्दर काम लेना है। हो सकता है कि उनमें कुछ आदमी अच्छे न हों लेकिन यह नहीं है कि खराबी पुलिस में ही है, वह औरों में भी है और उसे हमें दूर करना है। परन्तु अगर रोज पुलिस के ऊपर मुकदमे चलते रहे, रोज पुलिस के खिलाफ झूठी गवाही होती रही, रोज उनको हताश किया जाय तो काम उनसे कैसे लिया जा सकता है? बड़ा मुश्किल हो जायगा काम लेना। मेरी तो एक ही दरख्वास्त है कि पुलिस जो कि जान-माल की हिफाजत करने वाला विभाग है उसको उत्साहित करने के लिये गांव-गांव में उसका जाल फैलायें, और लोगों का नैतिकता का स्तर ऊंचा करके, प्रदेश की जनता का स्तर बढ़ाकर, उसके चरित्र को बनाकर जान-माल के सुरक्षा कार्य में सहयोग दें। इतना ही मुझे अर्ज करना है और बाकी लम्बे भाषण से कोई फायदा नहीं।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल से चल रहे विवाद को सुनकर मुझ माननीय गृह मन्त्री जी क ऊपर बड़ा तरस आया और मैं यह बात महसूस करता हूं कि मन्त्रिमन्डल में उनको सूचना विभाग और प्रचार विभाग और देना चाहिये था जिससे वह जितना काम न करते उसे भी जनता के सामने नुमायां तरीके से रख सकते। एक बात बार-बार यह सामने आती है और इस पक्ष के भी कुछ माननीय सदस्य जो भ्रम में हैं उनमें और उधर के सभी सदस्यों में आमतौर से यह धारणा बैठी है कि पिछले कुछ वर्षों में जबसे माननीय मन्त्री जी ने इस विभाग को सम्हाला है तबसे पुलिस की ज्यादतियों में और अपराधों में बड़ी भारी कटौती हुई है।

श्रीमन्, आज ही समाचार पत्रों में यह बात सामने आई कि यदि १९६० और १९६१ वर्षों में केवल ढाई महीने के हिसाब को देखा जाय तो अपराधों की तालिका यह बनती है कि १९६० में डकैती १९४ और १९६१ में ३२९। १९६० में लूटमार १०१ और १९६१ में १९०। १९६० में हत्यायें २७४ और १९६१ में ३१२। १९६० में दंगे ५०२ और १९६१ में ८२५। १९६० में नकब २,४५८ और १९६१ में ३,९६६। इस प्रकार से आप देखेंगे कि अपराधों की संख्या इन पिछले ढाई महीनों में लगातार बढ़ी है, जबसे कि उन्होंने शासन सम्हाला है। तर्क यह दिया जाता है और अभी १९ फरवरी को बनारस में भाषण करते हुये माननीय मन्त्रीजी ने कहा कि अपराधों की संख्या इसलिये बढ़ी हुई नजर आती है कि पहले पुलिस अपराधों को छिपा लेती थी और जबसे मैं आया हूं अपराध छिपाये नहीं जाते हैं। पिछले गृह मन्त्री जो कमलापति त्रिपाठी थे उनकी और पुलिस की सांठ-गांठ थी, यदि उनका यह मतलब है तो अपराध छिपे रहते थे।

श्रीमन्, आप देखें कि १९५९ में डाके पड़े ४४९ और १९६० में पड़े ९५२। १९५९ में लूट मार हुई ५०४ और १९६० में हुई ५४२। तो इस तालिका के अनुसार जो भूतपूर्व गृह मन्त्री थे उन्होंने भी कहा था कि पहले पुलिस अपराधों को छिपाती थी और जबसे म आया हूं तब से अपराध छिपाये नहीं जाते और इस वजह से अपराध ज्यादा बढ़ हुये नजर आते हैं।

मान्यवर, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आंकड़ों पर गौर किया जाय, केवल ५९, ६०, ६१ के आंकड़ों से ही काम नहीं चलेगा बल्कि जबसे कांग्रेस ने शासन सम्हाला है तभी से देखा जाय तो मालूम होगा कि अपराधों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और जितने दिन यह शासन में रहेंगे उतने ही दिन अपराधों की संख्या बढ़ेगी और खासतौर से सामाजिक अपराधों की। सन् १९५४ को मिसाल के लिये ले लीजिये। १९५४ में मारधाड़ के अपराध ३,६३८ हुये और सन १९५९ में यानी करीब ४--५ साल बाद ४,९०३ हो गये। इस तरह से कुछ शब्दों में ही हेराफेरी करके और खासतौर से जब से माननीय मन्त्रीजी ने शासन सम्हाला है तब से उनके चेले चारों तरफ यह बात कहते हुये घूमते हैं कि पुलिस वालो चौकन्ने हो जाओ माननीय चरणसिंह अब सबका इलाज कर देंगे। इलाज जरूर बांधा मगर उनका बांधा जिनके साथ में उनको व्यक्तिगत रुप में असंतोष था और जिनसे उन्हें व्यक्तिगत असंतोष नहीं था उनके इलाज का कोई सवाल नहीं उठता। यदि विरोधी पक्ष का कोई आदमी खास तौर पर मेरे जैसा आदमी किसी पुलिस वाले की ज्यादती की शिकायत करे तो समझ लीजिये उस पुलिस वाले की तरक्की जरूर होगी। और अगर मान लिया जाय वह पुलिस वाला यह कह दे कि फलाने विरोधी पक्ष का आदमी मेरे पीछे पड़ा है तो उसकी तरक्की होगी। और पहले दो, ढाई महीने में ऐसा हुआ था। इसलिये जब तक पूरा शासन का ढांचा नहीं बदला जाता, पूरे मंत्रिमंडल का तौर तरीका नहीं बदला जाता तबतक कोई आदमी यह सोचे कि अकेले गृह मंत्री किसी विभाग को बदल देंगे यह गैरमुमकिन है।

जब उनके पास माल विभाग था तो उनका दावा था कि इस विभाग को कोई दूसरा नहीं चला सकता। चकबन्दी में उनके राज्य में कभी किसान चैन से नहीं सो पाया और जब से दूसरे मंत्री जो आये हैं तो अगर चैन से नहीं सो पाता, लेकिन रात में चौंकता नहीं है।

माननीय महीलाल जी जब बोल रहे थे तो उनसे पूछा कि आप जो यह शिकायत कर रहे हैं यह मेरे टाइम की है या पहले की ? उस बेचारे सीधे सादे आदमी ने कह दिया कि साल भर पुराना अपराध है । तो बहुत खुश हुये, उनका मतलब था उनके टाइम की थोड़े ही है ।

२९ मार्च को किसनपुर बिराल गांव में एक ट्रक वाले नें भैंसा गाड़ी को कुचल दिया । भैंसा तो वहीं मर गया और ४ आदमी मरने के लिये अस्पताल में हैं । पुलिस को इत्तला दी गई पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की ।

२३ मार्च को गंगोरी गांव में जो थाना कांधला, जिला मुजफ्फरनगर में है वहां एक आदमी की बेरहमी से हत्या की गई पर पुलिस ने कोई दखल नहीं दिया । २७ मार्च को तीतरवाड़ी गांव, कैराना थाने में दंगा हुआ दो ग्रूप में । एक आदमी वहीं मर गया और बाकी की हालत संगीन है । लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया । २५ मार्च को जाट कालेज, बड़ौत में छात्रावास के प्रांगण में गोली चली और अफसोस की बात है उस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई।

हल्द्वानी में पुलिस के एक उच्च अधिकारी जंगल में शिकार खेलने के लिये गये । सरकार का नियम है कि बिना पूर्व स्वीकृति के शिकार नहीं खेला जा सकता । अभागे एक वन के जमादार ने रोक दिया । उसको मजा यह चखाया गया कि थाने में बुला कर पीटा गया और शराबबन्दी की किसी दफा के अन्दर चालान किया गया ।

फर्रुखाबाद का मामला में दोहराना नहीं चाहता । नैनीताल में ही प्लानिंग की एक टोली में और पुलिस वालों में खेल हुआ । खेल जब होने लगा तो पुलिस वाले कुछ पिटते हुये नजर आये और कहा सुनी हुई जिसमें लाठी चार्ज हुआ ।

फर्रुखाबाद के तिरवा थाने में कनपुरा गांव के चमारों के घरों को फूंका गया और उसके बाद एक आदमी को गिरफ्तार भी किया गया और गिरफ्तार किया गया इसलिये कि थाने में ले जाया जाय । थाने में लाकर छोड़ दिया । पुलिस ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की ।

२३ मार्च को गाजीपुर में "आज" पत्रिका के पत्रकार महोदय आये हुये थे, उन्होंने चकबन्दी की कुछ आलोचना की थी । उन्हें कसी ने बुरी तरह से पीटा । थाना वहां से २०० गज पर था, मगर पुलिस ने कोई हरकत नहीं की ।

बालैनी (मेरठ) में पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ा और बिजली के तार उसके शरीर से छुवाये गये और एक के कान का परदा फट गया और तीसरे आदमी को अधमरा कर दिया गया । जब पुलिस के उच्च अधिकारियों ने जनता की शिकायत सुनने से इन्कार किया तो पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन हुये । माननीय मंत्रीजी ने पुलिस वालों से बजाय यह कहने कि तुमने सचमुच ज्यादती की है, हम इंक्वायरी करायेंगे उन्हें अभयदान दिया और कहा कि विरोधी तो इस तरह से बकबक करते रहते हैं, तुम अपना काम चालू रखो, यानी लोगों के कान के पर्दे फाड़ो और उनके शरीर पर बिजली के तार छुवाओ । इलाहाबाद में थाना मेजा में गांव दशरथपुर है वहां पर एक मिनिस्टर साहब के लाड़ले वर्कर के यहां सरपत घास की चोरी हुई । जब पुलिस पता लगाने के लिये पहुंची तो ज्यादती की गई । लोगों ने विरोध किया तो गोली चली । उसमें एक आदमी मरा और बहुत से आदमी घायल हो गये । जिला बस्ती में विकास के सम्बन्ध में एक प्रदर्शनी हो रही थी । वहां बहु बेटियों के साथ पुलिस वालों ने छेड़खानी की । ब्लाक अधिकारी तथा किसानों ने आवाज उठाई । आपस में टकराव हो गया । ए० डी० ओ० और बी० डी० ओ० सब ससपेंड हैं परन्तु पुलिस वाले अछूते छोड़ दिये गये ।

मैं यह नहीं कह रहा कि पुलिस में सारे के सारे आदमी इस प्रकार से निकम्मे हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार की ओर से ऐसे कदम भी उठाने की कोशिश की गई है जिससे आम जनता को रिलीफ हो । पुलिस के अधिकारों की भी रक्षा हो । मिसाल के तौर पर १९५६ में एक परिवाद योजना चालू की गई जिसके अनुसार आम आदमी को अख्तियार हो जाता है कि वह पुलिस की गलत हरकत के खिलाफ शिकायत करे । लोगों ने शिकायतें करनी शुरू

[आचार्य दीपङ्कर]

कीं। १९५६ में जितनी शिकायतें थीं उनकी तादाद बहुत बड़ी थी, करीब ७० हजार के थी। इसके बाद लगातार घटती चली गई थी १९५९ तक इसलिये कि उन पर विशेष सुनवाई नहीं हुई। १९५६ में जिन लोगों को अपराधी महसूस किया गया उनमें से २९९ को बिलकुल दंडित नहीं किया गया और पूरे तौर से छोड़ दिया गया। इसलिये आज यह जो बात कही जाती है कि पुलिस में एक इनक्लाब आ गया है और एक हलचल लाने की कोशिश की जा रही है, यह निराधार है और असत्य है।

कुछ सदस्यों ने यह बात भी कही कि जहां शस्त्र तथा अस्त्र लोगों के पास नहीं होते हैं वहां उन गांवों में डकैतियां ज्यादा पड़ती हैं और इसी वजह से यह मांग की गई है कि शस्त्रों तथा अस्त्रों के लाइसेन्स आम तौर पर सहूलियत के साथ जनता को मिलने चाहियें। परन्तु यह जब नहीं मिलते हैं तो परिणाम यह होता है कि जो दुष्ट हैं उनको कोई असुविधा नहीं होती है, वे किसी न किसी चोर दरवाजे से शस्त्रों को प्राप्त कर लेते हैं। केवल जनता पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसके लिये सहूलियत होनी चाहिये। ताकि आसानी से ये मिल सकें

इसके अलावा प्रत्येक तहसील के हेडक्वार्टर पर अग्नि शान्ति करने वाले जो यंत्र हैं, अगले ५ वर्ष में उनकी व्यवस्था की जायगी और अगर तहसील हेडक्वार्टर में यह संभव न हो तो कम से कम जो प्रत्येक जिले का हेडक्वार्टर है, उसमें इस प्रकार की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये।

इसी प्रकार मुझे यह मालूम हुआ है कि पुलिस इन्सपेक्टर का पद सरकार हटाने जा रही है, यह सर्वथा उचित है। इसी प्रकार से मैं यह भी चाहता हूं कि डी० आई० जी० का हेडक्वार्टर जो इलाहाबाद में है उससे जनता को काफी असुविधा होती है और सरकार के कार्यकलाप में भी काफी असुविधा होती है, इसलिये वह हेडक्वार्टर लखनऊ ले आना चाहिये।

इसी प्रकार से जिन जिन थानों में पुलिस के दलालों का प्रभाव है, उनका बोलबाला है, वहां भ्रष्टाचार ज्यादा होता है। सरकार इस तरह की व्यवस्था करे कि ऐसे दलालों को नामांकित किया जाय और उन दलालों का थानों में बहिष्कार होना चाहिये।

इसी प्रकार पुलिस के व्यक्तियों की संख्या बढ़ाने की अपेक्षा यह ज्यादा बेहतर होगा कि उनका वेतन, उनकी सुविधायें, उनका प्रशिक्षण और उनकी कार्यकुशलता बढ़ाई जाय। यह कोई बात नहीं है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जायगी वैसे वैसे अपराधियों की भी संख्या बढ़ती जायगी। हां, अगर सरकार का यही रवैया रहा तो एक दिन सारा हिन्दुस्तान अपराधी हो जायगा। लेकिन उचित बात यही है कि उनकी नैतिकता बढ़ाई जाय, उनको अधिक सुविधायें दी जायं बजाय तादाद बढ़ाने के।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि निगरानी चालू रखने का जो पुराना तरीका है उसमें ढिलाई होनी चाहिये। इसके अलावा वीर गति प्राप्त सिपाहियों को जो सहायता देने की घोषणा मंत्री जी ने की है उसी प्रकार आम जनता के जो आदमी वीर गति को प्राप्त होते हैं उनको भी सहायता दी जानी चाहिये।

इसके अलावा जिस प्रकार नान-गजटेड कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत होने पर कार्यवाही की जाने की व्यवस्था है उसी प्रकार गजटेड अधिकारियों के सम्बन्ध में भी व्यवस्था होनी चाहिये।

चौकीदार की सरकार ने बहुत तरक्की की है। पहले वह ढाई रुपये पाता था अब पांच रुपये पाने लगा है, सौ फीसदी किसी विभाग में तरक्की नहीं हुई है, लेकिन मैं समझता हूं कि वह अब भी कम है। कम से कम २५ रुपये उसकी तनख्वाह होनी चाहिये।

आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत से थानों की हालत इतनी खस्ता है कि वहां किसी अधिकारी का रहना भी मुश्किल है। साथ ही साथ सिपाहियों के रहने की व्यवस्था होनी चाहिये। जो समय आपने मुझे अधिक दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)––श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस बजट पर कल से बहस हो रही है । मेरी समझ में एक चीज नहीं आई कि भ्रष्टाचार किसे कहते हैं । भ्रष्टाचार रिश्वत को कहते हैं या नाजायज पैसा कमाने को कहते हैं । तो नाजायज पैसे के लिये तो मुझे आज कहना पड़ेगा कि हमारा असर नहीं पड़ेगा । हम सब, चाहे इधर के हों चाहे उधर के हों, एक तरह के हैं, कोई फर्क नहीं है । देखिये, श्रीमन्, सनीचर या सोमवार के दिन मैं कहीं चला जाऊं काम करके आऊं और आफिस में कह दूं कि मेरे सिर में दर्द होता है जिससे मैंने आज हाजिरी नहीं दी है, दस रुपये पक्के हो गये . . . . यह भ्रष्टाचार है या ईमानदारी ? भ्रष्टाचार कैसे बन्द होगा । एक कमरे में दो एम० एल० ए० रहते हैं । एक को ७५ रुपये मिलते हैं, दोनों आपस में बांट लेते हैं । यह भ्रष्टाचार है या ईमानदारी ? जा रहे हैं १९ को और भत्ता ले रहे हैं २१ तक का और रात की गाड़ी से जा रहे हैं, २० रुपये ठीक कर लिये । यह भ्रष्टाचार है या ईमानदारी ? जब तक हम लोग खुद नहीं सम्हलेंगे जो जनता के चुने हुये हैं तब तक भ्रष्टाचार कैसे दूर होगा ?

चौधरी साहब ने कहा कि मुझे कोई ऐसा सुझाव नहीं दिया जिसे मैं मान जाऊं । तो मैं उनके लिये सुझाव भी दूंगा । आज बहुत धीरे धीरे बोलूंगा श्रीमन् । मेरा सुझाव है कि जहां पुलिस की पाठशाला है, जहां इनको शिक्षा दी जाती है, जिसे अंग्रेजी में ट्रेनिंग कहते हैं वहां के आचार्य योग्य और चरित्रवान होने चाहिये । भ्रष्टाचार के बारे में हम क्या कहें, ईं कम करता है, कोई ज्यादा करता है । जिस पर ज्यादा होता है वह बड़ी बोतल चढ़ा लेता है और कम पैसे वाला अद्धे से ही काम चला लेता है । असर किस पर किस का पड़ेगा ? उनमें मैं भी शामिल हूं, मैं भी ऐसा ही करता हूं ।

श्रीमन्, ६० रुपया किराये के मिलते हैं और साढ़े आठ रुपये के टिकट मथुरा तक के आते हैं तो यह भ्रष्टाचार है या क्या है ? इस तरह से कैसे प्रभाव पड़ेगा ? आपका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा और मेरा प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा । पहले हमें अपनी आत्मा शुद्ध करना पड़ेगा, अपने हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा तब कहीं जाकर भ्रष्टाकार रुक सकेगा । मंडल, यूनियन, किसी भी पार्टी के हों, सभापति, उपसभापति, मंत्री, उपमंत्री और उनके सदस्य, यही लोग थानेदार के दलाल होते हैं, चाहे उनकी कोई भी पार्टी हो । पहले चपरासियों को गांवों में दूध वगैरा मिल जाया करता था लेकिन अब हम लोग ही बटाई कर लेते हैं और चौकीदार तथा कांस्टेबिल को कुछ नहीं मिल पाता है और उनको आज कोई नहीं पूछता है । हम लोगों ने ही सब के ईमान को बिगाड़ा है, पुलिस का भी बिगाड़ा है । आज भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी किस की है ? इस भ्रष्टाचार में एम० एल० एज०, एम० एल० सीज और एम० पीज सब ही शामिल हैं । इसमें श्रीमन्, टीकाराम पुजारी भी शामिल है ।

आपके द्वारा श्रीमन्, मेरे थाने सादाबाद में दीवान की कलम तब तक नहीं उठेगी जब तक कि नेता की स्वीकृति नहीं हो जायगी कि किस तरह से लिखा जाय । किस तरह से पुलिस केस बनाया जाय । नहीं तो श्रीमन्, फोन खटकता है । जब पूछा जाता है कि कहां से बोल रहे हैं तो कहते हैं कि मैं एम० एल० ए० बोल रहा हूं और देखो इस केस में चालान नहीं करना । वह कहता है, बहुत अच्छा, चालान तो डकैती में होता ही है लेकिन शिनाख्त नहीं होने दूंगा । इस तरह से काम होते हैं । सिर्फ फर्क इतना है कि हमारी कम चलती है और आपकी ज्यादा चलती है । यह चीज है श्रीमन्, जब तक हमारे और आपके हृदय शुद्ध नहीं होते, जबतक हमारी और आपकी आत्मा शुद्ध नहीं होती तब तक भ्रष्टाचार न तो आज मिटेगा न आगे ही मिट सकेगा । इसकी जिम्मेदारी हम शासनकर्त्ता एम० एल० एज के ही ऊपर है । मंत्रिमंडल क्या करे, जब नीचे का ही मंडल अधूरा रहे । मेरे यहां डी० आई० जी० आगरे में हैं, वहां तक श्रीमन्, हम लोगों के द्वारा काम होते हैं ।

[श्री टीकाराम पुजारी]

अब मेरी तरफ खयाल करें और यह बतायें कि इस देशको किस तरह से बचायेंगे। (लाल बत्ती होने पर) लाल बत्ती श्रीमन् न करें नहीं तो बड़े मार्के की बात ही रह जायगी । आपके द्वारा श्रीमन्, मैं चौधरी साहब से निवेदन करूंगा कि वह इस देश को भी बचायेंगे या नहीं । आज गोपियां लुट रही हैं और हमारे अर्जुन का बाण नहीं चल रहा है। महात्मा गांधी जी का अहिन्सा का शस्त्र आज कमजोर होता चला जा रहा है और दुष्ट लोग बढ़ते चले जा रहे हैं । श्रीमन्, एक जयचंद ने तो देश को गुलाम कर दिया । आज यह इतने जयचंद यहां बैठे हैं, इनके लिये क्या किया जायगा ? आज दिल्ली में गोपियों को भीलों ने लूट लिया और हमारे लक्ष्मण का बाण काम नहीं देता है । इस देश को बचाओ यह अवसरवादी, अंग्रेजों के गुलाम अपनी ताक लगा रहे हैं । इनके साथ सख्ती से काम लेना पड़ेगा । एक कविता याद आ गई है :—

अवसरवादी, गद्दारों के बद्दल बन मंडराय रहे हैं,
जयचन्दों के जत्थे बन कर भारत ऊपर छाय रहे हैं,
आजादी के दुश्मन यहां पर अपनी ताक लगाय रहे हैं,
माहिल मामा उरई वाले अपनी ढोल बजाय रहे हैं ।

*श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपने विचार जाहिर करने का लिये समय देने की कृपा की है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, इसके पहिले कि मैं अपने कुछ सुझाव दूं, मैं अपने गृह मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि उन्होंने पुलिस के नौजवानों को जो लड़ाई में मारे जायेंगे उनको पेंशन देने का ऐलान किया है । निस्संदेह आज पुलिस के नौजवानों में एक अजीब सी रोशनी छा गई है और उनको बहुत बड़ा ढाढस बंध गया है कि अगर जनता की सेवा करने में उनकी कहीं हत्या हो गई तो सरकार ने हमारे बाल-बच्चों के पालन पोषण का भार अपने ऊपर उठा लिया है । इसके लिये माननीय गृह मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं ।

मान्यवर, इसके बाद मैं दो एक सुझाव भी देना चाहता हूं । आज जब कि देश की जन-संख्या दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है इसको देखते हुये और उत्तर प्रदेश की पुलिस की संख्या को देखते हुये मुझे ऐसा लग रहा है कि बिना पुलिस से इस प्रदेश की सुरक्षा होना सम्भव नहीं है । आज एक थाने में सैकड़ों गांव होते हैं जबकि एक थाने में केवल १२ सिपाही रहते हैं । यह सोचने का विषय है कि १२ सिपाही सैकड़ों गांवों की कैसे व्यवस्था कर सकते हैं ? अब चारों तरफ से यह आवाज आ रही है कि चारों तरफ डकैतियां हो रही हैं, कत्ल बढ़ते जा रहे हैं, यह सोचने की बात है कि एक थाने में १२ सिपाही कहां तक कत्ल और डकैतियों को कंट्रोल कर सकते हैं ? ऐसी स्थिति में मैं माननीय गृह मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह प्रदेश की पुलिस को बढ़ाएं, तो अच्छा होगा ।

साथ ही साथ में एक दूसरा सुझाव देना चाहता हूं । वह यह है कि आज पुलिस कर्मचारियों के भ्रष्टाचार की तरफ बहुत जोरों से आवाज उठ रही हैं लेकिन उनके सामने क्या-क्या दिक्कतें हैं, उनकी तरफ हम सबको सोचना होगा । आज जो थाने के सिपाही हैं उनको सरकार की तरफ से आदेश दिये जाते हैं कि दिन की ड्यूटी के बाद रात में भी गश्त लगायें लेकिन गश्त लगाते वक्त बरसात में न उनको बरसाती मिलती है और न टार्च मिलती है । जबतक उनको सुविधा नहीं मिलेगी वह कैसे जनता की सेवा कर सकते हैं ? इसलिये गश्त लगाते वक्त पुलिस के कर्मचारियों को बरसाती और टार्च मिलनी चाहिये ।

तीसरा सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि एक पुलिस सुपरिन्टेन्डेंट और पुलिस का कर्मचारी । जब ट्रेनिंग में जाता है तो जिस दिन से कोई चुन लिया जाता है उसी दिन से पूरी तनख्वाह उसे मिलती है । मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि एक पुलिस सब-इन्सपेक्टर जब ट्रेनिंग में जाता है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तो उसे जबतक कहीं पोस्टिंग नहीं हो जाती तब तक तनख्वाह नहीं मिलती। यह सोचने की बात है कि एक पुलिस के सिपाही और एक पुलिस के सुपरिन्टेंडेंट को जो छोटे और बड़े अधिकारी हैं उनको तो ट्रेनिंग काल में पूरी तनख्वाह मिलती है किन्तु एक सब-इन्सपेक्टर को जोकि एक मध्यम श्रेणी का कर्मचारी है उसे ट्रेनिंग काल में तनख्वाह नहीं मिलती। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि सब-इन्सपेक्टर को ट्रेनिंग काल में तनख्वाह देने की बात पर आप विचार करें ताकि वह ईमानदारी से अपना काम कर सके। एक सब-इन्सपेक्टर की तो इतनी जोरों की चर्चा हो जाती है कि वह थाने से काफी घूस लेता है और भ्रष्टाचार करता है लेकिन यह सोचने की बात है कि उसने ऐसा कौन सा कसूर किया है कि उसे ट्रेनिंग काल में तनख्वाह नहीं दी जाती।

चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जितनी भ्रष्टाचार की बातें कही जा रही हैं उनके सम्बंध में माननीय गृहमंत्री जी ५४ जिलों के ५४ सुपरिन्टेन्डेंट पुलिस की तरफ ध्यान दें। अगर वह घूसखोरी न करने का ठेका ले लें तो मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश में घूसखोरी बन्द हो जायगी। मुझे ऐसी जानकारी है कि जितने भी थानेदार घूस लेते हैं उसमें सबसे बड़ा हिस्सा सुपरिन्टेंडेंट पुलिस का होता है। हर थानेदार सुपरिंटेंडेंट पुलिस को उस घूस में से हिस्सा देता है। अगर सुपरिन्टेंडेंट पुलिस यह चीज बन्द कर दे तो थानेदार की घूसखोरी भी बन्द हो जायगी।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय मलिखानसिंह के बाद माननीय पालीवाल जी जवाब देंगे। (श्री मलिखान सिंह से) आपके लिए पांच मिनट का समय है।

***श्री मलिखान सिंह** (जिला मैनपुरी)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज दो दिन से सदन में बहस हो रही है। बहुत से लोगों ने पुलिस के बारे में यह कहा कि पुलिस जो है आज प्रदश में काफी सतर्कता से काम कर रही है। यह मैं मानता हूं कि माननीय मंत्रीजी ने जो भी कुछ ऐक्शन लिये हैं उससे पुलिस कुछ सतर्क हुई है। लेकिन जो पुलिस का पुराना रवैया है वह अभी किसी तरह से बन्द नहीं हुआ है। इसका ज्वलन्त उदाहरण मैं मथुरा का बताता हूं। मथुरा के कोतवाल की माननीय मंत्रीजी के पास तमाम लिखित शिकायतें आयीं। सरकार में भी शिकायतें गईं। लेकिन आज तक वहां पर कोई व्यवस्था नहीं हुई। यहां तक कि मथुरा में जो वहां का कोतवाल है दिनों रात इसी चक्कर में रहता है कि किस तरह से जुआखोरी, रिश्वतखोरी आदि को बढ़ाये।

श्री चरणसिंह---आपकी यह खबर बहुत पुरानी हो चुकी है।

श्री मलिखानसिंह---इसके बाद गोवर्द्धन थाने की बात मैं कहता हूं। वहां के एस० ओ० के खिलाफ, वहां के ऐडीशनल सेशन जज ने १५-२-६१ को अपना स्ट्रिक्चर पास किया। इस तरह का भ्रष्टाचारी थानेदार यह है कि जो किसी तरह से न तो सरकार का हमदर्द है और न कोई काम ठीक से करना चाहता है। उसने स्वयं जाकर के मेडिकल रिपोर्ट को छिपाकर मुकदमों को खराब किया और यह मुकदमे जो छूटे हैं वह इसके कारण ही छूटे हैं। इस तरह के कर्मचारी जबतक इस विभाग में रहेंगे तबतक यह विभाग कभी पनप नहीं सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मंत्री महोदय की उस बात पर भी कहना है कि जो मंत्री जी ने यह कहा कि मुरादाबाद में जनसंघ के द्वारा साम्प्रदायिक दंगे कराये गए। तो मैं माननीय मंत्रीजी से पूछूंगा कि उत्तर प्रदेश में जितने भी साम्प्रदायिक दंगे हुए उन दंगों के बारे में बतायें कि उनकी शुरूआत पहले हिन्दुओं की तरफ से हुई या मुसलमानों की तरफ से हुई, चाहे फिरोजाबाद का उदाहरण ले लें, चाहे मुरादाबाद का ले लें। अध्यक्ष महोदय, हिन्दुओं की तरफ से कभी कोई दंगा शुरू नहीं हुआ। यहां तक कि गोरखपुर में जो झगड़ा हुआ एक कपड़े के दूकानदार को रात में हमला करके मुसलमानों ने कत्ल कर दिया, उसके भाई को मारा और उसके बाद

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मलिखानसिंह]

पुलिस ने उसको श्मशान में जलवाया। लेकिन आज तक उसकी कोई जांच नहीं हुई और वह लोग भागे भागे चारों तरफ घूम रहे हैं। बनारस जिले में होली पर---जो एक ग्राम रक्षा समिति का बराबर उदाहरण दिया जा रहा है---उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम रक्षा समिति में पहरा देते हुए वहां के लोगों ने मारा और आज तक होली वैसे ही पड़ी हुई है। उसके परिणाम-स्वरूप गांव के लोगों ने होली नहीं मनाई है। उसकी सूचना माननीय मंत्रीजी के पास आई और उस समय लोगों ने शिकायत एस० पी० और कलेक्टर से भी की लेकिन उसकी आज तक कोई जांच नहीं हुई।

जहां तक गोवर्धन के कोतवाल का सवाल है, जहां जहां यह रहा है इसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। मेरी इस बात पर इंक्वायरी कर ली जाय कि मेरी बात सही है या नहीं। एस० पी० उसको प्रोटेक्शन देते हैं। मैं माननीय मंत्री जी की सूचना के लिये बता दूं कि मथुरा का शहर कोतवाल वहां पर भ्रष्टाचार करता है लेकिन प्रमोशन देने के लिये, उसको सी० आई० बनाने के लिये वहां के एस० पी० विभाग से सिफारिश करते हैं कि उसको सर्किल इन्सपेक्टर बना दिया जाय। जो पुराने टाइप के सुपरिन्टेंडेंट पुलिस हैं और जिनके दिमाग अंग्रेजी ब्यूरोक्रेसी में पले हुये हैं, वह उनके इस प्रकार के कार्य को न देख कर उनको प्रोत्साहन देते हैं। ऐसे आदमी को प्रमोशन देना कहां तक उचित है जिसके लिये मथुरा के नागरिकों ने एस० पी० को लिखित चार्ज लगा कर दिये। आज तक उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गई। मंत्रीजी भी इस बात को जानते हैं किन्तु उत्तर प्रदेश में जनसंघ को बदनाम करने के लिये इस तरह से कहा जाता है। वह चाहते हैं कि किसी तरह से जनसंघ के लोग बदनाम हो जायें कि जनसंघ के लोग साम्प्रदायिक दंगों की भावना को उभारते हैं। मैं आपको अपनी तरफ से आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि जनसंघ के लोग हरगिज ऐसा नहीं करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी को चैलेन्ज करता हूं कि किसी भी जनसंघ के कार्यकर्ता को साम्प्रदायिक दंगे के आधार पर गिरफ्तार होते हुये वे दिखा दें तो मैं उनकी बात को सहर्ष सुनने के लिये तैयार हूं, किन्तु उनके लिये इस तरह से गलत आरोप लगाना शोभा की बात नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्मानित सदन का अत्यन्त अनुगृहीत हूं कि उसने मेरी आलोचना और सुझाव का समर्थन किया। जहां तक मुझे मालूम है उसमें किसी को विरोध नहीं है और यदि किसी को होगा तो वह इतना नगण्य होगा कि उसका किसी के ऊपर कोई असर नहीं है। इसलिये मुझे इस सम्बन्ध में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। इतना मैं अवश्य कहना चाहता हूं और यह मानता हूं कि जब तक हमारे अपने चरित्र अच्छे नहीं होंगे तब तक हमारे उपदेशों का, हमारे कहने का दूसरों के ऊपर कोई असर नहीं होगा। लेकिन चूंकि यह बहस पुलिस बजट पर हो रही थी और एम० एल० एज० या मिनिस्टरों के बारे में नहीं हो रही थी इसलिये उसकी चर्चा यहां पर नहीं की गयी, लेकिन बाहर पत्रों में और भाषणों में रात दिन यह चर्चा होती रही और मांग होती रही और मैं भी यह मांग करता हूं कि चाहे एम० एल० ए० हो, या एम० एल० सी० हो या मिनिस्टर हो, या पार्टी का कोई नेता हो, या पार्टी का सदस्य हो अगर वह कोई ऐसा काम करता है जो सदाचार के विरुद्ध है तो उसकी निन्दा की जानी चाहिये और उसको दण्ड मिलना चाहिये और उसके विरुद्ध आरोपों की जांच होनी चाहिये।

मैंने कुछ आम बातें कही थीं और माननीय सदस्यों ने उन आम बातों के बहुत से उदाहरण दिये जो माननीय गृह मंत्री के सामने आये हैं। मैं नहीं कह सकता कि उनमें कितने सच हैं और कितने गलत लेकिन जहां यह नहीं कहा जा सकता कि सभी सच हैं वहां यह भी नहीं कहा जा सकता कि सभी गलत हैं। कुछ सही भी होंगे। वह उदाहरण से यहां पर स्पष्ट है कि पुलिस और जनता के अधिकारों में अत्यधिक असन्तुलन है। जबतक असन्तुलन दूर नहीं होगा तबतक किसी तरह से सुधार आज की स्थिति में नहीं हो सकता। पुलिस और जनता में परस्पर प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता। इंग्लैण्ड में पुलिस के प्रति जैसी वहां की जनता की भावना है

वह यहां की जनता की भावना नहीं हो सकती। इस तरीके से आज इस बात की आवश्यकता है और मैं इस पर जोर देता हूं कि पुलिस के अधिकारियों के विरुद्ध और पुलिस के कर्मचारियों के विरुद्ध जो आरोप हैं उन आरोपों की जांच के लिये एक इंडिपेन्डेन्ट एजेन्सी होनी चाहिये। पुलिस विभाग से जांच नहीं करानी चाहिये। जो पुलिस के अधिकारी न हों उनके जरिये से जांच की जानी चाहिये जिससे उस जांच के परिणाम में जनता का विश्वास बढ़े और जनता यह समझ सके कि सरकार अब पुलिस के मामले में भी उसकी बात को सुनती है नहीं तो जनता को यह विश्वास रहेगा कि पुलिस से सरकार डरती है, इसलिये पुलिस के मामले में, भले ही वह जनता पर कितना ही अत्याचार, अन्याय करे, कई सुनवाई नहीं होगी।

माननीय गृह मंत्रीजी इस बात को मानेंगे कि पुलिस के अधिकारी जो जांच करते हैं, डी० एस० पी० कम्प्लेन्ट्स जो जांच करते हैं उनका निर्णय अन्तिम निर्णय होता है, उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती, इसलिये यह व्यवस्था ठीक नहीं है। किसी अन्य स्वतंत्र व्यवस्था का वह प्रबन्ध करें और मैं आशा करता हूं कि अधिकारों के संतुलन के बारे में, रेगुलेशन्स के बारे में, रेक्रूटमेंट के बारे में, उसके नियम बदलने के बारे में और इंडिपेंडेंट जांच करने के लिये वह विचार करेंगे और जहां तक हो सकेगा वह उनको स्वीकार करेंगे।

श्री चरणसिंह––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रारम्भ में ही माननीय सदस्यों से माफी चाहूंगा अगर मेरी आवाज कुछ बुलन्द न हो और उन सब तक आसानी से न पहुंच सके। लेकिन इसके लिए मेरी कोशिश होगी। मेरा गला कई रोज से खराब हो रहा है, इसलिए माननीय मित्रों को कुछ कठिनाई हो सकती है।

जहां तक इस गृह विभाग के अनुदान का सम्बन्ध है, मैं यह मानता हूं जैसा कि मेरे माननीय मित्र पालीवाल जी ने कहा, कि जो बहस इस पर हुई है उसमें अधिकतर रचनात्मक सुझाव देने की कोशिश की गयी और अगर सुझाव नहीं भी दिए जा सके हैं तो कम से कम डेस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तो कम हुआ है। मैं इसलिए माननीय सदस्यों का बहुत बहुत अहसानमन्द हूं।

बहुत सी बातें कही गयी हैं और उन सबका तफसीलवार जवाब देना अगर मैं चाहूं तो बहुत देर लग जायगी, जो तफसीली बातें हैं उनमें से बहुत कम का जवाब दे पाऊंगा। लेकिन एक बात जो मैंने कल कही थी और आज दोहराना चाहता हूं, वह यह है कि पुलिस संगठन के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में जो भी सुझाव दिए गए हैं वे सब के सब प्रायः कमीशन के विचाराधीन हैं। अतएव उन पर मैं तब तक कुछ नहीं कह सकूंगा जब तक कि वह रिपोर्ट न आ जाय और गवर्नमेंट उस पर अपना कोई फैसला न कर ले। जैसे पब्लिक प्रासीक्यूटर्स स्टेट सर्विस के मेम्बर्स हों, वकील आदि न हों, यह बात भी पुलिस कमीशन के विचाराधीन है, इसी प्रकार इंस्पेक्टर्स आदि की बात भी है।

माननीय पालीवल जी ने कल अपनी स्पीच के शुरू के हिस्से में एक ऐसी बात कही कि जिससे किसी को मतभेद नहीं हो सकता और वह यह कि पुलिस का आचरण इस प्रकार का हो कि जनता उसे अपना मित्र, सलाहकार समझे, न कि उनको अपना आप्रेसर माने, यानी अत्याचार करने वाला। जनता पुलिस को अत्याचार करने वाला न समझे, बल्कि उसे आश्रयदाता माने, प्रश्रय देने का स्थान पुलिस का होना चाहिए। मैं भी यह चाहता हूं और सब लोग चाहते हैं और जैसा मैंने कहा, इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं। अभी पुलिस आफिसर्स की जो एनुअल मीटिंग जनवरी में हुई थी, मैंने उस में भी इसी बात पर बल दिया था, लेकिन मेरे एक व्याख्यान से या आदेश से, जिस दशा को हम चाहते हैं वह पूरी नहीं हो सकती, देर लगेगी इसमें। इसमें बहुत सी परिस्थितियों को, समाज की, संगठन की बदलना होगा और पुलिस को अपनी तरफ

[श्री चरणसिंह]

से बदलना होगा। लेकिन मैं इससे सहमत हूं कि गवर्नमेंट का जहां तक सम्बन्ध है वह इस प्रकार काम करे कि पुलिस और जनता के बीच की खाई बिल्कुल पट जाय, कोई खाई रह ही न जाय। सेवक और मालिक में खाई का सवाल क्या है? वह नहीं होनी चाहिए।

दूसरी बात माननीय पालीवाल जी ने यह कही कि जिन पुलिस अफसरान के खिलाफ शिकायत हो उनकी जांच बिल्कुल स्वतंत्र एजेंसी द्वारा करायी जानी चाहिए। मुझे अफसोस है कि इसे मानने में मुझे कठिनाई होगी। पुलिस अफसरान के खिलाफ अगर जांच करने के लिए कोई एजेंसी बनाई जायेगी तो यह बहुत बड़ी एजेंसी बनानी होगी। फिर दूसरी बात यह है कि उस एजेंसी को इन्वेस्टीगेशन करने की योग्यता नहीं होगी। इन्वेस्टीगेशन करने के लिए पुलिस के लोगों को एक विशेष प्रकार की शिक्षा दी जाती है। इसके लिए जो क्षमता और एफिशिएन्सी पुलिस आफिसरों की हो जाती है, वह गुण या योग्यता इस एजेंसी में नहीं होगी। मजिस्ट्रेट को भी नहीं होती है। जिस बात को इन्वेस्टीगेट करके एक पुलिस आफिसर निकाल लेगा उसको मैं या मेरे कोई मित्र नहीं निकाल सकते। मजिस्ट्रेट भी आमतौर से उसको निकालने में सफल नहीं होंगे। इन्वेस्टीगेशन का एक तरीका होता है और पुलिस वालों को वह तरीका समझाया जाता है। अपराधी लोगों से उनका वास्ता पड़ता है। इसलिए एक पुलिस आफिसर एक पुलिस कर्मचारी के खिलाफ तहकीकात करने में ज्यादा सफल हो सकता है बनिस्बत दूसरे लोगों के। अगर दूसरे लोगों को भी यही शिक्षा दी जाय, तो फिर उनमें और पुलिस में फर्क ही क्या रह जायेगा। इसलिए यह बात तो नहीं हो सकती कि पुलिस कर्मचारियों की जो शिकायत हो उसकी जांच दूसरों से कराई जाय।

फिर दूसरे विभागों के कर्मचारियों की भी पुलिस ही जांच करती है। दूसरे विभाग भी गवर्नमेंट को लिखते हैं कि फलां कर्मचारी की जांच सी० आई० डी० द्वारा कराई जाय और सी० आई० डी० पुलिस का ही अंग है।

सन् १९५३-५४ में सरकार की तरफ से एक नियम यह बनाया गया था कि जिस पुलिस कर्मचारी के विरुद्ध शिकायत होगी उसकी जांच दो दर्जे ऊपर वाला पुलिस आफिसर करेगा। अगर सब-इन्सपेक्टर की शिकायत है तो उसकी जांच उसके ऊपर जो सर्किल इन्सपेक्टर होता है वह नहीं करेगा, बल्कि सर्किल इन्सपेक्टर के ऊपर जो डी-वाई०एस०पी० होता है वह करेगा। अब अगर दो दर्जे ऊपर वाला आफिसर भी निकम्मा है, वह तहकीकात नहीं कर सकता, तब एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आ जाता है और फिर हम किसी पर विश्वास ही नहीं कर सकते और एडमिनिस्ट्रेशन चल ही नहीं सकता। मैं यह नहीं कहता कि उनमें खराबियां होती ही नहीं। लेकिन आम तौर से नहीं होती हैं, और अगर होती हैं, और उसके बारे में कोई बात नोटिस में आती है तो उसके खिलाफ कार्यवाही भी की जाती है। कोई खास बात होने पर गवर्नमेंट अब भी मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस के खिलाफ तहकीकात करा लेती है लेकिन यह आम तरीका नहीं है और न हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक तीसरी बात यह कही गयी कि पुलिस में जो नियुक्तियां होती हैं उनके तरीके को बदला जाय। यह कहा गया कि ईमानदार आदमी भर्ती किए जायं। उपाध्यक्ष महोदय, ईमानदारी ऐसी चीज है जिसे न तौला जा सकता है, न नापा जा सकता है और न इसका कोई आधार है, न इसका कोई मेडिकल सर्टिफिकेट ही होता है, तो पता कैसे चले कि फलां आदमी ईमानदार है,

श्री मोतीलाल अवस्थी---जिसको १० आदमी कहें ईमानदार, वह ईमानदार है।

श्री चरणसिंह---तो इसका मतलब यह है कि रेक्रूटमेंट के समय किसी उम्मीदवार के बारे में यह राय जानी जाये कि कितने लोग उसको ईमानदार कहते हैं। ऐसा करना असम्भव है। मैं यह तो मानता हूं कि मोतीलाल अवस्थी जी की तरह से कानपुर से कुछ लोग ईमानदार चुने जा सकते हैं, लेकिन दूसरी जगहों से कसरत राय के बावजूद जनता गलत आदमी चुनकर भेज देती है।

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे पब्लिक सर्विस कमीशन से जो रेक्रूटमेंट होता है, फाइनल लिस्ट आती है सिलेक्टीज़ की, उसके बाद गवर्नमेंट एक स्क्रीनिंग कराती है, उन कैंडीडेट्स की प्रिवियस हिस्टरी भी मालूम करने की कोशिश की जाती है। तभी भर्ती किए जाते हैं। वही पुलिस अफसरान के मुताल्लिक भी है। इसके अलावा और ऐसी क्या चीज प्रेक्टिकेबिल है जो नहीं हो रही है? माननीय मोतीलाल जी या और कोई मेम्बर अगर कोई सुझाव दे सकेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं इस विचार से बिल्कुल सहमत हूं लेकिन प्रेक्टिकेबिलिटी के सम्बन्ध में सन्देह है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेजिस्टीरियल इंक्वायरीज, जब फायरिंग हो तो होनी चाहिए, यह बिल्कुल ठीक है और ऐसा नियम है। मेनुअल आफ गवर्नमेंट आर्डर्स में पैरा ७२२ है, उसमें लिखा है और प्रैक्टिस भी है कि गोली नहीं चलेगी जब तक मजिस्ट्रेट का आर्डर न हो जाय, लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट मौके पर मौजूद न हो और उसके बुलाने में इतनी देर लग जाय कि स्थिति गम्भीर और खराब हो जाय तो पुलिस आफिसर गोली चला सकता है। लेकिन फौरन तहकीकात होनी चाहिए। अगर मामूली मामला है तो एस० डी० एम० वरना आम तौर से डी० एम० करता है। और इस पर अमल नहीं हुआ है तो प्रशासन की या हमारी गलती है, लेकिन कायदे कानुन की इस सिलसिले में कोई गलती नहीं है।

एक मित्र ने, शायद पालीवाल जी ने कहा कि पुलिस रेगुलेशंस का रिवीजन होना चाहिए। यह ठीक है। पुराने रेगुलेशंस आउट मोडेड और आउट डेटेड हैं। लेकिन रिवीजन हो रहा है। ३७ चैप्टर्स पुलिस रेगुलेशंस में हैं, जिनमें से १६ पूरे तरीके से रिवाइज हो चुके हैं। १२ चैप्टर्स करीब करीब रिवाइज हो चुके हैं और ९ चैप्टर्स दूसरे डिपार्टमेंट्स से सम्बन्धित हैं। उनसे बातचीत करने के बाद, सलाह मशविरे के बाद और जब पुलिस कमीशन की रिपोर्ट आ जाय और उस पर गवर्नमेंट का फैसला हो जाय तब कोई रिवीजन होगा। वरना उस कमीशन की सिफारिशें जो मंजूर हो जायंगी उसके अनुसार फिर तरमीम करनी पड़ेगी।

श्री मोतीलाल अवस्थी––कितने साल लगेंगे?

श्री चरणसिंह––इसी एलेक्शन से पहले करा देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा गया है कि डाके जो पड़ते हैं, आम तौर पर उन गांवों में पड़ते हैं जहां के भले आदमियों के पास फायर आर्म्स नहीं होते। यह बहुत हद तक सही है, परन्तु पूर्णतया नहीं। क्योंकि जहां फायर आर्म्स हैं, वहां भी डाके पड़े हैं और लाइसेंसीज़ घर से नहीं निकले। ऐसा भी है कि जो बहुत भले आदमी समझे जाते हैं उनके फायर आर्म्स ही डाकुओं ने इस्तेमाल किए हैं। ऐसा भी डर रहता है। लेकिन फिर भी आम तौर पर गवर्नमेंट इस पालिसी से सहमत है और इस पालिसी पर दो तीन साल से अमल हो रहा है। अब उसका इम्प्लीमेंटेशन पुरे तरीके से हो जाय, इसकी मैं कोशिश करूंगा। मेरे पास सारे गवर्नमेंट आर्डर्स मौजूद हैं, जो १९५६, १९५८ और १९६० में इस सिलसिले में जारी हुए हैं। उनको मैं यहां सुनाना नहीं चाहता। अमल में क्या कठिनाई आती है, वह देख कर दूर करने की कोशिश की जायगी।

उपाध्यक्ष महोदय, चौकीदारों का अक्सर जिक्र हुआ कि ५ रुपये मिलते हैं। बात बहुत ठीक है। पुलिस के मुहकमे में ही नहीं, और मुहकमों में भी तनख्वाहें बढ़नी चाहिए।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)––चौकीदार को २ आने मिलते हैं भत्ते में।

श्री चरणसिंह––भत्ते की बात तो मुझ को मालूम नहीं है। हां, ये जो ५ रुपये मिलते हैं इनको बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। भला तनख्वाह बढ़ाने में किसी को क्या एतराज हो सकता है। कौन चाहता है कि गरीबों को कष्ट हो, लेकिन इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि रुपया कहां से आए। वह रुपया कहां से आयेगा, यह कोई नहीं बतलाता है। "मियाऊं" की ठौर कौन पकड़ेगा?

श्री बालकराम (जिला शाहजहांपुर)—४–४ हजार तनख्वाह वालों की कम कीजिए।

श्री चरणसिंह—४–४ हजार तो किसी को मिलते नहीं, और ३–३ हजार वाले बहुत कम हैं।

अब अगर मैं आंकड़े देने लगूंगा तो कहा जायगा कि लीजिए साहब आंकड़े देते हैं। आंकड़ों से यह पता लग जायगा कि ४ हजार पाने वाले अगर हैं तो कितने हैं और ५० रुपया पाने वाले कितने हैं। मैं आपसे यह अर्ज कर रहा हूं कि ४७ हजार के करीब चौकीदार है। ५ रुपया और वर्दी उनको मिलती है। अगर ६ रुपया की ही वर्दी समझ ली जाय तो साढ़े ५ के हिसाब से ३० लाख रुपया सालाना खर्चा उनके ऊपर आता है। कल एक मित्र ने २५ रुपए की तनख्वाह करने को कहा। ५० रुपया न कह दिया इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वह यह भी कह सकते थे। २५ के हिसाब से ११/२ करोड़ रुपया होता है और १५ के हिसाब से ९० लाख। अब यह रुपया आए तो कहां से आए।

(श्री मोतीलाल अवस्थी द्वारा कुछ कहे जाने पर)

श्री उपाध्यक्ष—बार-बार हर बात पर टोका जाय, मैं अनुचित समझता हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—जिसका जवाब देना उचित समझते हैं उसका जबाब वे दे देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—जिसका जबाब उनको देना होता है उसके लिए मंत्री आसन ग्रहण कर लेते हैं, तब आपको कहना चाहिये।

श्री मोतीलाल अवस्थी—बीच में टोकने का हमारा अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं जानता हूं कि वह आपका अधिकार किस सीमा तक है।

श्री चरणसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि चौकीदार उस तरह का तो गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट है नहीं जैसे दूसरे २४ घंटे के होते हैं, जिनकी २४ घंटे की ड्यूटी देने की जिम्मेदारी होती है। वह अपना प्राइवेट काम बराबर कर सकता है। गवर्नमेन्ट का काम करने के लिये उसको बहुत थोड़ा समय देने की आवश्यकता होती है। इसलिये दूसरे कर्मचारियों से उसका मुकाबला करना उचित नहीं है।

कल एक माननीय मित्र इधर के और एक उधर के ने एक किताब को पढ़ कर बताया कि १ लाख ८ हजार या १४ हजार जरायम रजिस्टर हुए जिनमें से केवल ५६ हजार की तहकीकात की ही गई। मुझे तो वह पुस्तिका मिली नहीं और न कहीं वे आंकड़े ही मिले। लेकिन मैं माने लेता हूं कि वे आंकड़े सही हैं। लेकिन यह नहीं बताया कि वे आंकड़े एक तरह के जरायम के थे या कई तरह के। यानी थाने में काग्नीजेबिल आफेंसेज भी रजिस्टर होते हैं और नान काग्नीजेबिल भी, जिनकी तहकीकात करने की जिम्मेदारी पुलिस पर नहीं होती। काग्नीजेबिल आफेंसेज में भी सब की तहकीकत करने की जिम्मेदारी पुलिस पर नहीं होती। बिना वारंट के जिनमें गिरफ्तारी हो सकती है वे काग्नीजेबिल आफेंसेज होते हैं। उनके बारे में भी पुलिस रेगुलेशन नं० १०४ में एक लिस्ट दी हुई है कि इस किस्म के जरायम में चाहे वे काग्नीजेबिल ही क्यों न हों पुलिस को तहकीकात नहीं करनी चाहिये। अगर कोई आफिसर इस नतीजे पर पहुंचता है कि वह साधारण मैटर है या कोई ऐसा जुर्म है जो टेक्नकिल है या जो कि मामूली लोटा आदि की चोरी का है तो काग्नीजेबिल आफेंस होते हुए भी वह उसकी तहकीकात नहीं करेगा। इसलिये पुलिस उन सब केसेस की तहकीकात नहीं करती जो उसके यहां रजिस्टर होते हैं और उस पर से कोई आदमी यह नतीजा निकाल ले कि पुलिस नाकाबिल है, ऐसी बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस ने जो जो काम किए हैं उनका मैंने कल भी बयान नहीं किया और आज भी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर बता देना चाहता हूं कि पुलिस ने डकैतों का मुकाबिला करने में कितना काम किया है। सन् १९५९ में ५२ डकैत पुलिस एनकाउंटर में मारे गए और ५,४६३ गिरफ्तार किए गए और सन् १९६० में ७३ डाकू मारे गए और ६,७५३ गिरफ्तार किए गए। इसको यह नहीं कहा जा सकता कि यह काबिले तारीफ नहीं है।

माननीय रूम सिंह जी ने शाहजहांपुर की एक डकैती का जिक्र करते हुए कहा कि इस इलाके में दिन रात चोरियां हो रही हैं, राहजनी हो रही है, डाके पड़ रहे हैं और न मालूम और कितने जुर्म उस वक्त उनको याद आए, उन सब को एक सांस में ही उन्होंने गिना दिए। वे मेरे पास कोई ६ दिन पहले तशरीफ लाए थे बड़ी मेहरबानी करके, और उन्होंने कहा कि वहां कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती तथा दिन छिपने के बाद कोई आदमी गांव से नहीं निकलता है। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी जान भी खतरे में है, तो मैंने कहा कि अगर आपकी जान खतरे में है तो इसकी इत्तिला आपको किससे मिली, इसकी रिपोर्ट पहले पुलिस में लिखा दीजिए। एक फार्मल लेटर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास भेज दीजिए कि ऐसा ऐसा मैंने सुना है, फिर मैं उनसे बात कर लूंगा, लेकिन मुझे मुश्किल दिखलायी देती है कि क्या किया जाय ऐसे मामले में। उन्होंने कहा कि पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती, मेरे इलाके में और दर्जनों क्या सैकड़ों केसेज ऐसे हैं। श्रीमन्, मैंने उनसे कहा कि दर्जनों सैकड़ों की बात तो आप छोड़ दें, अगर तीन इंस्टेंसेज आप मुझे ऐसे बतला दें कि जुर्म हुए और विक्टिम रिपोर्ट दर्ज कराने गए, लेकिन दर्ज नहीं किए गये तो टेलीफोन के जरिए मैं उस सब-इंसपेक्टर का ट्रांसफर करा दूंगा और तहकीकात के बाद जुर्म साबित हुआ तो उसे सजा भी दूंगा।

श्री बालकराम—मैं लिख कर दूंगा।

श्री चरणसिंह—अब आप लिख कर देंगे लेकिन मैं तो ६ दिन पहले की बात कह रहा हूं। जो बात पहले कही जा चुकी है उसके मुताल्लिक मैं कह रहा हूं कि बजाय मुझे लिखकर देने के नियम ५२ के अनुसार उन्होंने नोटिस दे दिया। मैंने उस दिन सदन में भी उनको बतलाया कि आप लिख कर दे दें कि तीन वाकेआत ऐसे हुए जिनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी। और उसी वक्त मैंने आई० जी० को कहा कि शाहजहांपुर के सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस को जल्द बुलाइए क्योंकि मैं स्वयं शाहजहांपुर के क्राइम सिचुएशन से संतुष्ट नहीं हूं। यह बात ठीक है कि शाहजहांपुर में जरायम काफी होते हैं। हमारे यहां के ८–१० पश्चिमी जिले ऐसे हैं जिनमें उन्नाव भी शामिल है, जहां जरायम बहुत ज्यादा होते हैं, तो उन पर हमारी नजर है। लेकिन जब रुमसिंह ने अपने यहां की शिकायत की तो मैंने कहा कि आप लिख कर दे दीजिए और इधर उसी वक्त मैंने आई० जी० को फोन द्वारा कहा कि शाहजहांपुर के पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट को बुलाइए क्योंकि वहां की स्थिति से मैं अटरली डिससेटिसफाइड हूं।

राजा साहब जगम्मनपुर ने कल एक बात कही मेरी एक बात का हवाला देते हुए जो मैंने रूल ५२ पर बयान देते हुए या किसी सप्लीमेंटरी प्रश्न का जबाब देते हुए शायद कही थी। वह यह कि "बावजूद पुलिस के प्रान्त में डाका पड़ता रहा है और पड़ता रहेगा"। मेरे कहने का मतलब हरगिज यह नहीं था कि पुलिस का प्रबन्ध जैसा आज है, गवर्नमेन्ट उसे और बेहतर करने की कोशिश नहीं करेगी, ऐसी बात हरगिज नहीं है। लेकिन यह कि जुर्म बिलकुल न हों, ऐसी कोई स्थिति ला दी जाय, तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से इकबाले जुर्म करने को तैयार हूं कि वैसी स्थिति लाने में यह गवर्नमेन्ट मजबूर होगी। प्रदेश ऐसा हो जाय कि यहां कभी कोई जुर्म न हो, वह बहुत बड़ी चीज है और मैं इस तरह का दावा नहीं कर सकता हूं। मेरे कहने का मतलब यही था कि लोगों में घबराहट नहीं होनी चाहिये और उनको अपने पैरों पर खड़े होना चाहिये। बात बात में पुलिस की तरफ देखना ठीक नहीं है। मसलन हमने इन्तजाम कर दिया कि जगम्मनपुर में बहुत ज्यादा पुलिस डाल दी और दोनों तीनों थानों में ज्यादा पुलिस डाल दी, पी० ए० सी० के कुछ लोग, हेड कांस्टेबिल, सब-इंसपेक्टर,

[श्री चरणसिंह]

वायरलेस और जीप वगैरह का जो भी प्रबन्ध हो सकता है वह कर दिया लेकिन उसके बावजूद अगर वह कन्डीशन्स जिनकी वजह से जरायम होते हैं वह वैसे ही रहे तो पुलिस वहां कब तक रहेगी। बहुत रहेगी तो २-३ साल और फिर जब वह वहां से हटेगी तो फिर जरायम बढ़ने लगेंगे। तो ज्यादा पुलिस का इंतजाम एक टेम्पोरेरी चीज है, परमानेन्ट हल नहीं है। पुलिस भी मर्ज का एक इलाज है, वह केवल एक रेमेडी है, उसका कोई परमानेन्ट हल नहीं है। यही मेरा मतलब था, अगर वहां के लोगों को कोई गलतफहमी हो गई है या राजा साहब को कोई गलतफहमी हो गई है कि मेरा मतलब यह था कि पुलिस वहां कुछ नहीं कर सकती तो वह गलतफहमी दूर होनी चाहिये, यह मेरी मन्शा नहीं थी।

माननीय मलिखान सिंह जी चले गए, उन्होंने कहा था कि मथुरा के कोतवाल की शिकायत की गई, कुछ नहीं हुआ। उनके पार्टी लीडर राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे एक दिन मुझ से मिले, उनके जनसंघ का एक वर्कर मथुरा से आया था और उसको लेकर वह मुझ से मिले थे। उन्होंने मुझसे बात की और अंग्रेजी में एक रिप्रेजेन्टेशन दिया लेकिन जो बात उन्होंने और बताई उसका जिक्र उसमें नहीं था या कम था। इसलिये मैंने उनसे कहा कि आप इन तमाम बातों को लिखकर दें। उन्होंने दो तीन दिन तक लिख कर नहीं भेजा लेकिन मैंने याद दिलाया तो उन्होंने लिख कर भेजा। अब एक मास हो चुका कि जब उस मथुरा के कोतवाल पर ऐक्शन हो गया, उसका ट्रान्सफर हुआ और तहकीकात हो रही है। तो अब यह कहना कि शिकायत की गई और कुछ नहीं हुआ कहां तक ठीक है, यह आप देखें। जिस दिन अन्तिम शिकायत हुई उसके एक सप्ताह के अन्दर ऐक्शन हुआ और तहकीकात शुरू हुई। उसका जिक्र न करना और फिर यह कहना कि कुछ नहीं हुआ मैं नहीं समझता कि कहां तक फेयरनेस है और न्यायोचित है?

मुरादाबाद के मुताल्लिक मैंने कहा था और मैं फिर कहता हूं कि मुरादाबाद में उस झगड़े को साम्प्रदायिक झगड़े का रूप देने की जिम्मेदारी जनसंघ की है। मेरी आज भी यही राय है। माननीय मलिखान सिंह जी कहते हैं कि झगड़ा मुसलमानों ने शुरू किया। मैं और जगह की बात तो फिलहाल छोड़ देता हूं लेकिन मुरादाबाद के बारे में मैं यह मानता हूं कि कुछ मुसलमानों ने एक हिन्दू के साथ ज्यादती की, एक क्राइम किया लेकिन सब मुसलमानों के लिये यह कहना कि मुसलमानों ने ज्यादती की, इसी पर मेरी इखतलाफ राय है, क्या वह ज्यादती सारी मुसलमान कम्युनिटी ने की? मैं इसको नहीं मानता। अगर एक हिन्दू किसी मुसलमान के साथ ज्यादती करता है, अन्याय करता है और उसको मुसलमान यह मान ले कि उस अन्याय के लिये, एक हिन्दू के अन्याय के लिये सारे हिन्दू या पूरा सम्प्रदाय गिल्टी है, इसको मैं नहीं मानता। एक आदमी का दोष हो सकता है जो ज्यादती करता है।

इस खास मामले में ४-५ मुसलमानों ने फर्स्ट इन्फारमेशन रिपोर्ट के अनुसार एक शख्स पर, सूरज प्रकाश पर घातक हमला किया और उस पर पुलिस ने ४ आदमियों को उस संबंध में गिरफ्तार किया। तहकीकात की रिपोर्ट आ गई है, एक आदमी अभी नहीं मिला है। तो रिक्शा वाला और एक दो आदमी उसको लेकर थाने में गए और लिखित शिकायत की। उसकी हालत देखकर पुलिस वालों ने कहा कि इस को अस्पताल ले जाओ और ५-७ मिनट बाद कान्स्टेबिल को भी भेजा गया और डी-वाई० एस० पी० भी १५-२० मिनट बाद अस्पताल पहुंच गए, वह उसी वक्त सवा १० बजे पहुंच गए। अब इसमें इतनी गलती मैं भी पुलिस की मानता हूं कि यह नहीं कहना चाहिये था उनके रिश्तेदारों से, कि इनको आप ही अस्पताल ले जाओ बल्कि साथ में कोई पुलिस आफिसर पुलिस केस के तौर पर जाना चाहिये था। इतनी गफलत जरूर मालूम होती है, ऐसा प्राइमा फेसी मालूम होता है। यह थोड़ी सी टेक्निकल गलती है, कोई बड़ी मेटीरियल मिस्टेक नहीं है, वह उस थाने के किसी अफसर की हो सकती है। लेकिन सूरज प्रकाश के संबंधियों को, एक विक्टिम के संबंधी होने के नाते मेरी समझ में नहीं आता कि क्या शिकायत हो सकती है, जब कि दिन निकलने से पहले, रात के साढ़े ८ बजे का वाकया

साढ़े ९ बजे पुलिस की नोटिस में आता है और ५ में से ४ आदमियों को फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद कहना कि पुलिस की गफलत हुई लिहाजा दुकानें बन्द हों––मेरे पास सारे आदमियों के नाम मौजूद हैं, शाखा का नाम मौजूद है कि किस शाखा के किस किस वर्कर ने दुकानें बन्द कराईं, कहां मीटिंग हुई और कौन कौन रेस्पांसिबिल आदमी उसमें भारतीय जनसंघ के मौजूद थे। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर मैं इस तफसील में गया तो देर हो जायगी। मैं भारतीय जनसंघ को किसी तरीके से बिला वजह या किसी खास उद्देश्य को लेकर कंडेम नहीं करना चाहता हूं लेकिन जो सही बात है उसको कहने से भी हरगिज नहीं चूकूंगा। भारतीय जनसंघ के राजेन्द्र सिंह जी, मलिखान सिंह जी या यादवेन्द्रदत्त जी हैं या और बाहर के लोग भी हैं, जिनको मैं जानता हूं। उनके और मेरे जाती संबंध अलग की बात है लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट का जहां तक सवाल है, सच्ची बात मैं यहां पर कहूंगा।

श्री भजनलाल (जिला इटावा)––इटावे में.....

श्री चरणसिंह––इटावे की बात तो मैंने कही नहीं.....

श्री भजनलाल––इटावे में डाकुओं का आतंक बढ़ता जा रहा है।

श्री चरणसिंह––कहा गया कि जुर्म बढ़ रहे हैं। फर्ज कर लिया कि बढ़ रहे हैं लेकिन क्या पुलिस ही उन जुर्मों को रोक सकती है? पुलिस का भी एक स्थान है, मानता हूं, लेकिन केवल पुलिस नहीं रोक सकती। मैंने पूरी तकरीर दीन दयालु शर्मा जी की नहीं सुनी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने आरम्भ किया, मैं उनकी एप्रोच से बिलकुल सहमत हूं कि हमारे घर और क्लास रूम वह जगह हैं जहां करेक्टर बनता है। करेक्टर की कमी की वजह से जुर्म होते हैं अधिकतर। इकोनामिक कंडीशंस की खराबी, पावर्टी या इल्लिट्रेसी की वजह से ज्यादा जुर्म होते हैं यह मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। तो करेक्टर रेस्पांसिबिल है क्राइम्स के लिये। वह पुलिस के बनाने का काम नहीं है। उसको हमारे स्कूलों में बनाया जायगा और हमारी माताएं अपने दूध के साथ उसको पिला देंगी तब करेक्टर बनेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ बातें मैं आपकी आज्ञा से पुलिस की दृष्टि से जिसे आब्जेक्टिव एनालायसिस कह सकते हैं, जो उनके सामने कठिनाई है, वह लाउड थिंकिंग के तौर पर माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहता हूं। और जब मैं यह बात कहता हूं तो यह न माना जाय कि मैं पुलिस को समझता हूं कि उसका काम बिलकुल आयडियल है, उसका कोई दोष नहीं है, उसमें कोई खराबी नहीं है। इसलिये जो भी मैं बात कह रहा हूं वह इस पृष्ठ भूमि में ली जाय कि खराबी जो पुलिस में बताई जा रही है एक बार को वह सब सही है लेकिन स्थिति जिसका पुलिस को मुकाबिला करना पड़ रहा है वह यह है कि साम्प्रदायिक सिचुएशन जो कि स्वराज्य हासिल करने से पहले हमारे देश में या प्रदेश में थी कुछ कुछ, अगर्चे कुछ स्लाइट है लेकिन ठीक उन्हीं लाइंस पर जिससे देश के पार्टीशन की नौबत आ गई थी वह फिर उभरती नजर आती है उसी तरह के एतराज, उसी तरह की शिकायतें, उसी तरह की आपत्तियां कदम कदम पर उठाई जा रही हैं। मैं उनकी तफसील में नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं किसी तरह से प्रेस के जरिए या प्लेटफार्म के जरिए एटमासफीयर में कोई इजाफा नहीं करना चाहता। लेकिन रिपोर्ट जो है वह यह है कि सन् ५९ से वही साम्प्रदायिक एलीमेंट्स फिर अपना सिर उठा रहे हैं। तो पुलिस इस तरह का जो जहर है हमारे समाज में, उसका जो एक्सटर्नल मैनीफेस्टेशन है, उनकी जो जाहिरा शक्ल होती है, जो बाहरी लक्षण हैं उनको कुचल सकती है, क्रश कर सकती है, सप्रेस कर सकती है। लेकिन वह आरजी इलाज है। वह फिर उमड़ आते हैं। यह रोग का इलाज नहीं हुआ रोग का सही इलाज तो यह है कि जितने मुख्तलिफ मजहबों के आदमी हैं, वे सब अपनी धार्मिक स्वतंत्रता कायम रखते हुए राष्ट्र के एक अंग बन जाय,

[श्री चरणसिंह]

सार्वजनिक भावनाओं से हर मसले को समाज के हित में हैं सोचें, जहां तक देश का मसला है उस पर देश की दृष्टि से सोचें। जब तक यह नहीं होगा तब तक इस मसले का कोई हल नहीं है।

इमोशनल इंटेग्रेशन के लिये एक स्पष्ट विचारों के साथ आल इंडिया स्तर पर एक जबरदस्त आन्दोलन चलाया जाय, आन्दोलन वह नहीं जिसका वाह्य रूप हो, बल्कि जिसका आंतरिक रूप हो, खामोशी के साथ ठंडे दिल के साथ। हमारी टेस्ट बुक्स में, त्योहारों में, जिस तरह से हम उनको मनाते हैं, उसमें तब्दीली होनी चाहिये। मैंने कोई गहरा मनन नहीं किया, इसके सिलसिले में बहुत सी बातें कही जा सकती हैं, जब तक सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनैतिक स्तर पर तब्दीली नहीं होगी तब तक इमोशनल इंटेग्रेशन नहीं हो सकता और साम्प्रदायिक स्थिति ज्यों की त्यों रहेगी। उसका रूप बदल जाय, इटेंसिटी कम हो जाय या ज्यादा हो जाय। परन्तु इमोशनल इंटेग्रेशन हो जाय जिसमें मुख्तलिफ धर्म के लोग अपने को एक राष्ट्र के अंग महसूस करने लगों उससे पहले आवश्यक यह है कि जो सबसे बड़ा अंग है एक धर्म को मानने वाला पहले वह तो एक हो। जब तक जन्मगत आधारित जाति पांति नहीं मिटेगी तब तक इमोशनल इंटेग्रेशन की बात करना बेकार है। परन्तु बावजूद हर प्रकार के और भाषण आदि होने के, ऐसा लगता है हमारी जो जाति पांति की व्यवस्था है वह कमजोर होने के बजाय स्वतंत्रता के प्राप्त कर लेने के बाद और प्रबल होती जा रही है। अगर हम जात पांति में इतना विश्वास आज भी करते हैं तो उन दूसरे धर्म के मानने वालों के साथ कैसे हम बराबरी का बरताव करें और कैसे उनमें विश्वास पैदा कर सकें ? यह एक मसला है। मेरी समझ में नहीं आता है कि इसको व्याख्यानों से या कानूनों से कैसे हल किया जा सकता है ?

एक बात कही जाती है कि साम्प्रदायिक संस्थाओं को अवैध अर्थात् खिलाफ कानून घोषित कर दिया जाय। मैं यह समझता हूं कि यह कोई इलाज नहीं है। यह तो ऐसा है नाली कमजोर है एक जगह से टूट गई, वहां थोड़ी-सी मिट्टी रख दी, वह दूसरी जगह से टूट जायेगी कच्ची मिट्टी जो ठहरी। मैं इससे सहमत नहीं हूं कि उन को अवैध घोषित कर देने से कोई फायदा होगा। इसके अलावा कांस्टीट्यूशनली बहुत कठिन हो जायेगा इस तरह के प्रतिबन्ध को एनफोर्स करना "साम्प्रदायिक" की परिभाषा करना आसान नहीं होगा। खैर, जो कुछ भी इलाज हो या न हो, पुलिस के सामने लगभग उसी प्रकार की साम्प्रदायिक स्थिति है जो १०–१५ साल पहले थी। मुझे अफसोस है जितने हमारे विरोधी दल के नेता गण हैं आज गैर हाजिर हैं, पालीवाल जी तो मौजूद हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह तो रही साम्प्रदायिक स्थिति की बात। अब आजादी के बाद समय की गति के कारण जो समस्यायें पैदा हो गई हैं उनकी बात मैं करूंगा। कुछ ऐसी स्थितियां पुलिस के सामने आ गयी हैं जो कभी उनके सामने नहीं थीं और अगर अब से १० साल पहले थीं तो बहुत हल्की या थोड़े रूप में थीं। मसलन् जो पहली बात मुझे कहनी है वह जो मेरे मित्र सामने बैठे हैं उनके खिलाफ कुछ कहना है। अगर वे कुछ नाराज भी हो जायं तो कुछ बुरा नहीं है। लेकिन मैं अपने उन मित्रों से क्षमा याचना करता हूं और मैं यह समझता हूं कि जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसमें मेरी नीयत को मिसअंडरस्टैंड न करें। वह बात है क्राइम तथा पालिटिक्स के परस्पर सम्बन्ध के सिलसिले में।

श्री रामायण राय—एलेक्शन स्पीच है क्या ?

श्री चरणसिंह—एलेक्शन स्पीच नहीं दे रहा हूं लेकिन आपको पहले से ही गलतफहमी पैदा हो गयी तो दूसरी बात है। आप चुपचाप सुनते रहिए और अपने मन में मेरी माफी मांगने के बावजूद गलतफहमी रखना ही चाहें तो रख लीजिये, लेकिन मेरी बात आप ध्यान से सुनें।

मैं यह कहना चाहता था कि जरायम पेशा लोगों को आज आश्रय मिलता है पोलिटिशियंस के जरिए बहुत से जिलों में। मैं यह मानता हूं कि बहुत सी जगह जान बूझ कर और बहुत सी जगह अनजाने में मिलता है। मैं स्वयं अपने जिले में एक सज्जन को बहुत भला आदमी करके जानता रहा हूं। वह कांग्रेस संगठन में हैं। बाद में मुझको यह मालूम होता है कि वह बहुत गलत आदमी हैं। ऐसे भी कुछ उदाहरण हैं। लेकिन अधिकतर केसेज वह हैं जहां जानबूझ कर प्रश्रय दिया जाता है। अब मैं नहीं समझता कि हमारे देश में जनतंत्र कैसे चलेगा ?

पुलिस जब यह जानती है कि फलां क्रिमिनल को पोलिटिकल सहारा है या क्रिमिनल्स के अबेटर को सहारा है तो उसको हिचकिचाहट होती है कार्यवाही करने में और हिचकिचाहट ही नहीं होती, कभी कभी उसको खामोशी धारण करनी होती है।

श्री मोतीलाल अवस्थी--यह नया अनुभव हुआ है आपको पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में ?

श्री चरणसिंह--मेरा पहले भी यह अनुभव था लेकिन उस वक्त मेरे ऊपर दूसरे विभाग की जिम्मेदारी थी और तब उसकी बात कहता था। अब मेरे पास यह विभाग है तो इसके बारे में कह रहा हूं, चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात चरितार्थ आप न करें। एक जिला है जिसका नाम मैं नहीं लूंगा।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--ले लीजिये।

श्री चरणसिंह--नाम लेना ठीक नहीं। मैं निहायत नेकनीयती से आप सबका सहयोग चाहता हूं। कांग्रेस के हित में नहीं न पी० एस० पी० के हित में बल्कि देश के हित में यह है ताकि डेमोक्रेसी सफल हो।

दो तीन महीने हुए एक जिले में मैं गया। पुलिस कप्तान तथा जिलाधीश मेरे साथ थे। पुलिस कप्तान ने १५ महीने पहले एक तहकीकात की थी कि किस-किस पोलिटिकल पार्टी में कौन कौन हिस्ट्रीशीटर हैं या एक्स कंविक्ट हैं। मेरे साथ कांग्रेस वाले भी थे, वह जिम्मेदार लोग थे। जब सब पार्टियों का हाल वह बतला चुके तो मैंने कहा कि कांग्रेस वालों का हाल भी बताइए। तब कप्तान साहब ने कांग्रेस की भी कहानी सुनाई। मैंने उनसे तब ही कह दिया था कि अच्छी बात है, मैं तुम से यह रिपोर्ट मंगाऊंगा। फिर मैं भूल गया। अब जब बजट सिर पर आ गया तो मैंने तीन दिन हुए उनको फोन कराया और कल उन्होंने स्पेशल मेसेन्जर से अपनी रिपोर्ट भेजी है।

अब उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मोतीलाल अवस्थी की पार्टी का नाम है शायद सोशलिस्ट पार्टी। ऐसी वैसी बात नहीं कर रहा हूं, हर आदमी का नाम और पता मौजूद है और आपके रजिस्टर्स तसदीक कर देंगे। उस जिले में उपाध्यक्ष महोदय, नवम्बर, १९५९ में करैन्ट हिस्ट्री शीटर्स की संख्या थी १,४७३ जिसमें से १,३६४ ए क्लास के हिस्ट्रीशीटर्स हैं और बाकी १०९, बी० क्लास के हैं। सोशलिस्ट पार्टी की नवम्बर, १९५९ में वहां जो मेम्बरशिप थी वह ३,५०० थी। उसमें से १११ हिस्ट्रीशीटर्स थे, जिसमें से ११ की हिस्ट्रीशीट बन्द हो चुकी हैं और १०० की हिस्ट्रीशीट चल रही हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी--ये हिस्ट्रीशीटर्स उस वक्त बनाये जाते हैं जब वे पुलिस के खिलाफ ऐक्शन लेते हैं।

श्री चरणसिंह--आप जो कहें सब ठीक है।

[श्री चरणसिंह]

सुपेरिन्टेंडेंट साहब लिखते हैं, आई० जी० के नाम यह खत है :

"From the enclosed list you will see that the total number of history-sheeters in the Socialist Party is 111. Of these 11 are closed. Thusthere are 100 current history-sheeters. The membership of the Socialist Party in November, 1959 was 3,500. The percentage of history-sheeters, there fore, comes to 2.85, i.e. nearly 5½ times higher than their normal percentage of the adult male population in the district.

वह कहते हैं कि ३ लाख बालिग पुरुष उस जिले में हैं। उसमें जो प्रतिशत पड़ता है डेढ़ हजार हिस्ट्री शीटर्स का, उसके साढ़े ५ गुना सोशलिस्ट पार्टी में हैं।

"Of course, calculating on the basis of the entire population this will be about 20 times as high. At the end of 1960 the membership of the Socialist Party was 4,000 and even then the percentage of history-sheeters would be 2.50, i.e. five times as high as the normal percentage for the adult male population."

अब माननीय गौरीशंकर राय जी मेरे सामने बैठे हुए हैं एक पार्टी को रेप्रेजेन्ट करते हुए जिसका नाम है पी० एस० पी०। उसमें हिस्ट्रीशीटर्स का प्रतिशत कोई बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी खासा है।

"The total number of history-sheeters in this Party in November, 1959 was 19. Of these 17 were current history-sheeters. The membership of the P. S. P. in 1959 was 2,000, which works out a percentage of .85, i.e. as little over 1.7 times higher on the basis of adult male population.

Communist Party.—The total number of history-sheeters in this party is 7. All current. The membership of this party in Novermber, 1959 was 300. This works out to a percentage of 2.33, i.e. 4.5 times higher.

B.J.S.—The number of current history-sheeters in this party is 2. Their membership in 1959 was 3,000 which works out a percentage of roughly .07. In 1960 their number rose to a little over 4,000, which works to a percentage of .05. From the above we shall see that the element of criminality in the B. J. S. is 9 times less than the average criminality. This is understandable because the B. J. S. has its influence amongst classes which are economically better off and where elements of criminality are less.

Congress—The total number of history-sheeters in this organisation in 1959 was 13, of which 12 were current. In 1959 the membership of the Congress was 25,000 and, therefore, the percentage of current history-sheeters works out to .048. The membership of the Congress in 1960 is claimed to be 40,000 and thus the percentage of current history-sheeters will work out to .03 and it will indicate that element of criminality in this organisation is on an average 15 times less than the average criminality in the adult male population."

(इस समय ४ बज कर १५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

अच्छा अध्यक्ष महोदय, यह रही हिस्ट्रीशीटर्स की बात। सजायाफ्ता लोगों के बारे में सुपरिन्टेंडेंट पुलिस ने लिखा है कि उनकी फेहरिस्त उस तफसील से तैयार नहीं की गई है जैसी कि हिस्ट्रीशीटर्स की। मेरे पास तो लिस्ट मौजूद है वह ज्यादा काबिल ऐतबार नहीं है परन्तु उसके देखने से मालूम होता है कि सोशलिस्ट पार्टी में ७० प्रीवियस कनविक्ट्स हैं, पी० एस० पी० में ११, कम्युनिस्ट पार्टी में १४, भारतीय जन संघ में ३ और कांग्रेस में २ हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि इस मामले में किसी खास पार्टी का दोष नहीं है। सभी पार्टियों की कमोबेश जिम्मेदारी है कि जुर्म करने वाले लोगों को सहारा मिलता

है, सपोर्ट मिलता है पोलिटिकल पार्टिओं का। इसके अलावा मेरे पास दो तीन जिलों के जिम्मेवार आदमियों के मुताल्लिक ऐसी भी बातें मौजूद हैं जिनसे साबित होता है कि हमारे दोस्त यहां पर पुलिस के खिलाफ व्याख्यान देते हैं और अपने जिलों में हर तरह से क्रिमिनल्स को मदद करने की कोशिश करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता हूं। मेरे जो सब से अजीज मित्र हों उनके लिये फर्ज कर लिया जाय कि वह ऐसे आदमी हैं। मेरे सामने ऐसी भी मिसालें मौजूद हैं और मैं उन सज्जनों को जानता हूं कि पुलिस आफिसर किसी के खिलाफ कार्यवाही करता है तो एम० एल० ए० साहब सिफारिश करते हैं कि यह ईमानदार आदमी है या किसी आफिसर के दोषी पाने पर उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है और उसकी जगह जो नया आदमी जाता है वह बहुत निष्पक्ष रूप से काम करता है। लेकिन पुराने वाले से सांठगांठ थी इसलिये उसकी तारीफ होती है और नये वाले की मुखालिफत होती है। यह नहीं है कि मैं किसी अनुमान से कह रहा हूं। हर तरह से हिस्ट्रीशीटर्स को और क्रिमिनल्स को आश्रय दिया जाता है और पुलिस के खिलाफ जिहाद बोला जाता है। अगर किसी हिस्ट्रीशीटर के खिलाफ पुलिस १०१ का केस चलाती है तो हमारे मित्र उसकी जमानत करते हैं और यहां पर फ्रीडम आफ स्पीच है इसलिये सब तरह की बात करेंगे। पुलिस की जो यह समस्यायें हैं उनके मुताल्लिक मैं मोतीलाल जी से गुजारिश करूंगा कि मैं बहस के खातिर नहीं कह रहा हूं बल्कि सचाई अर्ज कर रहा हूं। मैं आप से सच्चे माने में कोआपरेशन चाहता हूं। अगर जरायम पेशा लोग पोलिटिकल पार्टीज में घुस गये तो हमारा भविष्य अंधकारमय होगा।

(सोशलिस्ट पार्टी की ओर से व्यवधान) मैं बैठने या यील्ड करने के लिये तैयार नहीं हूं क्योंकि मुझे शक है कि आप सच्चाई को जानना चाहते हैं।

दूसरी बात मैं आप से यह अर्ज करना चाहता हूं कि साल में दो बार, या दो साल में एक बार सत्याग्रह होता है। बहस के लिये मान लें कि वह जायज ही है, लेकिन कानून तो टूटा। तो कानून को जो इनफोर्स करने वाले हैं वह क्या करें? मैंने कानून तोड़ा, मैं कल मिनिस्टर नहीं था, आज मिनिस्टर हो गया। जब मैं एम० एल० ए० था तब भी पुलिस वालों को आदर ही करना पड़ता था। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हमारा कोआपरेशन पुलिस और ऐडमिनिस्ट्रेशन सब को चाहिये। कल तो मैं जेल से आया हूं आज आपको मेरे कोआपरेशन की जरूरत है। एक भ्रम पैदा हो जाता है राज कर्मचारियों के दिमाग में। जनता के अन्दर कानून के लिये आदर नहीं रह जाता। यह अनादर फिर किसी न किसी रूप में आज नहीं कल, कल नहीं परसों फूट निकलता है। यह कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी भी तो सत्याग्रह किया करते थे, इसलिये हमको भी अधिकार है। सभी बातों में कुछ न कुछ सच्चाई होती है। ऐब्सोल्यूट ट्रुथ दुनिया में बहुत कम हुआ करता है। लेकिन वह परिस्थितियां और थीं और आज और हैं। महात्मा जी का उद्देश्य बड़ा ऊंचा था। उनके सत्याग्रह का ऐडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भिन्न प्रकार का मनोवैज्ञानिक असर होता था। आज परिस्थितियां और हैं। (सोशलिस्ट पार्टी की ओर से व्यवधान) मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सिवा आपकी पार्टी के आप से कोई सहमत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, जुवेनाइल डिलीक्वैंसी या कम उम्र लड़कों की जुर्म करने की प्रवृत्ति पश्चिमी मुल्कों में बहुत बढ़ गयी है। लेकिन हमारे यहां भी १५, १६, १७, १८, १९ वर्ष के बच्चों की प्रवृत्ति जुर्म की तरफ बढ़ती चली जा रही है। छोटी उम्र के जो बच्चे हैं, उनकी प्रवृत्ति जुर्म करने की तरफ बढ़ती जा रही है। लड़कियों को छेड़ना मामूली बात हो गयी है। सिनेमा में झगड़ा करना मामूली बात हो गयी है। इसका कारण यह है कि जो ओल्ड वैल्यूज या पुरानी मान्यताएं थीं हमारे और घरों, समाज की वह दरहम बरहम होती जाती हैं। पुलिस के पास उसका कोई इलाज नहीं है। मैं तो केवल शान्ति व्यवस्था के कायम रखने की दृष्टि से कह रहा हूं। हमारे नौनिहाल सिनेमा पर चढ़ जायेंगे, आग लगा देंगे, दूकानदार

[श्री चरणसिंह]

से झगड़ा करते हुए हजरतगंज में चले जायेंगे। यह एक आम खयाल हो गया है कि लड़के कानून के ऊपर हैं। इलाहाबाद में जो सिनेमा में आग लगाई गई, मेरे पास बड़े डेपुटेशन आये, कुछ सिफारिशें भी आयीं, मैंने कहा--नहीं अदालत फैसला करेगी। मैं हर्गिज केस वापस लेने को तैयार नहीं हूं। कहीं तो लड़कों को मालूम हो कि कानून कानून है। हमारे अध्यापकों की क्या गलती है, हमारे एजूकेशन सिस्टम में क्या खराबी है, गवर्नमेंट की क्या गलती है, यह चीजें अलग हैं। मैं तो केवल अपनी इस इम्मीडिएट रेस्पांसिबिलिटी की दृष्टि से ही केवल कह रहा हूं।

फिर गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। अध्यक्ष महोदय, आमतौर पर हमारी जनता शान्ति-प्रिय है, बल्कि मैं यह कहूं कि थोड़ी सी टिमिड या डरपोक है। कानून तोड़ने से बहुत बचती है बल्कि अपनी रक्षा करने से भी हिचकती है। इसलिये अगर कोई गुंडा किसी इलाके में पैदा हो जाय तो उसका मुकाबला नहीं कर पाती। अदालत खुली हुई है लेकिन हमारे यहां का आदमी अपनी गरीबी और अपने अज्ञान के कारण अदालत का भी आश्रय नहीं ले पाता। लिहाजा पुलिस से उम्मीद करता है कि पुलिस उसकी रक्षा करे। पुलिस क्या करे? यह जो गुंडे हैं, यह आमतौर पर नानकागनीजेबिल आफेंस करते हैं, ऐसे जुर्म जो नाकाबिले दस्त अन्दाजी पुलिस है। ऐसा बड़ा जुर्म नहीं करेंगे जिससे कि पुलिस के चक्कर में पड़ जायं। तो पुलिस ही उनका नोटिस नहीं ले सकती। और कभी कभी केवल धमकी देंगे और केवल धमकी से ही उनका काम चल जाता है।

एक वकील साहब हैं, एक जगह के, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आज मुझे होम सेक्रेटरी ने बतलाया, आप लोगों में से बहुत से उनको जानते हैं। एक आफिसर एक जगह पिटा, उनमें उनका हाथ था। दूसरा आफिसर गया। वकील साहब ने दूसरे आफिसर से कहा या कहलवाया कि जरा देखकर रहना। वह बड़े आये हैं नये, और न जाने क्या क्या कहा। अब कहिये क्या करें। धमकी दी और धमकी देने वाले के खिलाफ कानून कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। मैं यह कह दूं कि मैं दीनदयाल जी को कल कत्ल करूंगा तो कोई मुकदमा मेरे ऊपरनहीं चलाया जा सकता। और अध्यक्ष महोदय, अगर मुकदमा पुलिस चलाये भी तो गवाह नहीं मिलते। रहा यह कि जो प्रीवेन्टिव सेक्शन्स हैं सी० आर० पी० सी० के उनके अन्तर्गत कार्यवाही की जाय। ठीक है उनमें कार्यवाही की जाय तो १०९ में ही हो सकती है। लेकिन उसमें मुश्किल से कामयाबी होती है और उसके बाद भी उसमें तो जमानत है, जेलखाना नहीं है। और अगर उसने दूसरे गुंडे को उकसा दिया तो क्या होगा? अब एक ही रास्ता रह जाता है कि थाने में बुला कर थाने वाले अपना दिमाग उसे दे दें जिसे अंग्रेजी में कहते हैं--टु गिव हिम वन्ज माईंड, लेकिन इसके लिये हमने मना कर रखा है कि ऐसा मत करना।

अब माननीय सदन की क्या प्रतिक्रिया है १० साल के तजुर्बे के बाद, यह मैं जानना चाहता हूं! एक पुलिस आफिसर को आज मैंने बुलाया। एक नाबालिग लड़की है एक गरीब आदमी की। वह सीधे आये मेरे पास। वह किसी गवर्नमेंट सर्विस में है, लेकिन गरीब लोग हैं। दो तीन गुंडे उस लड़की की तरफ बदनिगाह से देख रहे हैं। अब मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं? उनका मेरे पास आना बिलकुल सही है क्योंकि और किसके पास जायं? लेकिन मैं सोच रहा हूं कि करूं तो क्या करूं। और पुलिस वाले जो हैं उनकी समझ में स्वयं कुछ ज्यादा नहीं आता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत बाअदब आपकी इजाजत से सदन से और पंडित मोती लाल अवस्थी जी से तो बहुत ही अदब के साथ चाहता हूं कि वह मुझको ऐसे सुझाव दें कि जो काबिले अमल हों। उसके लिये केवल मैं ही कृतज्ञ नहीं होऊंगा बल्कि सारी पुलिस फोर्स उसके लिये कृतज्ञ होगी।

श्री मोतीलाल अवस्थी--एक मिनट मुझे दे दें, मैं अभी बतला दूं।

श्री चरणसिंह--जी नहीं, अभी नहीं बतलायेंगे आप।

श्री अध्यक्ष—उनके कमरे में जाकर बतला दीजियेगा।

श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, इसी सिलसिले में जो पंचायतों के एलेक्शन हैं उनका भी जिक्र कर दूं। उसकी वजह से भी हमारे गांवों की शान्ति भंग होती है। कहीं कहीं तो सिर फट जाता है और खराब खून तो जहां एलेक्शन हुआ वहां हो ही गया, मन तो बिगड़ ही गये और कहीं कहीं खून भी बहा है। बहुत कम है कुल क्राइम को देखते हुए। लेकिन वह जो तनाव पैदा हो चुका है और हर गांव में दुश्मनी पैदा हो गई, वह किसी न किसी शक्ल में कभी न कभी बाहर जरूर निकलेगी। तो यह एक बड़ी भारी समस्या पैदा हो गई है पुलिस के लिये।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा रोड ऐक्सीडेंट या दुर्घटनाएं हैं। पहले आबादी कम थी। मोटर भी कम थीं और ट्रक भी। अब सवारी की मोटरें भी बढ़ गयीं और ट्रक्स भी बढ़ गईं। आबादी मेरे खयाल से २० सालों में ४० फीसदी बढ़ गई। सड़कें वही पुरानी हैं उतनी ही चौड़ी। एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं यानी एक्सीडेंट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारे सूबे में सन् १९५७ में ४७८ मौतें रोड ऐक्सीडेंट से हुईं और दो साल के बाद सन् १९५९ में उनकी संख्या ६५८ हो गई। ४० फीसदी बढ़ गये। कुछ जिलों का तो यह हाल है कि जितनी वहां अन्य जुर्मों से कत्ल या मौत होती है उससे ज्यादा रोड एक्सीडेंट से होती है। मेरठ जिले में पिछले साल केवल ४९ कत्ल हुए लेकिन ५६ मोटर एक्सीडेंट से मर गये। जैसा मैंने कहा कि जैसे समय बीतता जाता है उसी तरह से पुलिस की समस्याएं और उनका सिर दर्द बढ़ता जाता है।

अध्यक्ष महोदय, जहां उनका कार्य भार बढ़ा वहां उनकी कठिनाई कम नहीं है और यदि कम हुई है तो वह उस अनुपात से कम नहीं हुई जिस अनुपात में उनका कार्य-भार बढ़ा है। सन् १९४८ में जो हमारे यहां पुलिस की तादाद थी, ठीक उतनी ही आज है। जब कि हमारे यहां की आबादी २२ १/२ फीसदी बढ़ी है। उसी हिसाब से पुलिस फोर्स भी बढ़ना चाहिये। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि १००, १०० गांव के पीछे एक थाना है। हमारे सूबे में ८१७ थाने हैं और १,१२,००० गांव हैं तो मेरे खयाल से १२० गांव पीछे एक थाना पड़ा बल्कि उससे ज्यादा पर ही। कहीं पर १२ सिपाही हैं और कहीं पर १५ सिपाही हैं। ९१७ चौकियां हैं लेकिन बहुत सी चौकियों पर कांस्टेबिल ही डंडा लेकर रहते हैं। ऐसी चौकियां बहुत कम हैं जिनमें सब इन्सपेक्टर फायर आर्म्स लेकर रहते हों।

अब अगर यह कहा जाय कि जितनी आबादी बढ़ी उसी हिसाब से पुलिस भी बढ़ाई जाय तो न मालूम कितना खर्च हो जायगा। मैं मानता हूं कि उस हिसाब से पुलिस नहीं बढ़नी चाहिये लेकिन अगर सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां एक सी रहती हैं और आबादी बढ़ती है तो आबादी के तनासुब से जुर्म भी बढ़ते हैं लिहाजा पुलिस भी बढ़ानी होगी। मैं मानता हूं कि हम स्पेशल ट्रेनिंग देकर उनकी कार्य क्षमता को बढ़ायें लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। अभी पुलिस रिआर्गनाइजेशन कमीशन बंगाल में बैठा है। वह यहां आये थे और मुझसे मिले थे। उन्होंने बतलाया कि हमारे यहां ५० हजार पुलिस फोर्स है। वहां की आबादी है ३ करोड़ ४० लाख। हमारे यहां ६५ हजार पुलिस फोर्स है और आबादी ७ करोड़ ४० लाख। यूनाइटेड किंगडम अर्थात् इंगलिस्तान क सन् १९५५ के आंकड़े मुझे देखने को मिले। उस साल वहां ४ करोड़ ४० लाख की आबादी और ७४ हजार पुलिस फोर्स थी। अब देखा जाय कि क्या प्रतिशत आता है। यह पढ़े लिखे लोगों का हाल है। हमारे यहां उस हिसाब से कितनी पुलिस चाहिये यह हिसाब लगा सकते हैं और उस पर हमारे यहां अधिकतर जाहिल लोग हैं। वहां पर तो सब ही पढ़े लिखे लोग हैं। सन् १९५७-५८ में एक हजार आबादी के पीछे पुलिस की तादाद कितनी अपने देश में थी, मुखतलिफ प्रदेशों में उसके आंकड़े मेरे पास हैं। बिहार में .७८ प्रतिशत है जो सबसे कम है।

[श्री चरणसिंह]

सबसे कम परन्तु बिहार में पुलिस कमीशन बैठ चुका है या बैठने वाला है। मैं जानता हूं कि पुलिस की तादाद बढ़ाने के लिये उनके यहां बातचीत चल रही है। मद्रास में .९७ जो हमारे यहां के बराबर है। हमारे यहां .९८ है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को अचरज ही नहीं होगा, खुशी भी होनी चाहिये कि मद्रास में डकैती नाम का कोई जुर्म नहीं है। वहां डकैती पड़ती ही नहीं। हमारे यहां तो डकैती बहुत होती है। उत्तर प्रदेश में .९८ मध्य प्रदेश में १.३६, वेस्ट बंगाल में १.४३, बम्बई में १.८९ और पंजाब में १.९८ यानी पंजाब व बंगाल में हम से दूना है।

कुछ दोस्तों ने कहा कि पुलिस का बजट बढ़ता चला जा रहा है। बढ़ना किसे कहते हैं। बढ़ना कोई एब्सोल्युट टर्म है या रिलेटिव? पिछले साल १० करोड़ था और इस साल १० करोड़ ५१ लाख हो गया तो बढ़ गया। इस पर मुझको बीरबल अकबर वाली बात याद आती है। अकबर ने मिट्टी में एक लकीर बना दी और बीरबल से कहा कि इसको छुओ नहीं और छोटा कर दो। उन्होंने बराबर में एक बड़ी लाइन बना दी और कहा कि यह छोटी हो गयी। तो कम और ज्यादा तो निस्बती शब्द है, रिलेटिव टर्म है। सन् ५७ में १० करोड़ खर्च होता था, उससे ज्यादा हो गया। अगर उतने ही आदमी रहे तो भी तनख्वाहों पर तो कुछ बढ़ा ही खर्च। अध्यक्ष महोदय, पुलिस के खर्च के सब प्रदेशों के आंकड़े मेरे पास हैं। बिहार को छोड़कर सब जगह आबादी के प्रति व्यक्ति पर खर्च हमारे प्रदेश के मुकाबले से ज्यादा है। मसलन बिहार में १.१८, उत्तर प्रदेश में १.४६, मद्रास में १.७८, मध्य प्रदेश में २.०१, वेस्ट बंगाल में २.२०, पंजाब में २.६७ और बम्बई में २.६८ रुपया फी व्यक्ति खर्च होता है पुलिस पर।

इसके अलावा गत १५ वर्ष में पुलिस का खर्च कुल बजट को देखते हुये जितना होता था उसका अब आधा रह गया है यानी १३ फीसदी से ६।। फीसदीके लगभग और इस पर भी कहा जाता है कि पुलिस का खर्च बढ़ता जाता है।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा पुलिस एफीशियेन्सी बढ़ाने के लिये ट्रेनिंग की आवश्यकता है। ट्रेनिंग ज्यादा दी जाय, इक्वीप्मेन्ट इनके पास ज्यादा हो, उनके पास ट्रक्स हों, जीप्स हों, टेलीफोन हों, सब तरह की सहूलियतें हों, लेकिन इन सब के लिये पैसे की आवश्यकता है और हमारे बजट में पैसा है नहीं। हमारे बजट की स्थिति इस बात की इजाजत नहीं देती कि पुलिस को आइडियल या आदर्श फोर्स बनाने के लिये जितने खर्च की आवश्यकता है वह उस पर किया जाय इसलिये जहां हम पुलिस की तमाम बुराइयों की तरफ ध्यान देते हैं वहां जो उसके हैंडिकैप्स हैं, जो उसके सामने रुकावटें हैं और उसकी कठिनाइयां हैं उन पर भी हमारा ध्यान जाना चाहिये।

माननीय पालीवाल जी ने एक बात कल कही थी और आज भी दोहराई कि जो हमारे नागरिक हैं उनके अधिकार और बढ़ने चाहिये। मैं समझ नहीं पाया कि उनका मतलब क्या था? आज उन्होंने उसे खोल कर नहीं कहा, कल उन्होंने उसके सिलसिले में एक बात कही थी कि अगर पुलिस के खिलाफ शिकायत हो तो जनता को उसकी जांच कराने का अधिकार होना चाहिये। परन्तु यह तो उनको अधिकार है ही और इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि वह होना चाहिये। लेकिन जो फंडामेन्टल राइट्स संविधान ने दिये हैं मैं नहीं समझता कि उसे ज्यादा और क्या अधिकार नागरिकों को दिये जा सकते हैं। मैंने कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया है, लेकिन कांस्टीट्यूयेन्ट असेम्बली में जब बहस चल रही थी, उन दिनों का जो इंप्रेशन मेरे दिमाग में है, वह यह है कि दुनिया में शायद किसी भी देश में इंडिविजुअल या नागरिक को इतने राइट्स हों जितने कि हमारे देश में हैं। कदम कदम पर आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। पुलिस हथियार का लाइसेंस कैंसिल कर दे, आप हाईकोर्ट जा सकते हैं, जरा सी बात हो, हाईकोर्ट में जा सकते हैं। फिर हमारे यहां तो अधिकारों पर ही सारा जोर है।

मुजरिमों की बात हो तब अधिकार, किसानों की बात हो तो अधिकार, मजदूरों की बात हो तो अधिकार, राजकर्मचारियों की बात हो तो अधिकार और कोई भी बात हो तो अधिकार ही अधिकार की दुहाई सुनाई देती है। हमने महात्मा गांधी जी से सुना था (rights flow out of duties) अर्थात् कर्त्तव्यों को पूरा करने से ही अधिकारों की प्राप्ति सम्भव है। पहले हमें अपने कर्त्तव्यों को पूरा करना चाहिये। कपड़ा देने का अधिकार वह भी सरकार का, रोटी देने का अधिकार है वह भी सरकार का, मगर काम करने की जिम्मेदारी किसी की नहीं है। मिनिमम वेजेज ऐक्ट जरूर बन जाना चाहिये, चाहे किसानों की उतनी पैदावार हो या न हो। अधिकार पर तो बहुत बल दिया जाता है लेकिन जितने अधिकार हमको मिल चुके हैं, जितनी स्वतंत्रता हमको मिल चुकी है, उनके होते हुये अगर हमने अपना आत्मसंयम नहीं बरता, अपनी जिम्मेदारी का अहसास नहीं किया, तो जितनी स्वतंत्रता और अधिकार हमको मिले हैं वे सब खतरे में पड़ जायेंगे और यह अधिकार मुल्क को भी खा जायेंगे। यह हमारे मुल्क को भी ले डूबेंगे।

मसलन हमको फ्रीडम आफ स्पीच ऐण्ड एक्सप्रेशन है अर्थात् अपनी बात कहने व लिखने का अधिकार है। गवर्नमेन्ट के पास इस तरह के भाषणों की रिपोर्ट आती है कि अगर पुलिस वाला आये, डाइरेक्टर आफ कन्सालिडेशन आये, तो उसकी गर्दन पकड़ लेना। इस तरह की स्पीच एक साहब दे रहे थे। जबानी स्पीच थी, रेकार्ड तो हो नहीं रही थी, यह सम्भव भी नहीं है कि हर बात जो कोई कहे उसे पूरा रिकार्ड कर लिया जाय, फ्रीडम आफ स्पीच है ही। तो ऐसी सूरत में क्या क्या किया जाय? क्या ऐक्शन लिया जाय? हमने ला डिपार्टमेन्ट से भी मश्विरा किया, वह कहता है कि यह एक्शनेबिल नहीं है। फिर एक्शनेबिल अगर हो भी तो सबूत कहां से आये? अदालत में अगर किसी ने जिरह में कह दिया कि वह स्पीच ३ बजे हुयी थी और दूसरे ने पौने तीन बजे बता दिया तो अदालत के सामने परस्पर विरोध का प्रश्न आ जाता है और केस छूट जाता है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल––अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी एक व्यवस्था चाहता हूं। कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाले प्रस्तावक से यह आशा की जाती है कि वह नियम और परम्परा के अनुसार प्रस्ताव के समर्थन में अपनी बात कहे और फिर, माननीय मंत्री जी के जवाब देने से पूर्व, बाद में जो उत्तर दें उसमें भी उन सब बातों का जवाब वह दे दें तो इस तरह से उसको वह अवसर तो मिल ही नहीं पाता कि वह माननीय मंत्री जी ने जो कठिनाइयां बतायी हैं उनका जवाब वह दे सके और उनको दूर करने के लिये कुछ सुझाव दे सके। इसमें यही कठिनाई अनुभव हो रही है। तो आप क्या जवाब देने के लिये इस समय या बाद को कोई मौका देंगे जिससे कि मैं अपनी बात कह सकूं। मैं केवल एक ही बात पूछूंगा और उसका उत्तर भी केवल आधे मिनट में ही दिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष––आप क्या पूछना चाहते हैं, माननीय मंत्री जी बैठ गये हैं आप सवाल कर सकते हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल––मैं एक बात जानना चाहता हूं कि उन्होंने पुलिस की तरफ से इस बात के तो आंकड़े दिये कि किन-किन पार्टियों में कितना-कितना प्रतिशत क्रिमिनल एलिमेन्ट का रहता है, वे कृपा करके अपने पुलिस विभाग के जरिये इस बात की भी जांच करा लें और यह बतायें कि पुलिस से कितने क्रिमिनल एलीमेन्ट्स को कितने चोरी और डकैती आदि को प्रश्रय मिलता है।

श्री चरणसिंह––अध्यक्ष महोदय, यह तो 'बोझ मरने वाली' बात हुई, जवाब का तो कोई मौका नहीं है और मोतीलाल जी को मौका मिल गया। (हंसी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तो कहीं यह नहीं कहा कि पुलिस वाले गलती नहीं करते, मैं तो पुलिस के खिलाफ सब बातें माने लेता हूं, लेकिन पालीवाल जी या मोतीलाल जी या तो मित्र

[श्री चरणसिंह]

क्या अपने को किसी कांस्टेबिल या सब-इन्स्पेक्टर की लेबिल पर रिड्यूस करना चाहते हैं ? क्या देश के प्रति मेरे मित्रों की उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी पुलिस मैन की ? पुलिस वाले तो अनुशासन में बंधे हुए कर्मचारी हैं और पोलिटिकल पार्टी के मेम्बर नेता होते हैं । मैं वचन देता हूं कि पालीवाल जी जिस रोज किसी भी पुलिस आफिसर के मुताल्लिक मुझसे यह कह दें कि मैंने तहकीकात कर ली है और मेरा नैतिक विश्वास है कि अमुक पुलिस मैन दोषी है तो मैं उसके खिलाफ प्रिलिमिनरी कार्यवाही पहले कर दूंगा और तहकीकात बाद को करूंगा । वह तो अनुशासन से बंधे हुए हैं । मैं पालीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि मुझे गौरीशंकर राय जी के खिलाफ अधिकार नहीं है, मुझे उनके खिलाफ यह अधिकार दिला दीजिये । राजनैतिक पार्टियों में गलत आदमी न आ जायं, यह आपकी जिम्मेदारी है, पुलिस वाले तो आपके कर्मचारी हैं । जैसा चाहो काम लो ।

एक बुनियादी अधिकार की बात मैं कह रहा था, इस सिलसिले में मुरादाबाद की बात लीजिये । एक नयी दुनिया अखबार निकलता है । मेरे पास मुरादाबाद के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट है । वह अखबार मुसलमान साहबान की तरफ से निकलता है । ओहो ! कितनी अनर्गल बातें हैं, उसमें बहुत वक्त लग जायगा हाउस का, मैं सुनाना नहीं चाहता । किस तरह हिन्दू गये थे तकाजा करने का बहाना लेकर और कितने मुसलमान मारे गये और कोई हिन्दू गिरफ्तार नहीं हुआ और यह 'Red Right to freedom of expression' इसी के अन्दर आता है और 'Freedom of the press' है । तो जो रेस्पांसिबिल प्रेस है वह तो ठीक है उसकी कोई शिकायत नहीं है उनकी आलोचना कभी कभी अच्छी लगती है उससे शिक्षा मिलती है लेकिन इसको क्या कहा जाय 'Red Journalism' कहा जाय 'Yellow' कहा जाय कौन सा जर्नलिज्म है जो केवल विज्ञापन छाप कर अपना खर्च चलाता है और कस्बे कस्बे से निकलता है और ज्यादा तादाद उर्दू हिन्दी पढ़ने वालों की है वह पढ़ते हैं। मुरादाबाद वाले अखबार के पीछे एक जिम्मेदार आदमी का हाथ है । डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने लिखा है कि प्रिंटर और एडिटर के खिलाफ कार्यवाही करने की बात सोच रहे हैं, कानूनी मशविरा ले रहे हैं लेकिन The man is a stooge या यूं कहो कि वह तो केवल बलि का बकरा है । इस तरह से अधिकारों का दुरुपयोग हमारे यहां हो रहा है । हर एक को अपने मजहब की इशाअत करने का एक दूसरा अधिकार है । इशाअत इस तरह से होती है कि अपनी तारीफ कम इशारे से दूसरे मजहब वालों की बुराई ज्यादा । पकड़ में नहीं आते ।

अध्यक्ष महोदय, एक अधिकार और है कि किसी आदमी को जब तक सुप्रीम कोर्ट से सजा न हो जाय उसको बेल बराबर मिलती रहेगी । हमारी अदालतें बहुत अच्छा काम कर रही हैं उनके सम्बन्ध में मैं कुछ कहना नहीं चाहता केवल पुलिस की दृष्टि से कुछ कहना चाहता हूं । डकैती हुई और कत्ल हुआ परन्तु जमानत पर मुलजिम छोड़ दिया गया । वकील को मेहनताना देने के लिये फिर डकैती की, कत्ल किया और फिर जमानत पर छोड़ दिया गया ।

श्री रामायणराय--३९५ नान बेलेबिल आफेंस है ।

श्री चरणसिंह--कोर्ट को फिर भी अख्तियार है ।

श्री रामायणराय--वह तो डिस्क्रिशन की बात है ।

श्री चरणसिंह--उसी डिस्क्रिशन की बात कह रहा हूं । मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूं, मै तो वाकयात बयान कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय, जहां जहां जनतंत्र सफलता के साथ चल रहा है, वहां आदमी अदालत में जाते हैं, पुलिस को मदद करने के लिये । मैंने माना कि यहां की पुलिस भी इसके लिये जिम्मेदार है कि लोग नहीं जाते, लेकिन जहां पुलिस की कोई गलती भी न हो और जहां परेशान होने का गवाह

को डर भी नहीं है, वहां भी भले और पढ़े लिखे आदमी गवाही देने के लिये अदालत में जाने को तैयार नहीं हैं। फिर कहते हैं कि पुलिस वाले दलाल रखते हैं। नहीं रखेंगे, आपकी बात पुलिस वालों ने और मैंने नोट कर ली।

मैं कोशिश करूंगा कि टाउट्स नहीं रहेंगे। लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है और पुलिस भी इसी सोसाइटी में पैदा हुई है। दिन दहाड़े दो आदमी एक आदमी की हत्या करने के लिये रेलवे स्टेशन पर पहुंच गये। उसके पास पिस्तौल थी। हिम्मत हार गया, डिमारेलाइज हो गया और पिस्तौल चलाने के बजाय घुस गया स्टेशन मास्टर के आफिस में। स्टेशन मास्टर ने उसे बाहर निकाल दिया। कत्ल कर दिया गया वहीं प्लेटफार्म पर और उठाकर ले गये। मैं जानना चाहता हूं कि जिन डेमोक्रेसीज की हम नकल करना चाहते हैं और मिसाल देना चाहते हैं वहां क्या किसी मुल्क में यह मुमकिन था कि स्टेशन मास्टर इस तरह से धक्का देकर बाहर निकाल देता। मुवक्किलों वकीलों अफसरों से और पढ़े लिखे लोगों से कचहरी से आती हुई एक सड़क भरी हुई है हमारे एक शहर में और वहीं कत्ल होता है। कोई वकील या मोहर्रिर या जनता का पढ़ा लिखा आदमी गवाही के लिये नहीं सामने आता है और पुलिस के रद्दी सद्दी गवाह पेश करने पर वह कातिल छूट जाता है। कम से कम इंग्लैंड का यह कायदा है कि कोई जलूस हो या भीड़ हो, चाहे विद्यार्थी हों और चाहे मजदूर लोग, अगर पुलिस वाले ने कहा कि आप उधर नहीं जावेंगे तो वे नहीं जावेंगे। वहां के लोग या भीड़ पुलिस को डिसओबे या उनकी हुक्म अदूली कभी नहीं करती है और हमारे यहां कभी हुक्म नहीं मानती है। ठीक उल्टा है। फिर दूसरे मुल्कों में पुलिस कांस्टेबिल के सामने दिया हुआ बयान एडमिसिबिल इनएबीडेंस काबिल अदखाल शहादत होता है और यहां चाहे पुलिस सुपरिंटेंडेंट के सामने बयान दिया हो वह भी एडमिसिबिल नहीं है। जब आप उसका अविश्वास करते हो कानून उसका अविश्वास करता है चाहे जितना बड़ा आफिसर हो तो उसमें आत्म सम्मान और सच्चाई के लिये आदर कैसे आयेगा? जापान और इंगलैंड का मुझे मालूम है कि कांस्टेबिल तक को छोटे छोटे जुर्मों में मैजिस्ट्रेट के अधिकार हैं कि वहीं ट्रैफिक के मामले में जुर्माना कर सकता है वहीं खड़े हो कर।

अध्यक्ष महोदय, बस मैं अपनी बात समाप्त कर चुका हूं, समय भी होता आ रहा है।

जहां तक जुर्मों की संख्या की बात है सम्भव है, गत ४० साल में संख्या की दृष्टि से बढ़ा है लेकिन मैं ठीक नहीं कह सकता हूं। जहां तक आंकडों का सवाल है हर दशाब्दि में तीन साल के लगातार आंकड़े मैंने इकट्ठा कराये हैं। सन् १९१८ से १९२० तक के, १९२८ से ३० तक, १९३८ से १९४० तक के, १९४८ से १९५० तक के और १९५८ से १९६० तक के। डकैती सन् १८ से लेकर २० तक कुल मिलाकर ४,३२५ थीं और अब ३ साल में २,६२६ हैं। राबरी सन् १८ से लेकर २० तक थीं २,७१२ और सन् ५८ से ६० तक हैं १,५२३। कत्ल थे २,७३६ अब हैं ४,९६७। बलवे २,३३१ और अब हैं ८,६००। नकबजनी थीं १,६९,००० और अब रह गई हैं ४७,००० कोई साहब देखना चाहें तो मेरे पास आकर सारी फीगर्स देख सकते हैं। मैं उन्हें समय बचाने के खयाल से नहीं दे रहा हूं। तो अध्यक्ष महोदय, इनमें मर्डर्स और राइट्स बढ़े, बर्गलरी बहुत कम हुई, थोड़ी सी डकैती और राबरी भी कम हुई। इसका सही एक्सप्लेनेशन मैं बहुत वसूख के साथ तो नहीं कह सकता हूं लेकिन मुझे यह लगता है आज से नहीं ४०–५० साल पहले से यह टेंडेंसी रही कि क्राइम जिस जिले में कम होगा उस जिले के एस० पी० या सब इन्सपेक्टर का काम अच्छा समझा जायगा। एक जिले में एक थाने में हर साल ४–५ चोरियां कम होती गयीं। जब रिपोर्ट आई० जी० के पास आयी तो उन्होंने कहा कि इस थाने की कोई जरूरत ही नहीं है उसको तोड़ दिया जाय। बाद में जब तहकीकात हुई और यह मालूम हुआ कि जरायम उतने ही हैं जितने पहले थे तब जाकर वहां थाना फिर कायम हुआ। जुर्म को छिपाने की टेंडेन्सी का पता इसी से लग जाता है कि सन् १८ से २० तक की नकबजनी १,६९,००० थीं तो अब उनकी तादाद हो गयी ४७ हजार जब कि आबादी ड्योढ़ी से अधिक हो गयी। क्या हम पहले से ज्यादा ईमानदार हो गये? नहीं तो रिकार्ड में ही गलती हो सकती है। यह इससे

[श्री चरणसिंह]

भी साबित होता है कि पिछले साल ३ महीने में जरायम था २,५०० तो अब तीन महीनों में हो गया ४,००० । लेकिन इससे यह सही अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता कि जुर्म कितने वास्तव में बढ़े हैं और कितने दर्ज होने से रह जाते थे । अब जितने केसेज दर्ज होते हैं उनमें से सब के सब सच्चे ही होते हों ऐसी भी बात नहीं है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--मैं प्रार्थना करता हूं कि मंत्री जी अभी बोल ही रहे हैं इसलिये समय बढ़ा दिया जाय जिससे हमें डिवीजन वगैरह के लिये समय मिल सके ।

श्री अध्यक्ष--मैं इसके लिये दस मिनट बढ़ाये देता हूं । आप पांच बजे तक बोलिये ।

श्री चरणसिंह--जरायम बड़े हों या घटे हों मैं आपके जरिये से माननीय मित्रों को और इस सदन के जरिये से सारी जनता को यह विश्वास दिला देना चाहता हूं कि हमारी जो सीमाएं हैं उनके मातहत जितना भी मुमकिन होगा पुलिस की कार्य-क्षमता को बढ़ाने के लिये और भ्रष्टाचार को कम करने के लिये गवर्नमेन्ट की तरफ से कोशिश की जायगी और आज भी हमारी यू० पी० की पुलिस जिसका काम ऐसा है कि जिसके लिये किसी को शर्म करने की जरूरत नहीं है । मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे-जैसे समय बीतता जाता है अर्थात् भविष्य में वह ज्यादा बेहतर यंत्र जन सेवा का बन जायगी जिस पर हम सब अभिमान कर सकेंगे ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य--नीति का व्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है ।

मितव्ययिता तथा प्रशासकीय सुधार आदि पर चर्चा करना तथा सुझाव देना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में--६१,
विपक्ष में----१२९ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १८--पुलिस के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़ कर ९,६४,०८,२०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा आयोग भंग करने के सम्बन्ध में नियम ५३ के अन्तर्गत विवाद

श्री अध्यक्ष--अब उत्तरप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ५३ के अन्तर्गत श्री मोतीलाल अवस्थी आदि सस्दयों की सूचना पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा आयोग को भंग कर देने के विषय के सम्बन्ध में विवाद होगा ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से. . .

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है । जिस नियम के अन्तर्गत आपने हम सबों को इस पर विवाद करने की अनुमति प्रदान की है उसी नियम के अन्तर्गत आप टाइम भी निर्धारित कर दें ताकि सब लोग उसमें हिस्सा ले सकें ।

श्री अध्यक्ष--आप कितना समय चाहेंगे ?

श्री मोतीलाल अवस्थी--मैं १०-१५ मिनट लूंगा ।

श्री अध्यक्ष--अगर आप १० मिनट लेंगे तो मेरा खयाल है कि बाकी लोग ७-७ मिनट लेंगे । ५ मिनट ही लें तो अच्छा है, जरूरत समझने पर दो मिनट बढ़ा दूंगा । इसके लिये २ घंटे समय तय हुआ है । एक घंटे तक आज विवाद होगा और एक घंटे कल होगा ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न आपके सामने रखता हूं कि सरकार ने पहली दिसम्बर, १९६० को जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा आयोग मुकर्रर किया था जिसके विचारणीय विषय करीब करीब १६ थे, उनमें से दो, तीन विषयों का उल्लेख मैं करना चाहूंगा ।

एक तो इस बात को भी हमें देखना चाहिये कि क्या वर्तमान १२ वर्षीय व्यवस्था को चालू रखा जाय या ११ वर्षीय व्यवस्था चलने दी जाय । उसके साथ ही यह भी देखना होगा कि नई व्यवस्था को अपनाने के फलस्वरूप शिक्षा संस्थाओं की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी भी जांच की जाय और यह देखा जाय कि इससे कितनी नई नियुक्तियों की जरूरत पड़ेगी या इससे कितने अध्यापक अपदस्थ हो जायेंगे और इससे उनको कितनी हानि होने की सम्भावना है ? विशेष तौर पर मैं सरकार के इस कदम के बारे में जानना चाहूंगा जो उसने इस आयोग को भंग करके उठाया है । यह प्रश्न आज भी हमारे सामने प्रमुख रूप से प्रस्तुत है कि माध्यमिक शिक्षा में जो हमारी १२ वर्षीय शिक्षा थी उसमें सरकार क्या हेर फेर कर रही है । मैंने माननीय शिक्षा मन्त्री जी का भाषण सुनने के बाद, जिस समय उन्होंने एलान किया था कि वह यहां इन्टरमीडिएट संस्थाओं का कोई बिल पेश करेंगे प्रश्न किया था और जानना चाहा था कि वह उसमें इस आयोग द्वारा जांचे जाने वाले विषय को भी रखेंगे या नहीं । हमारे सूबे में जो इस तरह की संस्थायें इन्टरमीडिएट की हैं और जो कालेजेज हैं उन संस्थाओं में २ लाख ५० हजार विद्यार्थी हैं और उनमें से कुछ हिस्सा ऐसा है कि जो डिग्री कालेजेज से अटैच है और कुछ ऐसा है कि जो १२वीं कक्षा तक के ही कालेजों का है । अगर इन डिग्री कालेजों का ३ साल का कोर्स बनाया जाता है तो वह कालेज कि जो १२वीं क्लास तक की शिक्षा देते हैं उनकी स्थिति में कुछ न कुछ परिवर्तन होगा । उसमें सरकार का क्या विचार है, उस विचार को बिना पहले से प्रदर्शित किये ही जो इस आयोग को भंग किया है उससे उसने हमें और भी अन्धेरे में रख दिया है ।

मैं जानना चाहता हूं कि सरकार का जो इरादा एक संशोधन बिल लाने का है उस के पहले तो वह एक संकेत तो हमें कर दें कि वह आज की जो इन्टर एजूकेशन की शिक्षा चल रही है उसमें क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं । मन्त्री जी का कहना था कि इसके लिये बहुत धन की आवश्यकता होगी और पूर्व शिक्षा मन्त्री जी ने कहा था कि इस विषय में यद्यपि केन्द्र के मुदालियर कमीशन तथा अन्य कमीशनों ने कहा है कि ३ वर्ष के डिग्री कोर्स की पद्धति को अपनाया जाय लेकिन उस के लिये बहुत धन की आवश्यकता होगी और जब तक केन्द्रीय सरकार धन की व्यवस्था नहीं करती तब तक हम उसको स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हैं । उस घोषणा के बाद उन्होंने घोषणा की थी कि अब हम केन्द्रीय सरकार से इस विषय में समझौता करने की तरफ बढ़ रहे हैं । उन्होंने कहा था कि इस विषय को हम एक आयोग के सुपुर्द कर रहे हैं और वह सब की राय लेकर इस मामले पर विचार करेगा । लेकिन अब मालूम होता है कि उस आयोग को भंग करके शिक्षा विशारदों, और शिक्षा जानकारों की राय लेना अब सरकार नहीं चाहती, अब उसकी यह इच्छा नहीं है । आयोग को तोड़ कर शिक्षा विशारदों की, शिक्षा के सम्बन्ध में रहने वाले लोगों की और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की राय को निष्प्राय कर दिया गया है जो इस विषय में अपनी राय दे सकते थे ।

मुझे अन्य आयोगों या इस विशेष आयोग की तरफ कोई विशेष आकर्षण नहीं है लेकिन जिन प्रश्नों की जांच के लिये आयोग मुकर्रर किया गया था और अब भंग किया गया है

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

उनके विषय में अब सरकार ने क्या निश्चय किया है और उसका क्या रुख है ? यदि सरकार कहती है कि हम इस सम्बन्ध में एक संशोधन बिल लाकर अपनी राय को यहां प्रदर्शित करेंगे तो उसका हमें इस समय विश्वास नहीं होता क्योंकि एक छोटे से संशोधन बिल में वह तमाम बातें नहीं आ सकतीं जो कि आयोग की जांच के बाद हमारे सामने आतीं।

आयोग में ऐसी भी आवश्यक बातें हैं जो कि उसके द्वारा जांच में आतीं, उदाहरण के लिये मैं बता दूं कि विद्यार्थियों में नैतिक स्तर कैसे बने, अनुशासन के सम्बन्ध में जो आज परेशानी है उसकी उन्नति कैसे हो सकती है, नेशनल सर्विस स्कीम के बारे में भी उस आयोग से राय मिल सकती थी, जो कि भारत सरकार के द्वारा प्रस्तावित की गई है। अंग्रेजी की गिरती हुई स्थिति के विषय में भी प्रश्न था कि क्या रास्ता निकाला जा सकता है ? लेकिन हमें दुःख है कि इन तमाम जरूरी विषयों पर अब कोई खोज न हो सकेगी और सरकार एक संशोधन बिल लाकर तमाम चीजों को सीमित कर देना चाहती है। आज हमारे यहां माध्यमिक शिक्षा में ५३ लाख विद्यार्थी हैं जिनमें से १३ लाख उच्चतर हायर सेकेंडरी (माध्यमिक) स्कूलों के हैं और उन विद्यार्थियों के लिये सरकार एक समुचित स्कीम रखती कि किस प्रकार हम उनको नये मोड़ में लाकर शिक्षा देना चाहेंगे। यह बात मान ली गई है कि प्राविधिक शिक्षा की इस समय बड़ी भारी मान्यता है और उस ओर सरकार का झुकाव हम देखें तो सरकार ने जो शिक्षा की प्रगति में बतलाया है वह यह है कि केवल १० गवर्नमेन्ट स्कूलों में ऐसी शिक्षा जिसे उन्होंने इन्जीनियरिंग शिक्षा कहा है, उसे देकर नया मोड़ देना चाहेंगे। उनमें केवल १२५ विद्यार्थी सरकार सन् १९६१ में निकाल पायेगी। तो यह कैसे मान लिया जाय कि माध्यमिक शिक्षा में सरकार प्राविधिक शिक्षा की ओर झुक रही है या बहुधन्धी कालेजों के द्वारा विद्यार्थियों को उद्योग-धन्धे देने की तरफ झुक रही है ? यदि सरकार माध्यमिक शिक्षा जो अभी तक दी जा रही थी उसमें भी कमी कर देने के लिये उपाय करती है, जैसे कि ६० परसेन्ट फेल कर देने की बात है, यदि यही उपाय सोच रखे हैं तो मैं कहूंगा कि माध्यमिक शिक्षा का अन्त करने पर सरकार तुली हुई है।

आज प्रदेश के विद्यार्थी शिक्षा की तरफ अग्रसर हो रहे हैं लेकिन हमारी सरकार उनको पीछे घसीटना चाहती है, दरवाजा बन्द करना चाहती है, प्राविधिक शिक्षा नहीं देना चाहती, टेक्नीकल एजूकेशन न देकर बाध्य करना चाहती है कि पास हो जाने के बाद वह बेकारी के रजिस्टर में दर्ज हो जायं। इसलिये इस प्रश्न को सामने रख कर सरकार स्पष्टीकरण दे कि माध्यमिक शिक्षा के बारे में भविष्य के लिये उसकी क्या नीति है ? आयोग को चाहे भंग कर दें लेकिन माध्यमिक शिक्षा में समय के मुताबिक वह कौन से परिवर्तन करने जा रहे हैं, यह बतावें। क्या योजना है, क्या उद्देश्य हैं, क्या लक्ष्य हैं, यह बतावें ? इन शब्दों के साथ में इस प्रश्न को प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष—कोरम भी जरा करा लें। यह दिक्कत लोगों ने बताई है। मैंने देखा कि उसमें कोरम तो होना ही चाहिये।

श्री मोतीलाल अवस्थी—पांच बजे के बाद समय रखने में तो दिक्कत पड़ेगी ही। ११-१२ बजे रखते तब तो कोरम था। दिन भर के परिश्रम के बाद लोग घर जाने की कोशिश करते हैं। इस समय कोरम की बात न देखें तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष—घंटी बजाइये। देखिये शायद आ जायें। आज शायद कहीं प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है सेक्रेटेरिएट के खेल वगैरह के लिये। यहीं पास में ही है, लोग वहां बैठ गये होंगे।

(घंटी बजाई गई।)

एक सदस्य—कांग्रेस सदस्यों की दिलचस्पी नहीं है।

श्री अध्यक्ष—इस विषय में नहीं है? १५ मिनट ठहरे जाते हैं, देखते हैं।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—इसके बाद मन्त्री जी को बुलवाइएगा?

श्री अध्यक्ष—वह तो करेंगे ही। नियम तो यही है कि उनके बाद मन्त्री जी बोलेंगे, फिर और कोई बोलेगा।

(कुछ ठहर कर)

लेकिन यह बात है कि अगर विरोधी दल कोई समय निश्चित कराता है वाद-विवाद के लिये तो उसको अपने यहां इंस्ट्रक्शन्स देने चाहिये कि वह लोग हाजिर रहें। अब की बार आपकी ड्यूटी है क्योंकि सरकार को तो फिक्र है ही नहीं।

(गणपूर्ति होने पर कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।)

*__शिक्षा मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)__—अध्यक्ष महोदय, मुझे ठीक नहीं मालूम कि विरोधी दल के सदस्य चाहते क्या हैं, जो मैं इस समय कहूं। यदि वह यह चाहते हैं कि वे कारण बताऊं, जिनके आधार पर हमने यह कमीशन समाप्त करने का निश्चय किया है, कि सरकार की तरफ से एक ऐसी कमेटी बनेगी जिसमें हमारे विभागीय अधिकारी होंगे और कुछ विशेषज्ञ भी होंगे, उसके द्वारा जो रिपोर्ट हमारे पास आई हैं उनके आधार पर कोई ऐसा कार्य-क्रम बनायेंगे जो शिक्षा-स्तर को ऊंचा कर सके और उसका प्रसार हो सके। यह तो खास बात हमने अपनी विज्ञप्ति में निकाली थी। यदि आप आज्ञा दें तो, मेरे पास ३,४ पन्ने में कुछ लिखा हुआ है हर एक विषय के ऊपर जो टर्म्स आफ रेफरेन्स में थे, उन पर सरकार का क्या विचार है, और क्यों सरकार ने मुनासिब समझा कमीशन को भंग करना, उसको पढ़ दूं .....

श्री गौरीशंकर राय—अध्यक्ष महोदय, संक्षेप में कह दें, पढ़ें न अन्यथा बड़ा समय लगेगा।

श्री अध्यक्ष—वह संक्षेप में ही कहेंगे।

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां, यह प्रश्न उठाया गया था कि प्रदेश के विश्वविद्यालय शिक्षा के पूर्व वर्तमान बारह वर्षीय व्यवस्था का संचालन क्या वर्तमान व्यवस्था में भारत सरकार द्वारा संस्तुत त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स के सुझाव के समक्ष पुनर्संगठन की आवश्यकता है? यह टर्म्स आफ रेफरेन्स में था। सरकार क्या करना चाहती है वह भी पढ़ दूं?

सैडलर आयोग की संस्तुति पर वर्तमान १२ वर्षीय शिक्षा व्यवस्था इस प्रदेश में चल रही है। इसकी जांच आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी दो बार कर चुकी है और इसका अनुमोदन किया है। मुदालियर आयोग ने भी १२ वर्षीय शिक्षा व्यवस्था को उपयुक्त बताया है। भारत सरकार द्वारा संस्तुत त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स इस प्रदेश में चालू करने के प्रश्न पर विशेषज्ञों की एक समिति तथा बोर्ड आफ हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट एजूकेशन ने भलीभांति विचार किया था। राज्य सरकार ने यह निश्चय किया कि इन्टर परीक्षा के बाद डिग्री कोर्स में त्रिवर्षीय योजना अपनाई जाय और प्रदेश की वर्तमान माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में कोई परिवर्तन न किया जाय। इस निश्चय से भारत सरकार को अवगत करा दिया गया था और उन्होंने इसका अनुमोदन भी किया है। विश्वविद्यालय स्तर पर त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स की एक योजना राज्य सरकार ने अपने तृतीय पंचवर्षीय आयोजन में सम्मिलित की है जिसे आगामी वर्ष से कार्यान्वित करने का विचार है। यदि दूसरे प्रदेशों के समक्ष इस प्रदेश में माध्यमिक स्तर पर एक वर्ष अधिक व्यय होने के प्रश्न पर विचार ही करना हो तो शासन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[आचार्य जुगलकिशोर]

तथा वैभागिक विशेषज्ञों की समिति द्वारा जांच कराना पर्याप्त होगा क्योंकि इस सम्बन्ध में बहुत कुछ विचार किया जा चुका है। इस हेतु किसी वृहद् आयोग की आवश्यकता नहीं है।

जैसा बताया गया उसके ऊपर भी राय हो चुकी है। अब तो सरकार को निश्चय करना है, हमने कहा कि कार्यान्वित करना है और उसके सिलसिले में जैसा बताया गया अगले वर्ष इस बारे में क्या और योजना होगी वह आपके सामने रख दी जायगी। तो सरकार ने निश्चय कर लिया है। यद्यपि मैं इस बात को कह दूं उसके सिलसिले में आज केन्द्रीय सरकार में भी फिर विचार हो रहा है। हमारा जो सुझाव है कि १२ साल का समय रहने दें और डिग्री कोर्स में दो साल रहेगा.....

श्री अध्यक्ष---डिग्री कोर्स में दो साल और इन्टरमीडिएट तक १२ साल?

आचार्य जुगलकिशोर---जी हां। उसके ऊपर विचार हो रहा है। लेकिन अगर वह कहेंगे कि तीन साल रखा जाय तो अगले साल हम योजना रखेंगे।

दूसरा सवाल यह था कि आयोग द्वारा प्रस्तावित परिवर्तन जो कोई भी हों, के आर्थिक पहलुओं की जांच करना और उसमें बचत अथवा अधिक व्यय को स्पष्ट करना। विभाग का कहना है कि माध्यमिक स्तर पर अभी कोई परिवर्तन न करने के फलस्वरूप यह समस्या नहीं उठती। क्योंकि हमारा कोई खयाल नहीं है कि माध्यमिक स्तर पर कोई परिवर्तन करें और बहुत-सी कमेटियों की सिफारिशें हैं उनको देखते हुये अगर परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी तो करेंगे। इसलिये किसी आयोग की कोई आवश्यकता नहीं थी। "प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर एक ऐसे व्यापक विधेयक के सिद्धान्तों का निर्धारण करना जो शिक्षा व्यवस्था के पुनस्संगठन के प्रसंग में नर्सरी से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा के सम्पूर्ण क्षेत्र को समाविष्ट कर लें।" यह टर्म आफ रिफरेंस था। एक वैभागिक माध्यमिक शिक्षा समिति १९५८ में नियुक्त की गई थी, जिसने शिक्षा व्यवस्था पर विधेयक का प्रारूप शासन को प्रस्तुत किया है, वह शासन के विचाराधीन है। इसमें एक प्रदेशीय शिक्षा बोर्ड, एक बेसिक शिक्षा बोर्ड तथा एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाने की योजना प्रस्तावित है। इस पर विचार करने के उपरान्त एक व्यापक शिक्षा विधेयक पास किया जा सकता है। इस कार्य के लिये एक उच्चस्तरीय आयोग की आवश्यकता नहीं है। इस सम्बन्ध में जैसा मैंने बजट भाषण में कहा था इंटरमीडिएट ऐक्ट के सिलसिले में एक काम्प्रिहेंसिव बिल इस हाउस में पेश करने का हमारा विचार है और वह बन गया है और उस के बारे में चर्चा हो चुकी है। उसके होते हुये यह जरूरी नहीं समझा गया कि कमीशन की रिपोर्ट का इंतजार किया जाय या कमीशन को यह काम सुपुर्द किया जाय।

"शिक्षा संहिता के अनुदान सम्बन्धी नियमों की जांच करना और यदि कोई परिवर्तन आवश्यक हों, तो उनके सन्निहित आर्थिक विषयों को स्पष्ट करते हुये प्रस्तावित करना"। "वैभागिक माध्यमिक शिक्षा समिति ने इस विषय पर अपनी संस्तुति शासन को दी है, जो विचाराधीन है"। "विभिन्न स्तरों पर विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा देने के प्रश्न पर विचार करना तथा उपाय प्रस्तावित करना"। इस प्रश्न पर शासन द्वारा समय-समय पर विचार होता रहा है। आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी की संस्तुतियों के अनुसार शासन ने व्यवस्था की है कि मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं में आध्यात्मिक एवं नैतिक शिक्षा दी जाय। इन संस्तुतियों के आधार पर शिक्षा संहिता में नैतिक शिक्षा देने का प्राविधान किया गया है। केन्द्रीय शासन द्वारा इस प्रश्न पर अखिल भारतीय स्तर पर श्री श्रीप्रकाश कमेटी द्वारा विचार अभी हुआ है। उसकी संस्तुतियों पर नैतिक शिक्षा की उपयुक्त पुस्तकें लिखी जा रही हैं और उनके सुझावों को कार्यान्वित करने के कदम उठाये जा रहे हैं। "प्रदेश के हायर सेकेंडरी स्कूलों में अनुशासन की वर्तमान स्थिति का पर्यवेक्षण करना और उसके सुधार के उपाय तथा साधन प्रस्तावित करना।" "इस समस्या पर

समय-समय पर विचार होता रहा है। वैभागिक माध्यमिक शिक्षा समिति ने भी इस पर विचार किया है और उसकी आख्या शासन के विचाराधीन है। केन्द्रीय तथा प्रदेशीय स्तर पर बनाई गई सभी कमेटियों ने इस प्रश्न पर विस्तार से विचार कर अपनी-अपनी संस्तुतियां की हैं। इस समय इस पर पुनः नये सिरे से विचार करने की आवश्यकता नहीं है।"

"भारत सरकार द्वारा 'संस्तुति नैशनल सर्विस स्कीमें' की जांच और विचार करना और यह निर्दिष्ट करना कि इससे विद्यार्थियों के अनुशासन में कहां तक सुधार की आशा है"। "यह योजना भारत सरकार ने स्वयं ही समाप्त कर दी है। इसलिये अब इस पर विचार करने का प्रश्न नहीं उठता"।"सभी श्रेणियों पर शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के उपायों तथा साधनों को प्रस्तावित करना"। "शिक्षा के विभिन्न स्तरों में उन्नति एवं सुधार करने हेतु १९५८ में निम्नांकित वैभागिक समितियां शासन ने नियुक्त की थीं--

१--प्रारंभिक तथा सामाजिक शिक्षा समिति, २--माध्यमिक शिक्षा समिति, ३--डिग्री कालेज समिति, ४--संस्कृत शिक्षा समिति, ५--अध्यापक प्रशिक्षण समिति, ६--राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय समिति, ७--राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय तथा आधारिक प्रशिक्षण महाविद्यालय समिति, ८--राजकीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय तथा गृह विज्ञान महाविद्यालय समिति, ९--राजकीय सेंन्ट्रल पेडागाजिकल इंस्टीट्यूट तथा ब्यूरो आफ साइकालोजी समिति, १०--स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों में स्वतंत्रता आन्दोलन तथा गांधीवाद पाठों को सम्मिलित करने के लिये नियुक्त समिति।

उपर्युक्त समितियों के सदस्यों की सूची पताका "क" पर है। इन समितियों की रिपोर्ट्स शासन को प्राप्त हो चुकी हैं और विचाराधीन हैं। आशा है कि इन समितियों के सुझावों के अनुसार कार्य करने पर शिक्षा स्तरों में उन्नति होगी। जिन विषयों के बारे में रेफरेंस किया गया था उनके बारे में विस्तार में हमारे पास विभिन्न कमेटियों द्वारा संस्तुतियां आयी हैं और उनके ऊपर विचार किया जा रहा है। बोर्ड के हाई स्कूल तथा इंटरमीडियेट के, विशेषतया अंग्रेजी तथा गणित के, परीक्षाफलों में लगातार गिरावट के कारणों की जांच करना और उसके सुधार के उपाय प्रस्तावित करना। इस सम्बन्ध में विभागीय समिति द्वारा विचार किया जा सकता है। इसके लिये उच्चस्तरीय आयोग की आवश्यकता नहीं है।

वर्तमान समय में अंग्रेजी की आवश्यकता है या नहीं, इसे दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में सभी श्रेणियों पर उसके स्तर तथा महत्व की जांच करना तथा उस सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन देना।

इस समस्या पर वैभागिक सेमिनार द्वारा विचार कराया जा चुका है। यह सेमिनार १६ से १८ नवम्बर, १९५९ तक ताड़ीखेत (अल्मोड़ा) में हुआ था, जिसमें कुल ३८ व्यक्तियों ने भाग लिया था, ३४ शिक्षा विभाग के अधिकारी तथा ४ सदस्य विधान सभा तथा परिषद् के थे। अंग्रेजी का स्तर ऊंचा करने के लिये माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने विचार किया है और १९५८ से अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों की शैली परिवर्तित की गई है। हाई स्कूल परीक्षा के अंग्रेजी के पाठ्यक्रम का प्रश्न सेंट्रल पेडागाजिकल इस्टीट्यूट में 'इंग्लिश लैंगुएज टीचिंग इंस्टीट्यूट' द्वारा प्रयोगात्मक रूप से विचाराधीन है। उसके प्रयोग चल रहे हैं और लागू भी किये गये हैं।

प्राविधिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा को प्राविधिक पुट देना--यह प्रयोग इस समय प्रदेश में १० राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में चल रहा है जहां जनरल इंजीनियरिंग की शिक्षा जारी की गई है। प्रत्येक विद्यालय में २० लड़के इस वर्ग में भरती किये गये हैं। इस वर्ष ये विद्यार्थी प्रथम बार इंटर परीक्षा देंगे। प्राविधिक शिक्षा पर १९५७ में नैनीताल सेमिनार हो चुका है। अब समय आ रहा है जब इस शिक्षा की प्रगति, इसमें परिवर्तन, परिवर्द्धन इत्यादि के लिये विभागीय कमेटी बनाई जाय।

[आचार्य जुगलकिशोर]

पाठ्य पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण पर अपने विचार प्रस्तुत करना---यह विषय तो सदा से विचारणीय रहा है और हमेशा विरोधी विचारधारायें भी रही हैं। न तो पूर्ण राष्ट्रीयकरण और न पूर्ण विकेन्द्रीकरण ही हमारे लिये उपयुक्त है। इसीलिये इस प्रदेश ने बीच का सुनहरा रास्ता अपना रखा है। कक्षा १ से ५ तक पूर्ण राष्ट्रीयकरण, कक्षा ६,७,८ में कुछ राष्ट्रीकरण तथा कक्षा ९ से १२ में नियंत्रित विकेन्द्रीकरण चल रहा है। आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जाता रहता है।

माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जांच करना तथा उसमें सुधार प्रस्तावित करना---पूर्व पृष्ठ पर मद १० के सम्मुख उल्लिखित वैभागिक समितियों में "अध्यापक प्रशिक्षण समिति" ने इस समस्या पर विचार किया है और उसकी रिपोर्ट विचाराधीन है। विशेष प्रकार की प्रशिक्षण संस्थाओं की समस्याओं पर उनसे संबंधित समितियों ने विचार किया है।

ये टर्म्स आफ रेफरेन्स थे जिनके संबंध में हमारी गवर्नमेंट की यह राय हुई कि इस काम को कमीशन के सिपुर्द करने की कोई आवश्यकता नहीं रह गयी है। एक तो हम यह चाहते थे कि जो हमारी कमेटियां बनी हुई हैं उनकी रिपोर्ट्स के ऊपर हम जल्द से जल्द कुछ कर सकें। दूसरे, कमीशन की रिपोर्ट के संबंध में यह भी खतरा था कि उसके टर्म्स आफ रेफरेन्स इतने व्यापक थे कि शायद दो या तीन साल में भी कोई राय न दे सकता और अगर उसकी राय हमको जल्दी मिल भी जाती लेकिन हमारे पास अभी भी कुछ रायें आयी हुई हैं इसलिये हमने समझा कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की राय की कोई खास जरूरत नहीं है। इसी दृष्टि से, कोई और दृष्टिकोण नहीं था कि हमने सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को तोड़ना जरूरी समझा। एकोनामी जरूर इसमें थोड़ी आती है लेकिन एकोनामी ही खयाल नहीं था। उसके साथ-साथ यह भी खयाल था कि समय बचे और जो कुछ सामग्री हमारे पास है उसके अनुसार हम अभी काम शुरू कर सकते हैं।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा आयोग १० मार्च, १९६१ को विघटित किया गया, जिसकी १ दिसम्बर, १९६० को स्थापना की गयी थी। इसकी स्थापना के पीछे जो पृष्ठभूमि है आज आवश्यकता है कि हम उस पर भी कुछ नजर डालें। मान्यवर, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का जो स्तर है उसको देखने से पता चलता है कि ४० प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण होते हैं। ५ विद्यार्थियों में केवल दो पास होते हैं और तीन विद्यार्थी फेल होते हैं। अगर इसके लिये यह कहा जाय कि इसके लिये शिक्षा प्रणाली जिम्मेदार है तो अनुचित नहीं होगा। इसके साथ-साथ यह भी है कि बहुत से विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण होते हैं जिनके लिये यह कहा जा सकता है कि वह स्लो पोईजनिंग से पीड़ित कर दिये जाते हैं क्योंकि जीवन भर उनको नौकरी उपलब्ध नहीं हो पाती है।

इसकी ओर शिक्षा विशारदों और शिक्षा में रुचि रखने वाले लोगों का ध्यान गया है और उनके सम्मेलनों से, उच्च माध्यमिक शिक्षा संघ के सम्मेलनों से, अभिभावकों के सम्मेलनों से और विद्यार्थियों के सम्मेलनों से बराबर यह मांग की जाती रही है कि उच्च माध्यमिक शिक्षा में कुछ ऐसी गड़बड़ी है जिसको दूर करना चाहिये और इसको दूर करने के लिये आवश्यकता है कि उन तमाम प्रश्नों पर विशेष रूप से विचार किया जाय और एक ऐसी प्रणाली अपनाई जाय जिससे यह कमी दूर हो सके।

हम देखते हैं कि सरकार ने इस प्रश्न पर पहले गम्भीरता के साथ विचार किया था और विचार करने के बाद वह इस निश्चय पर पहुंची थी कि एक ऐसे आयोग की स्थापना करनी चाहिये जिसके द्वारा जो प्रश्न उठाये जा रहे हैं उनका कोई न कोई निराकरण या हल निकाला जा सके। आयोग की स्थापना हुई और जो इसका परसोनेल है उसके नाम भी प्रकाशित हुए। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसको भंग कर दिया गया। यह हो सकता है कि हमारे प्रदेश की जो राजनीति की गतिविधि इधर रही है उससे शिक्षा आयोग में जो व्यक्ति रहे हैं उनसे शिक्षा मंत्री

जी का कुछ मतभेद हो सकता है । यद्यपि मैं इसको मानता नहीं हूं लेकिन ऐसा हो सकता था । लेकिन जहां तक इसकी स्थापना का कारण था उसके संबंध में कोई मतभेद होना मेरी समझ में नहीं आया ।

उन्होंने जितनी कमेटियां बताईं, जो डेढ़ दर्जन से कम नहीं हैं, अगर सब कमेटियां काम करें तो भी उनसे जिस उद्देश्य के लिये इस आयोग की स्थापना की गई थी वह पूरा नहीं हो सकता है । इसलिये मैं शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि प्रदेश की जनता के लिये, विद्यार्थी वर्ग के लिये, शिक्षकों के लिये, शिक्षा संस्थाओं के लिये, अभिभावकों के लिये तथा उनकी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये, उन्होंने जो अपनी स्वीकृति इस आयोग के विघटन के लिये दी है उसको वापस लेने की कृपा करेंगे । क्योंकि आज शिक्षा संस्थाओं में जो प्रश्न है, जो कठिनाइयां हैं उनको दूर करने के लिये सरकार के पास एक ही चारा है कि जो ऐजूकेशन ऐक्ट है उसमें परिवर्तन ला देंगे और कई बार वह परिवर्तन लाये भी हैं । लेकिन उनसे उन कठिनाइयों का हल नहीं हो सका है । कहीं मैनेजमेंट हाई कोर्ट में जाता है, कहीं शिक्षक हाई कोर्ट में जाते हैं और कहीं-कहीं विद्यार्थी भी हाई कोर्ट में जाते हैं, इसलिये कि उनको प्रवेश पाने के लिये स्वीकृति नहीं मिलती है या कहीं कहीं उनका रिजल्ट रोक लिया जाता है और ऐसे समय पर दिया जाता है जब कि उनके एक या दो साल खराब हो जाते हैं। यही सब कारण हैं जिनकी वजह से शिक्षा आयोग का रहना नितांत आवश्यक था और मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से पुनः अनुरोध करूंगा कि प्रदेश की जनता, शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षा संस्थाओं की समस्याओं को हल करने के लिये वह पुनः अपने निश्चय पर विचार करने की कृपा करेंगे और उन्होंने जो आज्ञा इस आयोग के विघटन के लिये प्रदान की है उसको वापस लेने की कृपा करेंगे ।

*श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—अध्यक्ष महोदय, इस विचार में कोई मतभेद नहीं है कि जहां तक माध्यमिक शिक्षा संघ का संबंध है हम अनुभव करते चले आये हैं, जैसा कि हमारे मित्र माननीय भगवतीसिंह जी ने कहा है कि परिवर्तन की आवश्यकता है, इसमें सुधार की आवश्यकता है । परन्तु मैंने इस क्षेत्र में काम किया है और अनुभव के पश्चात् इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि जो परिवर्तन करने हैं, वह शीघ्र होने चाहियें । हम बदकिस्मती से यह देखते चले आये, कई वर्ष से इस माननीय सदन में यह बहस करते चले आये और हमसे यही सरकार ने बार-बार वायदा किया कि हम बहुत जल्दी एक कांप्रीहेंसिव बिल इसके ऊपर लाने वाले हैं जिसमें ये दिक्कतें दूर हो जायंगी । उस कांप्रीहेंसिव बिल के लिए जहां तक मैटीरियल इकट्ठा करने का सवाल है, उसमें क्या-क्या लाना है, किस-किस प्रकार उसको छानना है, इसके लिये जैसा कि अभी माननीय शिक्षा मंत्री ने बताया हमारे प्रदेश में और देश में इन विषयों पर कम कमेटियां और कमीशन नहीं बने । उनके मैं अलग-अलग टर्म्स आफ रेफरेंस दूं, वह मेरे पास है भी नहीं और इसके लिए समय भी नहीं है । परन्तु यह जानते हुए कि बहुत सी कमेटियां और कमीशन बने, उन्होंने हर एक विषय को देखा है, हम जो भी कमीशन बनायें, जो कुछ कमेटियां बनाएं उसका केवल एक काम रह जाता है, अध्ययन करना ।

मैंने जब सरकार के इस निर्णय को पढ़ा कि एक कमीशन बनाया जा रहा है, उसके टर्म्स आफ रेफरेंस को पढ़ा तो मैंने सोचा कि उनके सामने सिवाय इसके कोई और काम नहीं था कि जितनी कमेटियां या कमीशन पहले उन विषयों के ऊपर निर्णय कर चुके हैं, उनको पढ़ कर के, उनमें से कुछ को चुनकर संकलित करके एक रिपोर्ट के रूप में रख दें । वह काम किस के सुपुर्द किया गया ? एक कमीशन के सुपुर्द किया गया । उसका क्या परिणाम होगा ? हम देखें कि कमीशनों की रिपोर्ट साधारणतया कितने समय में आती हैं । अगर उस पर भी आपने गिलोटीन लगा दिया, उसके टर्म्स आफ रेफरेंस में कमीशन बनने के बाद कमी कर दी, समय निर्धारित कर दिया कि दो-तीन महीने में रिपोर्ट आ जानी चाहिये तो कमीशन बनाना व्यर्थ हो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री जगदीशप्रसाद]

गया। तो उसका जो कुछ भी कार्य था वह यह था कि बहुत-सी रिपोर्टों को संकलित करके देता। वह काम एक वैभागिक समिति द्वारा बड़ी अच्छी तरह से हो सकता है। अगर कमीशन द्वारा आपको काम करना है, तो उसके विचार करने के लिये, उसकी रिपोर्ट आने के लिये, उस पर कांप्रीहेंसिव बिल लाने के लिए और उस पर विवाद करने के लिए समय चाहिये। उसके लिए काफी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और जहां तक इस असेम्बली का प्रश्न है इसका जीवनकाल बहुत कम है। उसमें कमीशन की रिपोर्ट आने का प्रश्न नहीं होता है या कांप्रीहेंसिव बिल आये और उस पर विचार हो इसका प्रश्न नहीं पैदा होता है।

माननीय मंत्री जी ने जो टर्म्स आफ रेफरेंस पढ़े उसमें बहुत थोड़ी सी ऐसी चीजें हैं, जिन पर अभी निर्णय लेना है, उसमें, शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन हो, यह जो हमारी मांग बहुत पहले से चली आ रही है बल्कि जो देश की आवश्यकता है, उस पर कमीशन में नहीं सोचा जा रहा था। उसके टर्म्स आफ रेफरेंस के अन्दर यह नहीं था कि शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन कैसे किया जाय? जो बातें उसके टर्म्स आफ रेफरेंस में थीं, मैंने माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक कार्यकर्त्ता के नाते यह देखा कि अध्यापकों, व्यवस्थापकों और विद्यार्थियों की जो कठिनाइयां रही हैं वह बहुत थोड़ी हैं। वह देखने को बहुत बड़ी मालूम होती हैं लेकिन बहुत थोड़ी बातें हैं जिनके सुलझ जाने से, हल हो सकता है। उसमें किसी लम्बे कमीशन की जरूरत नहीं थी। अतः मैं समझता हूं कि यह जो निर्णय सरकार ने लिया है वह बिलकुल ठीक लिया है। उस कमीशन को विघटित करना ही चाहिये था।

श्री प्रतापसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह नहीं है कि कमीशन की आवश्यकता इस समय है या नहीं। प्रश्न यह है कि जो १दिसम्बर, १९६० को एक कमीशन स्थापित किया गया वह क्यों रखा गया था, मैं उसको संक्षेप में पढ़ देना चाहता हूं—

"राज्य में माध्यमिक शिक्षा के नियंत्रण, स्तर, छात्रों में अनुशासनहीनता, अनुदान के नियम तथा अन्य सम्बद्ध विषयों से सम्बन्धित समस्याओं की जांच करना और उनमें वांछित सुधार की सिफारिश करने के उद्देश्य से कमीशन कायम किया गया, उसको विघटित किया गया। ३२ आदमियों के स्थान पर एजूकेशन सेक्रेटरी के साथ ९ आदमी रख दिये जाते जो शिक्षा शास्त्री होते जिनका शिक्षा का तजुर्बा होता। ३२ आदमियों को घटाकर ९ आदमियों को रखना एकोनामी कही जा सकती है। लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी ने यहां पर एक तहरीरी रिपोर्ट पढ़कर हमको एक शब्दजाल में फंसाने की कोशिश की। उन्होंने बतलाया कि तमाम कमेटियों ने इसकी सिफारिश की है। मैं एक टर्म आफ रेफरेंस इसका पढ़ना चाहता हूं—

"प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर एक ऐसे व्यापक विधेयक के सिद्धान्तों का निर्धारण करना जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के पुनर्संगठन के प्रसंग में नर्सरी से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा के सम्पूर्ण क्षेत्र को समाविष्ट कर ले।"

मैं यह जानना चाहता हूं कि तीन कमेटियां बैठीं, दो इस प्रदेश में और एक आल इंडिया लेवेल पर। पहले तो इस सरकार का यह फैशन है कि कमेटी एप्वाइंट की, उसकी सिफारिश को नहीं माना। फौरन दूसरी कमेटी एप्वाइंट कर दी। आचार्य नरेन्द्र देव जी की अध्यक्षता में सन् ३७–३८ में एक कमेटी एप्वाइंट हुई। उसके बाद फौरन १८ मार्च, १९५३ को दूसरी कमेटी एप्वाइंट हो गई। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आचार्य नरेन्द्र देव जीकी जो कमेटी है उसमें केवल १२ विषय हैं। डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी, जो उस समय शिक्षा मंत्री थे, उनके भाषण के बाद उसमें ६ विषय और जुड़े, मान्यवर, उन विषयों को मिला लिया जाय, १६ विषय इसमें हैं, केवल दो विषय ही ऐसे हैं जो उसके अन्दर समाविष्ट हैं, बाकी कोई ऐसा विषय नहीं है कि जिस पर आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी ने कोई सिफारिश की हो।

और दूसरी जो मुदालियर कमेटी है उसके टर्म्स आफ रेफरेंस केवल तीन थे जो २३ दिसम्बर को भारत सरकार ने बनायी थी। उनका भी इसमें समावेश हो जाता है लेकिन जो बाकी हमारे टर्म्स आफ रेफरेंस हैं, मैं यह कहना चाहता हूं कि न तो आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी ने कोई सिफारिश उन पर की है और न मुदालियर कमेटी ने की है और कोई तीसरी कमेटी मैं जानता नहीं।

विभागीय समिति का जहां तक प्रश्न है मैं सरकार को एक जिम्मेदार सरकार समझता हूं, लेकिन अगर इसके कार्य गैरजिम्मेदारी के हों---मैं गुप्ता जी की गवर्नमेंट और डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी की गवर्नमेंट में कोई भेद नहीं समझता, उनको मैं दो नहीं समझता, एक ही समझता हूं। तो १ दिसम्बर, १९६० को जिस कमेटी की स्थापना की गई ढाई महीने बाद एक्सचेकर का इतना रुपया खर्च करने के बाद उसका विघटन कर दिया गया। जिन कमेटियों की सिफारिशों का हवाला दिया गया क्या वह कमेटियां पहले नहीं थीं? और अब आप केवल विभागीय कमेटी की बात करते हैं।

दूसरी चीज जिस पर मैं बुनियादी तौर से जोर देता हूं वह यह है कि इसी आदरणीय सदन में माननीय शिक्षा मंत्री ने यह कहा कि हम एक काम प्रिहेंसिव बिल लाना चाहते हैं, तो बिल किसके आधार पर लाना चाहते हैं? मैं फिर अर्ज करना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी हमें जवाब दें कि इसी कांग्रेस गवर्नमेंट ने १ दिसम्बर, १९६० को जिस आयोग की स्थापना की थी ढाई महीने के बाद जिसको खत्म कर दिया गया तो उसमें क्या एक्सचेकर का पैसा बरबाद हुआ या नहीं? मैं आपसे इस बात में इत्तफाक करता हूं कि जिन शिक्षा शास्त्रियों को उनमें रखना चाहिये था उनको इसमें नहीं रखा गया। कुछ विशेष व्यक्तियों को किसी विशेष वजह से लिया गया यह भी मैं जानता हूं। लेकिन जो टर्म्स आफ रेफरेंस का हवाला दिया वह टर्म्स आफ रेफरेंस किस कमेटी की सिफारिश में हैं यह आप हमें बतायें? एकोनामी का जहां तक प्रश्न है मैं नहीं मानता कि इस तरह से कोई एकोनामी हुई। एकोनामी अगर करना था तो ३२ की जगह ९ आदमी रखते, अपने शिक्षा सेक्रेटरी को उसमें आप रख देते, और जो दूसरे तपे तपाये व्यक्ति हैं शिक्षा के क्षेत्र में उनको आप रखते, उसमें एकोनामी हो सकती थी।

यह टर्म्स आफ रेफरेंस न आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी में हैं और न मुदालियर कमेटी में हैं। किसी भी कमेटी में यह सब टर्म्स आफ रेफरेंस नहीं मिलेंगे। इसमें टेक्निकल एजूकेशन पर आप जोर देते हैं वह किसी और कमेटी में नहीं। इसी तरह अनुशासन का जहां तक प्रश्न है आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी में वह नहीं है और विश्वविद्यालय वाली बात भी आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी में नहीं है। वह राधाकृष्णन कमेटी में है। इसी तरह बेसिक स्कूल जिसके बारे में बहुत कहा जाता है, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या एक भी बेसिक स्कूल ऐसा है जिसके लिये कि महात्मा गांधी कहा करते थे?

आज एक विचार और चल रहा है। विश्वविद्यालयों में तीन साल का डिग्री कोर्स करने का। लेकिन शिक्षा शास्त्री यह कहते हैं कि प्राइमरी स्कूल से लेकर हमारी जो हाई-स्कूल की पढ़ाई है वह १२ साल की होनी चाहिये। उसके बाद आप इंटरमीडिएट को खत्म कर सकते हैं और उसके बाद बी० ए० में तीन साल की पढ़ाई हो सकती है। १२ साल का इन्टरमिडियेट कोर्स हो और ३ वर्ष का डिग्री कोर्स हो इस पर विचार चल रहा है। मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश ने इसको पहले ही कम कर दिया है। जो अब दर्जे ४ में पढ़ाया जाता है वह दर्जा ५ में पढ़ाया जाता था। पहले ही एक साल कम हो गया। दूसरा प्लान भी हमारा पीछे चला गया और आज भी उस पर विचार नहीं किया जा रहा है तो इस प्रकार से हमारी शिक्षा में सुधार नहीं हो सकता।

*श्री गौरीशंकर राय--माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको शायद स्मरण होगा कि पहले भी मैंने इस विषय पर जब बहस हुई थी तो अपना मत व्यक्त किया था। मैंने यह कहा था कि हमारी प्रदेशीय सरकार इस आयोग के साथ एक उपहास कर रही है। मुझे इसमें सन्देह था कि हमारी सरकार कोई आयोग या कमीशन बना सकती है या नहीं और यह कमीशन अपनी वैधानिक स्थिति में होगा या नहीं? यह मैंने पहले कहा था कि उसको हम कमीशन कहें इसमें मुझे बड़ा संकोच होता है। मैं समझता हूं कि मैं ऐसी बातें कहना चाहता हूं जो मुझे नहीं कहनी चाहिये। इस सरकार को ऐसी आदत हो गई है और हर मामले में सरकार ने एक आयोग की स्थापना शुरू कर दी है।

एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि इस आयोग को भंग करने की आवश्यकता सरकार को इसलिये नहीं पड़ी कि इसकी आवश्यकता नहीं थी या इसकी जरूरत पूरी हो गई थी या इसकी जरूरत नहीं रही थी। बल्कि इसलिये भंग करने की आवश्यकता पड़ी और बनाने की भी आवश्यकता पड़ी कि सरकार का दिमाग साफ नहीं था। यह हमारे पुराने शिक्षा मंत्री ने स्वीकार किया था। मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो दो बातें कही जाती हैं वह परस्पर विरोधी हैं। मेरा निवेदन यह है कि शिक्षा के उद्देश्य के सम्बन्ध में सारे देश का आज मानस स्पष्ट नहीं है। शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिये यह बड़ा सवाल आज देश के सामने है। इस बात को पुराने शिक्षा मंत्री ने स्वीकार किया था और यह कहा था कि देश में शिक्षा शास्त्रियों को इस पर सोचना चाहिये। फिर कहा था कि एक काम्प्रिहेन्सिव बिल आने वाला है और इसके साथ साथ यह भी कर दिया कि एक आयोग बना दिया। फिर विश्वविद्यालय के लिये एक आयोग बना दिया। फिर प्राइमरी के लिये भी कह दिया। प्रश्न यह है कि इन सब का आपसी सम्बन्ध क्या होगा?

मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि सरकार को शिक्षा के मामले में मजाक नहीं करना चाहिये। यह तो श्रीमन्, बच्चों जैसी स्थिति हो गई कि पहले वह एक खिलौना पसन्द करता है तो बाद में कहता है कि इससे नहीं खेलूंगा और दूसरी मिठाई पसन्द करता है और बाद में कहता है कि नहीं खाऊंगा। यह तो वही बात हुई जो हमने बहुत पहले पढ़ी थी कि--- "क्षणे रुष्टा, क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे" जैसे किसी का विचार एक मिनट के अन्दर ही बदल जाय और दूसरी मिनट दूसरा निर्णय करे। यह किसी राजनीतिक परिवर्तन के कारण अपने विचार सरकार नहीं बदलती है बल्कि परिस्थितियां बदलती हैं और उनके अनुसार ही सरकार अपने को बदलती है, अगर सरकार किसी प्रकार से सोचती है और कुछ करना चाहती है तो वह हमारे कहने से नहीं करने जा रही है।

हमारा तो यह कहना है कि पूरी बेसिक शिक्षा में, मध्यमिक शिक्षा में और विश्वविद्यालय की शिक्षा में आपसी सम्बन्ध क्या हो इस पर विचार करना है। तीन साल के कोर्स के विषय में मंत्री जी ने कहा, लड़कों के फेल होने पर, या दूसरी बातों पर हमको विचार नहीं करना है। शिक्षा का प्रसार हो रहा है उसमें लड़कों को सुविधा प्राप्त हो या नहीं इस पर सोचना है और वह भी इसकी विधि पर पूरा विचार करना है। पढ़ाई की विधि कैसी हो, ऐडमिशन की विधि क्या हो यदि इस विषय में हमारा दिमाग साफ न हो तो फिर भगवान के नाम पर कह दें कि जो समझ में आवे वे करें। अन्धी गाय की तरह से जिसके घर पहुंचे वह चली जायगी। यह हमारा बद-किस्मत देश है कि जहां के राष्ट्रपति ने भी कहा था कि शिक्षा के विषय में परिवर्तन होना चाहिये। उप-राष्ट्रपति ने भी कहा है, जो हमारे पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद थे, उन्होंने भी कहा था कि हमारे एजूकेशन में तब्दीली की जरूरत है। जवाहरलाल तो हर मामले में तब्दीली चाहते हैं। यहां के जो पहले शिक्षा मन्त्री थे उन्होंने भी कहा था और यह हमारे शिक्षा मंत्री भी कह चुके हैं। तो फिर समझ में नहीं आता कि जब हमारी शिक्षा का तरीका दोषपूर्ण है तो इसको बच्चों का खेल नहीं बनाना चाहिये कि रोज आयोग बनें और उनके विघटन हों। इस तरह से मैं समझता

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हूं कि शिक्षा के साथ मजाक नहीं करना चाहिये। पहले शिक्षा मंत्री जी ने भी जब जाने लगे तो उन्होंने भी एक आयोग बना दिया। वह समझते थे कि चल तो रहे हैं ही एक और आयोग बना दें तो उन्हों ने भी इसको नये जमींदारों की तरह बना दिया।

मैं ज्यादा बहस नहीं करना चाहता लेकिन यह निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा के काम में यह जो बातें हैं, यह बड़ी ऊंची बातें हैं। रोज रोज चीजें बनाना बिगाड़ना, यह प्रवृत्ति आप छोड़ें आप स्पष्ट कहें कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा और हर स्तर पर शिक्षा का संबंध दूसरे स्तर की शिक्षा से कैसा रहेगा आपस में। आप देखें कि हमारे टर्म्स आफ रेफरेन्स भी बच्चों के खेल हो गये हैं। प्रताप सिंह जी ने जो कोट किया उसका क्या समाधान है सरकार के पास ? कोई नहीं। १, ९ या १३ सदस्यों की आप कमेटी भले ही बना लें, उसका समाधान मिलने वाला नहीं है। जब तक सारे देश के स्तर पर शिक्षा शास्त्री बैठ कर उस पर विचार न करें और अपनी शिक्षा की नीति स्पष्ट न हो हम चाहे जितने आयोग बैठायें या कमेटियां बनायें, यह मसला हल होने वाला नहीं है। जो पहले के आयोग और कमेटियों की सिफारिशें हैं उनको आप ने कहां तक लागू किया है ? आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी की सिफारिशें आप के पास पड़ी हैं, उनको आप कार्यान्वित क्यों नहीं करते ? प्राइमरी और बेसिक में क्या फर्क है इसको ही हमारे शिक्षा मंत्री महोदय नहीं बतला सकते। उनको स्वयं मालूम नहीं है कि उसमें फर्क क्या है ? मैं समझता हूं कि शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री को तो शिक्षा की बातों को समझना ही चाहिये। वे बच्चों का तमाशा न करें, शिक्षा नीति स्पष्ट करें और तभी उसकी कुछ बात करें।

श्री रूर्मसिंह (जिला शाहजहांपुर)---अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गंभीर विषय है और मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, लेकिन इस बात को अच्छी तरह से समझ सकता हूं कि सरकार यथास्थिति बात को कायम रखना चाहती है। जो स्थिति इस समय चल रही है वह ठीक नहीं है। लाखों, करोड़ों आदमी मजदूरी-मेहनत करें और कुछ आदमियों के आराम और आसाइश के साधन यह सरकार जुटाये, इसके सिवाय और कुछ दिखाई नहीं देता। शिक्षा पद्धति जो ब्रिटिश हुकूमत ने कायम की वह इसलिये कि उसको अपनी सरकार, अंग्रेजी शासन चलाने के लिये अच्छे क्लर्क, और नौकर मिल जायं। उनका और कोई मकसद नहीं था। इस सरकार को, जैसे ही यह आई, शिक्षा पद्धति में जबरदस्त परिवर्तन करना चाहिये था। आज की शिक्षा का असर क्या होता है ? मैं देख रहा हूं कि अगर कोई गांव का लड़का विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर के गांव में आता है तो अगर उसे दैवयोग से नौकरी मिल गई तो ठीक, नहीं तो वह दो-चार और लोगों को लेकर एक टोली बना लेता है और इधर-उधर की खुराफात किया करता है।

शिक्षा में इस बात की व्यवस्था नहीं है कि कोई बच्चा शिक्षा प्राप्त करने के बाद किस प्रकार अपनी जीविका की व्यवस्था करे। शिक्षा में सबसे बड़ी कमी यही दिखाई देती है कि विद्यार्थी को परिश्रम कर के अपनी जीविका कमाना नहीं सिखाया जाता और उसमें श्रम और बुद्धि का कोई ताल्लुक नहीं रह गया है। विद्यार्थी आज शारीरिक श्रम करने के लिये तैयार नहीं हैं। यह शिक्षा केवल बुद्धिजीवी को आगे बढ़ा रही है। इसने श्रमजीवी को पीछे किया है। इसलिये मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप शिक्षा पद्धति में एकरूपता लावें। आपके विद्यालय में एक विद्यार्थी ५०० रुपये का सूट पहनता है और दूसरा बेचारा गरीब है पूरे से उसके पास कपड़े नहीं। वह घर जा कर अपने मां बाप को परेशान करता है और उसके मां बाप गलत काम करके, परिश्रम करके और अगर सरकारी कर्मचारी हुये तो कचहरी में जनता को, गरीबों को हलाल कर के अपने लड़के के लिये पैसा जुटाते हैं ताकि वह अमीरों की बराबरी कर सके। इसलिये शिक्षा मंत्री को अगर देश से प्यार और मोहब्बत है तो ऐसी व्यवस्था करें कि शिक्षा पूरी करने के बाद विद्यार्थी अपना जीवन गुजारने के काबिल बन सके और साथ-साथ शारीरिक श्रम से वह घबराये नहीं, तभी हमारा प्रदेश उठ सकता है। अगर शिक्षा मंत्री जी चाहते हैं कि शिक्षा में उन्नति हो, प्रदेश की उन्नति हो तो वे अवश्य ऐसी व्यवस्था लागू करेंगे।

[श्री रूम सिंह]

मंत्री लोग अगर उन पर दबाव डालेंगे और यही पद्धति चलती रही तो प्रदेश का कल्याण नहीं होगा, गरीब गरीब होते जायेंगे और अमीर अमीर होते जायेंगे ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह विषय बहुत ही गम्भीर है । इस बात को सभी लोग मान चुके हैं कि मौजूदा शिक्षा से देश का कल्याण होने वाला नहीं है । माननीय शिक्षा मंत्री ने अपने पक्ष में आज भाषण के दौरान में जो बातें कहीं हैं मैं यह कहूंगा कि वे ही इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि आयोग को रहने दिया जाय । आपको याद होगा मान्यवर, पहले जो शिक्षा मंत्री थे, उनके सामने इसी आदरणीय सदन में यह सवाल बार-बार उठे थे और शिक्षा के संबंध में, शिक्षार्थियों के सम्बन्ध में, शिक्षकों के संबंध में, और मैनेजमेंट के संबंध में जब जिक्र आता था तो बार-बार जबाब में माननीय मंत्री जी यही कहा करते थे कि इस संबंध में हम एक व्यापक बिल लाने वाले हैं और इसके लिये एक अलग से आयोग भी मुकर्रर करने वाले हैं । बहुत दिनों के बाद भूतपूर्व मंत्री जी ने इस आयोग की स्थापना की । उसके सामने कुछ सामग्री भी रखी गयी और उसने अपना काम भी शुरू कर दिया । भाग्य से या दुर्भाग्य से एक दूसरी कमेटी भी बनी, मगर इसी बीच दूसरा मंत्रि मंडल बना और उसके आते ही मंत्री जी ने उसे खत्म कर दिया । यह बच्चों के साथ खिलवाड़ है और इस देश के साथ खिलवाड़ है, शिक्षा के साथ मखौल है ।

मान्यवर, मैं आपके द्वारा बहुत ही विनम्र शब्दों में माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि शिक्षा का विषय वह विषय है जो हमारे प्रदेश और देश की एक बुनियाद है और इसी पर सारा विकास निर्भर है और अगर आपने उसके साथ कोई खिलवाड़ किया तो वह बहुत ही खतरनाक बात होगी । इसमें इस विषय पर बहुत ही गम्भीरतापूर्वक विचार करने की जरूरत है ।

मान्यवर, विद्यार्थियों की ही बात ले लीजिये । पिछली बार इसी सदन में यह प्रश्न उठा था कि ४ हजार बच्चों का परीक्षाफल रोक दिया गया था । जब हमने सवाल किया कि कब तक परीक्षाफल घोषित होगा तो माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया था कि जब लाखों बच्चे परीक्षा में बैठते हैं तो कुछ गड़बड़ी तो हो ही जाती है, इतनी जल्दी काम कैसे हो सकता है । श्रीमन्, मौजूदा जो सिस्टम परीक्षा का है उसमें सुधार की अत्यन्त आवश्यकता है । आप देखें कि उन बच्चों का दिसम्बर, जनवरी और फरवरी में रिजल्ट बताया गया जो कि लड़के निर्दोष पाये गये थे । आप ही अब सोचिये कि वे दूसरे बच्चों की तरह किस प्रकार सफलतापूर्वक अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं और किस प्रकार किसी स्कूल में, किसी दर्जे में अपना दाखिला करायें । माननीय मंत्री जी से जब मैंने यह सवाल किया तो उन्हों ने बताया उनको तो पहले ही हिदायत दे दी गयी थी कि वे अपनी तैयारी करें । अब वे बच्चे तैयारी किस क्लास के लिये करें ? मेरी समझ में नहीं आता कि जो लड़के हाई स्कूल में बैठे थे और जिनका परीक्षाफल रोक दिया गया था वे फिर हाई स्कूल की तैयारी करें या ११वें दर्जे के लिये तैयारी करें ? तो इस तरह से उनका साल का साल बेकार हो गया है । उस समय ज्यादा सप्लीमेन्टरी प्रश्न भी मेरे नहीं हो सकते थे । माननीय मंत्री जी बच्चों के साथ खिलवाड करने से न आपका ही भला होगा न देश का ही भला होगा । यह गम्भीर विषय है और इसे राजनीति से अलग रखना चाहिये ।

आज इस बात की जरूरत है कि हम इस पर गम्भीरता के साथ विचार करें कि हमारे यहां की शिक्षा पद्धति क्या हो, पढ़ाई किस ढंग से हो, जो किताबें हैं वह किस ढंग की हों, उनका पाठ्यक्रम क्या हो, इम्तिहान देने का क्या तरीका हो, यह सब बातें ऐसी हैं जिसमें आमूल परिवर्तन की जरूरत है ? माननीय मंत्री जी भी इस बात को मानते हैं । अगर हम एकोनामी करना चाहते हैं, तो उसके लिये और बहुत से रास्ते हैं । गंगा बह रही है, तमाम धन लुटाया जा रहा है, सोना लुटाया जा रहा है और कोयलों पर मोहर लगायी जाती है । इतना समय

इस आयोग को बने हुये हो गया, क्यों नहीं सरकार ने यह कोशिश की कि उसकी रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत हो ।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि बहुत से सुझाव आये हैं और वह उसमें से छांट कर तब्दीली करने वाले हैं। तो कौन-सी बड़ी आफत हो रही थी कि यह अयोग जो एक लाइन पर चल चुका था, तीन महीने वर्क कर चुका था, सारे मसले उसके दिमाग में थे, दो महीने और काम करके रिजल्ट ले लेता, माननीय मंत्री जी ने उसको बन्द करा दिया और फिर एक नयी कमेटी बनायेंगे फिर उसकी दो, चार बैठकें होंगी, कोई नक्शा उसके दिमाग में बनेगा, फिर कोई दूसरी गवर्नमेंट आयेगी तो वह उलट देगी। तो यह हुआ बच्चों की तकदीर के साथ खेल। अपने प्रदेश की शिक्षा को अपनी राजनीति के साथ मत जोड़िये। यह हमारे दुर्भाग्य का विषय है, मान्यवर, यह बड़ा भयावह साबित होगा। इसलिये मैं कहूंगा कि जो रास्ता चल रहे हैं उसको चलने दिया जाय और उसी आयोग से काम लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे। एक घंटा कल और इस पर चर्चा होगी।

(इसके बाद सदन ६ बज कर १ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदश।

लखनऊ :
५ अप्रैल, १९६१ ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५७६ पर)

जल-विद्युत गृहों के निर्माण कार्य पर १९५९–६० तक पूंजी-व्यय

	रुपया
मोहम्मदपुर	१,४९,४४,९१०
पथरी	२,७४,८०,७२४
खटीमा	६,६७,७७,७४२
बागेश्वर	२,१६,९२६

रख-रखाव के खर्च का ब्यौरा

वर्ष	मोहम्मदपुर	पथरी	खटीमा	बागेश्वर
१	२	३	४	५
१९५१–५२ ..	३,७४८	..	..	..
१९५२–५३ ..	७,४४३,	..	..	..
१९५३–५४ ..	१९,४५७	..	..	..
१९५४–५५ ..	२४,१०७	..	..	..
१९५५–५६ ..	७,९९६	१०,०१५	११,१६४	..
१९५६–५७ ..	८,२३३	२५,२६३	५४,१८०	४,३५६
१९५७–५८ ..	८,१३३	३०,४१७	१,२७,३७४	४,८१६
१९५८–५९ ..	८,०३४	३३,२११	१,३७,४५६	५,४२२
१९५९–६० ..	५,३७७	२६,९६१	२,४१,२५१	७,९११

अनुगामी संसद

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५८५ पर)

अन्तरिम जिला परिषद्, उन्नाव द्वारा दिनांक ४–२–६१ की बैठक में बनाई गई तृतीय पंचवर्षीय योजना में निर्माण हेतु सिफारिश किये गये प्राथमिकता के आधार पर कार्यों की सूची।

क्रम-संख्या	सड़क का नाम	दूरी मीलों में
१	बागंगरमऊ–जगतनगर..	५
२	विक्रमपुर–ऊंचगांव	१३
३	अचलगंज–गंगाघाट	६
४	मियांगंज–हसनगंज	९
५	चकलबन्सी–गंगाघाट..	११
६	घुरवा–कौंया	८
७	मियांगंज–बागंगरमऊ..	२०
८	बीधापुर–पुरबा	१०
९	ऊगू–गारियाकलां	११
१०	सिकन्दरपुर सरोसी–उन्नाव	७
११	मौरावां–हिलौली	४
१२	मौरावां–बिहार	१३
१३	मोहान–आरौस	१४
	कुल मील ..	१३१

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—२७ एल० ए०—१९६१—८४५।